भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली

प्रेस परिषद समीक्षा

(1 अक्तूबर 2023 – 31 दिसंबर 2023)

त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष 26 **जनवरी, 2024** **अंक-1**

भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण एवं प्रेस के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार गठन किया गया। परिषद एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जिसकी अधिकारिता प्राधिकारियों के साथ-साथ प्रेस पर भी है। यह क्रमश: प्रेस की स्वतंत्रता अथवा नीति के उल्लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरूद्ध शिकायतों पर निर्णय देती है।

प्रेस परिषद के अध्यक्ष परिपाटी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों में से होते हैं और तीन सांस्कृतिक, साहित्यिक व विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवावधि तीन वर्ष की होती है।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया

प्रेस के विरूद्ध शिकायत

कोई भी व्यक्ति, किसी समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के विरूद्ध पत्रकारिता आचरण और रूचि के मान्य नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता है। आम जनता में से कोई भी व्यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्वतंत्र पत्रकार के व्यावसायिक कदाचार के विरूद्ध भी शिकायत कर सकता है।

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर परिषद के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी :

(i) दैनिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां और साप्ताहिक समाचारपत्र दो माह के भीतर

(ii) अन्य मामलों में चार माह के भीतर

बशर्ते पूर्व तिथि के संबद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये।

सबसे पहले संपादक को लिखें

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रूचि के विरूद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के संपादक का ध्यानाकृष्ट करते हुए जांच विनियमों के अंतर्गत सबसे पहले उन्हें लिखना ज़रूरी है। ऐसे पूर्व संदर्भ से संपादक

को पहली बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार, परिषद को शिकायत भेजे जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता है। यह विचार करने की बात है कि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता को गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो। दूसरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता है जिसे संपादक स्वीकार करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो। शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने पर मामला खत्म हो जाएगा।

जहां समाचारपत्र/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं का ध्यानाकृष्ट करने के पश्चात्, कोई व्यक्ति शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि संपादक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए।

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उन समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं के संपादक अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो। वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मूल कतरन अथवा स्व-अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेज़ी अनुवाद, यदि समाचार देशी भाषा में है) शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत की गई है, किस प्रकार आपत्तिजनक है। उनके पास यदि इस विषय में कोई अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए। किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन हुआ है।

परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में न्यायाधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि "अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, उन्होंने परिषद के सामने सभी संबद्ध तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।" एक अन्य घोषणा करना भी ज़रूरी है कि - "परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला न्यायालय की कार्यवाही का विषय बन जाता है, तो वे इसकी सूचना तुरंत परिषद को देंगे।"

प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका, पत्रकार या कोई भी संस्थान या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए केंद्र या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में कथित

उल्लंघन का पूरा विवरण होना चाहिए, जिसके बाद परिषद द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में दी गई निर्धारित जांच प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिषद द्वारा व्यक्त किए गए विचार दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं (i) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग पर कोई ध्यान न दे अथवा उसका विरोध न करे और (ii) प्रेस को स्वयं अपने हित में अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक लेखन नहीं करने चाहिए जो प्रेस में से ही गठित निष्पक्ष निर्णायक परिषद जैसे द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्य मानकों के अनुरूप नहीं समझे जाते है क्योंकि इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमूल्य स्वतंत्रता में ही कमी होगी।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें :-

सचिव,
भारतीय प्रेस परिषद,
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

फोन : 011-24366404/05 (एक्स. 307 और 315)
फैक्स : 24368725
ई-मेल : secy-pci@nic.in, so.complaints-pci@gov.in, so.meetings-pci@gov.in
वैबसाइट : www.presscouncil.nic.in

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई

14वीं सेवावधि

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
	भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))	
श्री अंकुर दुआ	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, मुज़फ्फरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डॉ बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर
श्री प्रकाश दुबे	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	समूह संपादक, दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, महाराष्ट्र
डॉ. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, जनमोर्चा, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री पराग कारान्दिकर	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, मराठी दैनिक, महाराष्ट्र
	संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप-धारा (3) का खंड (क)}	
श्री अंशु चक्रवर्ती	प्रेस क्लब, कोलकाता	श्रमजीवी पत्रकार, आज काल, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री जय शंकर गुप्ता	प्रेस एसोसिएशन	संवाददाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री किंगशुक प्रमाणिक	प्रेस क्लब, कोलकाता, ओडिशा पत्रकार संघ, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री प्रजनानंद चौधुरी	पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, आनंद बाजार पत्रिका, बंगला दैनिक कोलकाता
श्री विनोद कोहली	चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन	श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरबीर सिंह	मुंबई प्रेस क्लब, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, तमिलनाडू
श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स, अंग्रेजी पाक्षिक, ओडिशा
	बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}	
रिक्त*	-	-
रिक्त*	-	-
श्री गुरिंदर सिंह	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन और छोटे-मध्यम-बड़े समाचारपत्र सोसायटी	इंडियन ओबजर्वर, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री एल.सी. भारतीय	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन	आकाशदीप, हिंदी साप्ताहिक, राजस्थान
श्रीमती आरती त्रिपाठी	अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए) एवं भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ	जय प्रदेश, हिन्दी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सिंह पंवार	भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ एवं अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए)	जन सामना, हिंदी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश

** उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसूचित एसोसिएशन इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) के तहत नामों का पैनल दर्ज नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हो गईं।*

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}		
श्री जी. सुधाकर नायर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)	कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) नई दिल्ली
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}		
प्रो. जे. एस. राजपूत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
रिक्त*	भारतीय विधिज्ञ परिषद	
श्री माधव कौशिक	साहित्य अकादमी	
लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}		
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
श्री राकेश सिन्हा	राज्य सभा	
श्री सुजीत कुमार	राज्य सभा	

सचिव : श्री नंगसंग्लेम्बा आओ

** इस श्रेणी में अधिसूचना अभी प्राप्त होनी है।*

विषय सूची

	संक्षिप्त विवरण	1
1	पत्रकारिता जगत से	5
2	आयुर्वेद दिवस रिपोर्ट – 2023	11
3	संविधान दिवस रिपोर्ट – 2023	12
4	राजपत्र अधिसूचना दिनांक 06.11.2023 भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा जारी	13
5	भारतीय प्रेस परिषद और श्रीलंका प्रेस परिषद के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू)	15
6	तिमाही के दौरान परिषद द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्तियों का संग्रह	18-22
7	प्रेस द्वारा दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (धारा 13 के अंतर्गत)	23-25
8	प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत दायर मामलों में परिषद के न्यायनिर्णय	26-77
9	प्रेस के विरुद्ध दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (धारा 14 के अंतर्गत)	78-81
10	प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के तहत दायर मामलों में परिषद के न्यायनिर्णय	82-159

संक्षिप्त विवरण

प्रेस परिषद समीक्षा - जनवरी 2024 का यह अंक 1 अक्तूबर, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक भारतीय प्रेस परिषद की गतिविधियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करता है। यह स्वतंत्र प्रेस को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन प्रदान करने, अर्ध-न्यायिक निर्णय लेने और पत्रकारिता के मानकों को बढ़ाने के लिए इसकी पहल में परिषद के प्रयासों पर प्रकाश डालता है।

परिषद के समक्ष शिकायतें:

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत परिषद में एक शिकायत तंत्र संबंधी प्रणाली है। प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 13 के तहत परिषद पत्रकारों, संपादकों, समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों द्वारा केंद्र या राज्य सरकारों सहित किसी भी संगठन या व्यक्ति के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती के लिए दायर की गई शिकायतों से निपटती है। इन शिकायतों में पत्रकारों पर उनके पत्रकारिता कर्तव्यों के निर्वहन को पूरा करने के लिए हमले/धमकी की घटना या पत्रकार या समाचार पत्रों या समाचार एजेंसियों को प्रेस सुविधाओं से वंचित करना, प्रेस के स्वतंत्र कामकाज में हस्तक्षेप या प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन और संबंधित मामलों सहित कई मुद्दे शामिल हैं। प्रेस के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाती है। यह किसी भी व्यक्ति को परिषद के समक्ष किसी भी मामले पर शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है, जो किसी समाचार पत्र में प्रकाशित या अप्रकाशित हो, जैसे कि पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन करने वाली सामग्री, जैसे कि मानहानिकारक सामग्री या पेड न्यूज या सांप्रदायिक, जातिवादी और राष्ट्र-विरोधी लेखन।

इस तिमाही के दौरान कुल 220 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 179 शिकायतें पत्रकारिता आचारनीति के उल्लंघन के लिए प्रेस के खिलाफ थीं, और 41 शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरों से संबंधित थीं। तिमाही के दौरान परिषद ने कुल 40 शिकायतों पर निर्णय दिया।

स्वप्रेरणा से संज्ञान:

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 13 के तहत, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए प्रेस के मानकों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मामलों में, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष को स्वतः संज्ञान लेने और नोटिस जारी करने या, जैसा भी मामला हो, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 और 13 के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार देती है।

तिमाही के दौरान, परिषद ने उन मामलों में स्वतः संज्ञान लिया, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडिया के चेन्नई संस्करण में सर्वोपरि राष्ट्रीय हित से संबंधित पत्रकारिता के आचरण के मानकों के उल्लंघन के मामले

सामने आए थे। परिषद ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में समाचार शीर्षक के रूप में मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन के प्रकाशन पर कई समाचार पत्रों के खिलाफ भी स्वतः संज्ञान लिया, जो प्रथम दृष्टया पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन है। तिमाही के दौरान परिषद द्वारा निम्नलिखित मामलों पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया:

1 टाइम्स ऑफ इंडिया, चेन्नई के अंक में जम्मू-कश्मीर का संदर्भ "भारतीय नियंत्रित कश्मीर" के रूप में देने के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान।

2 भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, 2023 के संबंध में पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 का उल्लंघन करने के लिए निम्नलिखित समाचार पत्रों के विरुद्ध स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया:

- दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण
- राजस्थान पत्रिका
- इंडियन एक्सप्रेस
- द टाइम्स ऑफ इंडिया
- फर्स्ट इंडिया
- इंडिया न्यूज
- सच बेधड़क
- दैनिक नवज्योति
- समाचार जगत
- हुकुमनामा समाचार (जोधपुर संस्करण)
- दैनिक जलते दीप

प्रेस विज्ञप्तियाँ

भारतीय प्रेस की गुणवत्ता को बनाए रखने और बढ़ाने से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर परिषद द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने के अलावा, प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से मीडिया को सलाह भी जारी करती है। ये सलाह पत्रकारों, समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों को उनके व्यवहार में पत्रकारिता मानकों और मानदंडों का पालन करने के लिए अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं।

इस तिमाही के दौरान, प्रेस परिषद ने निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं:

✓ कुछ राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनावों के संबंध में दिनांक 30.10.2023 को दो अलग-अलग प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की गईं, जिनमें मीडिया को जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत निषेध अवधि के दौरान किसी भी रूप में चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी प्रकाशित

करने से परहेज करने की सलाह दी गई, ताकि विधानसभा चुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें और पेड न्यूज़ संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया जा सके।

- ✓ प्रेस परिषद द्वारा दिनांक 07.11.2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें मीडिया को आगामी आम विधान सभा चुनावों और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों के लिए मीडिया कवरेज के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा जारी दिनांक 31.10.2023 की अधिसूचना का अनुपालन करने की सलाह दी गई।

श्रद्धांजलि

परिषद द्वारा श्री के.एस. सचिदानंद मूर्ति, पूर्व सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2023

भारतीय प्रेस परिषद ने 16 नवंबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "कृत्रिम मेधा के युग में मीडिया" विषय पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 मनाया। समारोह की शुरुआत भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ तथा सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में की गई। जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने मुख्य भाषण दिया और भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने समारोह की अध्यक्षता की।

विचारों का आदान-प्रदान, 2023

श्रीलंका प्रेस परिषद और भारतीय प्रेस परिषद के बीच 17.11.2023 को नई दिल्ली में भारतीय प्रेस परिषद के सम्मेलन कक्ष में विचारों के आदान-प्रदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए दोनों परिषदों के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया। अध्यक्ष श्री महिंदा पथिराना के नेतृत्व में श्रीलंका प्रेस परिषद के प्रतिनिधि भी इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए कार्यक्रम में उपस्थित थे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2023 के अवसर पर देशभर के गणमान्य व्यक्तियों के सद्भावना संदेशों से युक्त स्मारिका (Souvenir), 2023 का विमोचन किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

<u>राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस</u>

परिषद द्वारा 10 नवंबर, 2023 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। जिसमे निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा परिषद के कर्मचारियों के द्वारा शपथ ली गई और कार्यक्रम के दौरान ई-किट वितरित की गई।

सतर्कता जागरूकता अभियान सप्ताह

परिषद द्वारा 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। परिषद द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ की गईं, जिनमें परिसर में बैनर प्रदर्शन, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता और अन्य जागरूकता कार्य योजना शामिल थी।

संविधान दिवस

परिषद में 26 नवंबर, 2023 को संविधान दिवस भी मनाया गया। परिषद ने इस अवसर पर अपनी कार्य योजना के अनुसार विभिन्न गतिविधियाँ कीं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सप्ताह

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सप्ताह की कार्ययोजना के एक भाग के रूप में, भारतीय प्रेस परिषद के परिसर के विभिन्न स्थानों पर SHE बॉक्स स्थापित किए गए हैं और जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर भी चिपकाए गये।

पत्रकारिता जगत से

पत्रकारिता की सुरक्षा व फर्जी खबरों से निपटने को कानून बनाने की मांग

पत्रकारों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने मीडिया के सामने रोजाना आने वाली चुनौतियों पर विचार–विमर्श के दौरान सच सामने लाने का प्रयास करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और फर्जी खबरें फैलाने वालों से निपटने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग की।

भारतीय पत्रकार संघ (आईजेयू) के बैनर तले यहां आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठी में उपस्थित पत्रकारों ने मीडिया अयोग स्थापित करने की पुरानी मांग रखी। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद 'संवैधानिक रूप से मजबूत है,' लेकिन इसके पास एक आयोग के अधिकार नहीं हैं।

संगोष्ठी समन्वयक और आईजेयू के पूर्व अध्यक्ष एसएन सिन्हा ने रविवार को एक बयान में कहा, 'भारतीय पत्रकार संघ ने दैनिक आधार पर सभी स्तरों पर मीडिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें इस बात पर भी चर्चा की गई कि सच को सामने लाने की इच्छा रखने वाले पत्रकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और फर्जी खबरें फैलाने एवं 'पेड न्यूज' (रुपये लेकर खबर प्रसारित करना) प्रसारित करने वालों से कैसे निपटा जाए'।

सिन्हा ने लगभग तीन घंटे तक चले सत्र में कहा कि 12 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आईजेयू प्रतिनिधियों ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर विचार किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान 'ईमानदार पत्रकारों के आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्हें उत्पीड़न, धमकी और हिंसा से बचाने' 'के तरीके खोजने पर' चर्चा की गई।

उन्होंने कहा, 'संगोष्ठी में मीडिया सुरक्षा अधिनियम बनाने और मीडिया आयोग के गठन पर विचार–विमर्श किया गया'। आईजेयू अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी ने भी मीडिया आयोग के गठन की मांग का समर्थन किया। सिन्हा ने बताया कि आईजेयू अपनी स्थापना के बाद से प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों के लिए कैसे लड़ रहा है। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता राकेश खन्ना और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी से मानवाधिकार कार्यकर्ता बने आमोद कंठ ने आईजेयू की मांग का समर्थन किया।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली
03/10/2023

मीडिया से प्रभावित नहीं होते जजः जस्टिस नाइक

बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस प्रकाश डी नाइक ने शानिवार को कहा कि जज मीडिया से प्रभावित नहीं होते बल्कि तथ्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। वे मडगांव के जीआर विधि कॉलेज में छात्रों को संबोधित कर रहे थे।

मीडिया ट्रायल से जुड़े सवाल पर जस्टिस नाइक ने कहा, कहा जाता है कि मीडिया ट्रायलनाम की कोई चीज होती है। मीडिया के बारे में लोगों की आम धारणा यह है कि वह मामलों को गहनता से प्रचारित करने में लग जाता है और कोर्ट में मामले की सुनवाई होने से पहले ही अपना फैसला भी दे देता है, लेकिन सच ये है कि न्यायाधीश मीडिया से प्रभावित नहीं होते हैं और न ही मीड़िया रिपोर्ट पढ़कर वह फैसले सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी अदालत में जाने से पहले गवाहों का साक्षात्कार लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के मीडिया ट्रायल का अभियोजन पर असर पड़ रहा है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं हमेशा तथ्यों पर चलूंगा प्रत्येक न्यायाधीश को तथ्य के आधार पर ही चलना चाहिए कि अदालत के समक्ष क्या सुबुत हैं और अभियोजन पक्ष ने मामले को कैसे साबित किया है।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली
08/10/2023

पत्रकारों पर हमले के खिलाफ राष्ट्रपति से अपील

पत्रकारों पर जांच एजंसियों के कथित हमलावर होने के मामले पर पत्रकारों ने सभा का आयोजन किया। इसमें न्यूज क्लिक मसले पर बात रखी गई। इसके बाद तमाम प्रेस संगठनों के लोग रायसीना रोड़ स्थित प्रेस क्लब के सामने धरने पर बैठ गए। इसके तुरंत बाद केंद्रीय ट्रेड यूनियनों – क्षेत्रीय फेडरेशनों (सीटीयू) और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के मंच ने भी इसे लेकर संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें पत्रकारों पर कथित शिकंजा कसने के मामले की उन्होंने कड़ी निंदा की।

प्रेस एसोसिएशन, केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्निलिज्म, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, फॉरेन प्रेस क्लब, आल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन सहित आधा 12 से ज्यादा संगठनों ने साझा तौर पर भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने प्रेस की आजादी को बरकरार रखने की अपील राष्ट्रपति से की।

जनसत्ता
नई दिल्ली
17/10/2023

प्रेस को आजादी से काम नहीं करने देना लोकतंत्र की नींव पर हमला हैः कोर्ट

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कहा है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि प्रेस को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाए तो ये लोकतंत्र की नींव पर हमला है। एडिशनल सेशन जज (एएसजे) पवन सिंह राजावत ने फैसले में लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। जज राजावत ने दिल्ली पुलिस को न्यूज पोर्टल 'द' वायर के संपादकों के जब्त फोन–लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लौटाने के आदेश दिए है। भाजपा नेता अमित मालवीय की एफआईआर पर पुलिस ने गत अक्टूबर में 'वायर' के संपादकों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए थे। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) ने 23 सितंबर को डिवाइस लौटाने के आदेश दिए थे। दिल्ली पुलिस ने इस आदेश के खिलाफ एएसजे राजावत की कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली
20/10/2023

मीडियाकर्मियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ज़ब्त करने पर केंद्र जारी करे गाइडलाइंसः SC

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह लोगों, विशेषकर मीडिया कर्मियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाने पर दिशानिर्देश जारी करे। कोर्ट ने इसे गंभीर विषय करार दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एस.वी राजू को "जांच एजेसियों की व्यापक शक्तियों" के बारे में अपनी 'चिंता' से वाकिफ कराया। पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमे से एक याचिका फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने दायर कर जांच एजेंसियों द्वारा तलाशी और डिजिटल उपकरणों की जब्ती के लिए व्यापक दिशानिर्देश का अनुरोध किया है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उठाया गया मुद्दा काफी अहम है, क्योंकि इस बारे में कोई दिशानिर्देश नहीं है कि कब और क्यों जांच एजेसियां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करेगी। राजू ने कहा कि विषय में जटिल कानूनी मुद्दा उठाया गया है और उन्हें इसके लिए तैयारी करने के वास्ते कुछ समय चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग है जिन्होने बार–बार अपराध किये है या राष्ट्र विरोधी तत्व है, जो अहम डेटा चुरा सकते है और इसलिए कुछ संतुलन बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा, "समस्या यह है कि ये मीडिया कर्मी हैं उनके खुद के स्त्रोत हैं और अन्य पहलू हैं। यह एक गंभीर विषय है। अब "यदि आप सब कुछ ले लेंगे, तो फिर समस्या है।" 'कोर्ट ने कहा", "कुछ दिशानिर्देश जरूर होने चाहिए"। राज ने कहा कि इस विषय में कई कानूनी पहलू शामिल है और वह इन पहलुओं की पड़ताल करेंगे। पीठ ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह समय आप लोगों

के लिए खुद से यह सुनिश्चित करने का है कि इसका दुरुपयोग नहीं हो। यह एक ऐसा देश नहीं हो सकता जो केवल एजेसियों के जरिये चलता हो। ऐसा नहीं किया जा सकता'।

पीठ ने राजू से कहा कि सरकार को अवश्य ही यह विश्लेषण करना चाहिए कि किस तरह के दिशानिर्देश दोनों पक्षों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार की शक्ति और निजता का अधिकार सहित व्यक्ति के अधिकारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आजकल, जांच एजेसियां लोगों को अपनी बायोमैट्रिक जानकारी मुहैया करने के लिए मजबूर कर रही है और सभी राजनीतिक दलों की सरकारों ने इसका अनुसरण किया है। पीठ ने अगली सुनवाई को दिसंबर के लिए टाल दिया है।

नवभारत टाइम्स
नई दिल्ली
08/11/2023

फर्जी खबरों के प्रसार में सच्ची जानकारी दब जाती हैं: प्रधान न्यायाधीश

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि फर्जी खबरों के प्रसार से सच्ची जानकारी दब जाती है और गलत सूचना में लोकतांत्रिक चर्चा को कमजोर करने की ताकत होती है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों का लक्ष्य समाज के मूलभूत तत्वों अर्थात् सत्य की स्थिरता को नष्ट करना है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, प्रसार के पैमाने के आधार पर, फर्जी खबरें सच्ची जानकारी को खत्म कर देती है, जिससे विमर्श का चरित्र सच्चाई की जगह सबसे तेज आवाज से दब जाता है। उन्होंने कहा, इसलिए दुष्प्रचार में लोकतांत्रिक चर्चा को हमेशा के लिए खराब करने की शक्ति होती है, जो स्वतंत्र विचारों के बाजार को नकली कहानियों के भारी बोझ के नीचे पतन की ओर धकेल देती है। उन्होंने कहा कि हर दिन अखबार पर एक सरसरी नजर डालने से फर्जी अफवाहों और लक्षित दुष्प्रचार अभियानों से भड़की सांप्रदायिकता और नैतिकता के पैरोकार बनकर की जाने वाली हिंसा की घटनाएं देखने को मिलती हैं। दुनिया भर में चाहे वह लीबिया हो, फिलीपीन हो, जर्मनी हो या अमेरिका फर्जी खबरों के प्रसार से चुनाव और नागरिक समाज कलंकित हुआ है।

जनसत्ता
नई दिल्ली
02/12/2023

मीडियाकर्मियों से ज़ब्ती पर एजेंसियाँ फिलहाल सीबीआई मैन्युअल मानेगी

केन्द्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपराधिक मामलों की जांच के दौरान लोगों खासकर मीडियाकर्मियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने के सबंध में दिशानिर्देश बनाने पर कई दौर की चर्चा हुई है। जब तक नए दिशानिर्देश लागू नही हो जाते, केंद्रीय जांच एजेंसियाँ ऐसे उपकरणों की जब्ती के लिए सीबीआई नियमावली

का पालन करेगी। सीबीआई का किसी छानबीन के दौरान दस्तावेज और उपकरण सीज करने को लेकर अपना एक मैन्युअल है।

केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गाइडलाइंस तैयार करने को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। सीबीआई के मैन्युअल और कर्नाटक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैन्युअल को भी देखा गया है। याचिकाकताओं ने जो सुझाव दिया है, उसे भी देखा गया है। हम छह हफ्ते में इस बारे में कोर्ट को बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवबर को केंद्र से मीडिया पेशेवरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मीडियाकर्मियों और अन्य शख्स के डिजिटल उपकरणों को मनमाने तरीके से जब्त करने पर चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पत्रकारों जर्नालिस्टो के उपकरणों को मनमाने तरीके से जब्त करने के संदर्भ में गाइडलाइंस की जरूरत है। यह मसला बेहद गंभीर है। मीडियाकर्मी प्रोफेशनल्स हैं और उनके पास अपने सोर्स होते है।

नवभारत टाइम्स
नई दिल्ली
15/12/2023

छोटी–छोटी गलतियों पर जेल नहीं जाएंगे प्रकाशकः अनुराग

प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक–2023 को लेकर मीडिया एवं विरोधी दलों की आशंकाएं खारिज करते और इसे अंग्रेजों व कांग्रेस शासनकाल की गुलामी की मानसिकता से मुक्त बताते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि पहले का बिल मीडिया पर दबाव बनाने वाला था, जबकि यह बिल अवसर देने वाला है। अब अखबारों व पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और छोटी–छोटी गलतियों पर प्रकाशकों को जेल भी नहीं जाना होगा। गुरुवार को यह विधेयक लोकसभा से भी पारित हो गया।

प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग देने वाला है। इसे अंग्रेजों के जमाने के प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण बिल 1867 के स्थान पर लाया गया है। इसके पारित होने से गुलामी की मानसिकता व उस समय बने कानून से मुक्ति मिलेगी और छोटी–छोटी गलतियों पर जेल में डाले जाने का डर भी चला गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उस समय के कानून से मीडिया को दबाया जाता था, अब बढ़ाया जाएगा। डिजिटल इंडिया के माध्यम से यह होगा। पहले इसके आठ चरण थे, कई महीने लगते थे। अब एक ही बार में होगा। दो–तीन महीने में सारी औपचारिकताओं के बाद प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उस समय किताब को भी इसके अधीन लिया था, अब उसमें से किताब को निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2011 में संप्रग सरकार इस संबंध में जो बिल लाई थी, उसमें छोटे अपराध पर भी जेल का प्रविधान था। मोदी सरकार ने उसमें से वे पांच प्रविधान निकाल दिए। सिर्फ एक रखा है कि बिना अनुमति के समाचार पत्र या पत्रिका निकालने पर नोटिस देकर छह माह का समय दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। एआइएमआइएम सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने कहा, एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने माना है

कि यह विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। जलील ने कहा कि प्रेस में निरीक्षण और जांच का अधिकार अन्य एजेंसियों को दिया जाना प्रेस पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास हैं। वही, अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार प्रेस की आजादी और मीडिया के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली
22/12/2023

पत्र–पत्रिकाओं का पंजीकरण आसान होगा

संसद ने समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को आसान बनाने से संबंधित प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रिकरण विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को लोकसभा ने विधेयक पर अपनी मुहर लगाई।

राज्यसभा इस विधेयक को मानसून सत्र में ही पारित कर चुकी है। सदन में चर्चा का जबाब देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 75 साल में प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समय अब है। गुरुवार को लोकसभा में अनुराग ने विधेयक के जरिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के विपक्ष के आरोप को निराधार करार दिया। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते वह कह सकते हैं कि 75 साल में प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समय अब है। उन्होंने एआईएमएआईएम के एक सदस्य की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि गैर–कानूनी कार्य करने वाले व्यक्ति को समाचार–पत्र और पत्रिका के पंजीकरण का अधिकार क्यों मिलना चाहिए।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
22/12/2023

भारतीय प्रेस परिषद

8 वें आयुर्वेद दिवस – 2023 पर की गई कार्रवाई - रिपोर्ट

10 नवंबर, 2023 को परिषद में आयुर्वेद दिवस-2023 मनाया गया। पूर्व में तैयार की गई अपनी कार्य योजना के अनुसार परिषद ने इस अवसर पर विभिन्न कार्यकलाप किये।

आयुर्वेद दिवस - 2023 के दौरान किये गए कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

निबंध लेखन प्रतियोगिता

परिषद के सचिवालय में **"हर दिन सभी के लिए आयुर्वेद"** विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। परिषद के कर्मचारियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रविष्टियों की जांच के लिए एक अधिकारी को नामित किया गया और सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को शॉर्टलिस्ट किया गया।

प्रतिज्ञा

परिषद के कर्मचारियों ने प्राकृतिक और दीर्घ जीवन के लिए आयुर्वेदिक आहार और जीवन शैली का पालन करने और आयुर्वेद के बारे में जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया।

आयुर्वेद दिवस - 2023 पर ई-किट को साझा किया गया और परिषद के सभी कर्मचारियों में परिचालित किया गया।

भारतीय प्रेस परिषद

'संविधान' का उत्सव 26 नवंबर, 2023 को "संविधान दिवस" पर की गई कार्रवाई - रिपोर्ट

26 नवंबर, 2023 को परिषद में संविधान दिवस मनाया गया। परिषद ने इस अवसर पर अपनी पूर्व निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार विभिन्न गतिविधियाँ कीं।

26 नवंबर - 2023 को "संविधान दिवस" के दौरान की गई गतिविधियाँ इस प्रकार हैं।

- 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन (read_preamble.nic.in);
- "भारत : लोकतंत्र की जननी" पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी (constitutionquiz.nic.in)

अधिकारियों/कर्मचारियों ने उपरोक्त दोनों वेब-पोर्टल पर जाकर दोनों गतिविधियाँ की और संविधान की शपथ ली:

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं;
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता;
स्थिति और अवसर की समानता;
और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देना; हमारी संविधान सभा में आज 26 नवम्बर, 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है।

ऑनलाइन प्रस्तावना की शपथ लेने के बाद अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रमाण-पत्र प्रशासन अनुभाग को भेज दिए हैं।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112023-249926
CG-DL-E-07112023-249926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4629]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2023/कार्तिक 16, 1945
No. 4629]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2023/KARTIKA 16, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2023

का.आ. 4828(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा 'भारतीय प्रेस परिषद्' (PAN-AAABP0351P), भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (केन्द्रीय अधिनियम) के अध्याय II के पैरा 1 के तहत स्थापित एक निकाय, उस निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) प्रकाशकों और अखबारों से शुल्क की वसूली; और

(ख) भारतीय प्रेस परिषद् के बचत बैंक खातों और एफडीआर पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि भारतीय प्रेस परिषद्,:-

(क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगी;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगी।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा क्रमशः वित्तीय वर्षों 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 98 /2023 फा.सं. 300196/8/2018-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए)-I

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

भारतीय प्रेस परिषद और श्रीलंका प्रेस परिषद के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)

पत्रकारिता में सहयोग के आधार पर भारतीय प्रेस परिषद और श्रीलंका प्रेस परिषद जिन्हें इसमें इसके आगे पक्षकार कहा गया है, के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)।

अनुच्छेद I : उद्देश्य

दोनों देशों के बीच शांति पत्रकारिता को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों में सहयोग के उद्देश्य से पत्रकारिता की नीति और प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद II : सहयोग के क्षेत्र और प्रकार

क: दोनों प्रेस परिषदें, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और क्षेत्र में पत्रकारों की मुक्त गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए दो परिषदों के बीच सहयोग को बढ़ाए जाने हेतु एकसाथ मिलकर कार्य करने के लिए अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करती है।

ख: दोनों पक्षकार, उद्देश्यात्मक पत्रकारिता से संबंधित सूचना, अनुभव और जानकारी के आदान-प्रदान करने और क्षेत्र में पत्रकारों को अहिंसात्मक और शांतिमय ढंग से पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात से सहमत है।

ग: दोनों पक्षकार समय-समय पर मीडिया के कार्य-निष्पादन, मीडिया के अधिकारों के हनन और पत्रकारों व मीडिया संगठनों पर हमलों का जायजा लेंगे और उन पर रिपोर्टें प्रकाशित करेंगे।

घ: दोनों देशों में पत्रकारों के वृत्तिक कौशल में सुधार करने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं व प्रशिक्षण आयोजित करना।

ङ: दोनों प्रेस परिषद, वृत्तिक प्रेस नीति संहिता के उल्लंघन की पहचान करेंगी और पत्रकारों को दायित्वपूर्ण पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। दोनों पक्षकार पत्रकारों को एकदूसरे के देश से परिचित करवाने के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे और महत्वपूर्ण मामलों में रिपोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवायेंगे।

च: दोनों पक्षकार ऑनलाइन/प्रिंट पत्रकारिता के क्षेत्र में शोध करेंगे और इन्हे बढ़ावा देंगे।

छ: एकदूसरे के देश में प्रेस परिषद के कार्यकलापों और सहयोग की समीक्षा करने के लिए दोनों पक्षकार वर्ष में एक बार बैठक करेंगे।

ज: मुक्त और निष्पक्ष पत्रकारिता तथा एकदूसरे के देश में समाचार तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्ष सक्रिय माहौल बनाने का कार्य करेंगे। दोनों पक्ष जनता के जानने के अधिकार और एकांतता के अधिकार का संधारण सुनिश्चित करेंगे।

झ: उद्देश्यों के अनुसरण में ऐसे अन्य कार्य करना, जैसे समय-समय पर निर्धारित किए जायें।

अनुच्छेद III : केंद्रीय प्राधिकरण

भारत की गणराज्य सरकार : भारत का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
श्रीलंका सरकार : संचार मीडिया मंत्रालय (Ministry of Mass Media)

अनुच्छेद IV: कार्यांवयन और संयुक्त कार्य दल

(क) नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों में सहयोग देना;

(ख) रिपोर्टिंग संबंधी संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना;

(ग) पत्रकारिता संबंधी आदान-प्रदान कार्यक्रम (एक्स्चेंज प्रोग्राम) संचालित करना;

दोनों देशों के पत्रकारिता जगत से जुड़े बुद्धिजीवियों के साथ दोनों देशों में से किसी भी देश में द्विपक्षीय कार्यक्रमों का आयोजन

अनुच्छेद V : वित्तीय व्यवस्था

सम्मेलन, संगोष्ठी/कार्यशालाओं/बैठकों में भाग लेने, पत्रकारिता में वृत्तिक कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम या किसी अन्य शासकीय कार्य में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडल का यात्रा व्यय (आना और जाना) संबंधित प्रतिभागी देशों द्वारा वहन किया जाएगा और आतिथ्य संबंधी अन्य सभी व्यय की व्यवस्था मेजबान पक्षों द्वारा की जाएगी।

अनुच्छेद VI : परिशोधन एवं संशोधन

राजनयिक चैनल के माध्यम से पक्षकारों के बीच नोट्स के आदान-प्रदान के माध्यम से पक्षकारों की पारस्परिक लिखित सहमति से किसी भी समय समझौता ज्ञापन में संशोधन किया जा सकता है ।

अनुच्छेद VII : विवादों का निपटान

इस समझौता ज्ञापन के निर्वचन या कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी विवाद को पक्षकारों के बीच परामर्श द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा।

अनुच्छेद VIII : प्रभावी होने, अवधि, नवीनीकरण और समाप्ति

यह समझौता ज्ञापन इस पर पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा।

यह समझौता ज्ञापन **(05) (पाँच) वर्ष** की अवधि तक प्रभावी रहेगा जब तक कि दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अपने इरादे को तीन माह पूर्व लिखित रूप

में अधिसूचित न कर दे और पक्षकारों द्वारा लिखित सहमति से आगे की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया जाएगा।

इसके साक्ष्य के रूप में अधोहस्ताक्षरियों, जिन्हें उनकी अपनी अपनी सरकार ने, समुचित रूप से प्राधिकृत किया है, ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

दो मूल प्रतियों में अंग्रेजी भाषा में **17 नवंबर 2023 को नई दिल्ली** में हस्ताक्षर किए गए।

भारत की गणराज्य सरकार हेतु	श्रीलंका सरकार हेतु
ह/-0	ह/-0
नाम: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई	नाम: श्री महिंदा पथिराना,
अध्यक्ष,	अध्यक्ष,
भारतीय प्रेस परिषद	श्रीलंका प्रेस परिषद

तिमाही के दौरान परिषद द्वारा जारी की गई विज्ञाप्तियों का संग्रह

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

पीआर/40/2023-पीसीआई दिनांक: 12.10.2023

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय प्रेस परिषद ने राजस्थान विधान सभा चुनाव 2023 के संबंध में समाचार शीर्षक के रूप में छद्म विज्ञापन के प्रकाशन के लिए दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिया, इंडिया न्यूज, सच बेधड़क, दैनिक नवज्योति और समाचार जगत के जयपुर संस्करण और हुकमनामा समाचार, दैनिक जलते दीप और दैनिक नवज्योति के जोधपुर संस्करण के खिलाफ लिया स्वप्रेरणा से संज्ञान।

नई दिल्ली, 23 नवंबर, 2023 : भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने राजस्थान विधान सभा चुनाव 2023 के संबंध में, समाचार मास्टहेड के ठीक नीचे, समाचार शीर्षक के रूप में छद्म बैनर शीर्षरेखा, जो पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 संस्करण का उल्लंघन प्रतीत होती है, के प्रकाशन के लिए दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिया, इंडिया न्यूज, सच बेधड़क, दैनिक नवज्योति और समाचार जगत के जयपुर संस्करण और हुकमनामा समाचार, दैनिक जलते दीप तथा दैनिक नवज्योति के जोधपुर संस्करण दिनांक 20 नवंबर, 2023 के खिलाफ स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया है।

उत्तर दर्ज़ करने के लिए उपर्युक्त सभी समाचार पत्रों के संपादकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

पीआर/46/22-23-पीसीआई   दिनांक: 17.11.2023

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2023

भारतीय प्रेस परिषद (PCI) ने 16 नवंबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "कृत्रिम मेधा के युग में मीडिया" विषय पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 मनाया।

समारोह का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया। सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री, डॉ एल मुरुगन ने सम्मानित अतिथियों के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और श्री अमिताभ कांत, जी 20 शेरपा ने आरंभ में भाषण दिया। भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

उपराष्ट्रपति ने अपने उद्घाटन भाषण में लोकतंत्र में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभाव सहित मीडिया के तेजी से विकास से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला। नीतिगत पत्रकारिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने फर्जी खबरों के प्रसार पर चिंता व्यक्त की और भारतीय प्रेस परिषद से इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने तथ्य-जांच के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से प्रमुख हस्तियों को लक्षित करने वाली फर्जी खबरों के खिलाफ, और मीडिया संगठनों से नीतिगत पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने, अपने कार्यों में इसे प्रतिबिंबित करने तथा जिम्मेदार पत्रकारिता के विकास के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाने का आह्वान किया।

पीसीआई को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह नियंत्रित करने का समय है। उपराष्ट्रपति ने वास्तविक रिपोर्टिंग और नीतिगत पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कुछ घटनाओं के मामले में मीडिया में सुखद प्रभाव प्रदान करने की क्षमता है। हालांकि, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां अवसर पर मीडिया की ओर से चूक हो गई और इसके बजाय वह हानिकारक सनसनी पैदा

करने में लग गया। श्री धनखड़ ने प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने में सरकार के कर्तव्य को दोहराया और कोविड-19 महामारी के दौरान मीडिया के प्रदर्शन के लिए उसे बधाई दी। सत्य की खोज के लिए समर्पित पत्रकारों को प्रोत्साहित करते हुए, उन्होंने रेखांकित किया कि कोई भी तकनीक एक जानकार पत्रकार का स्थान नहीं ले सकती।

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने और लोकतंत्र में जीवंत, स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया के महत्व के लिए परिषद की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पीसीआई की उपलब्धियों को रेखांकित किया, जिसमें मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसा को लेकर कार्रवाई करना और नीतिगत पत्रकारिता के लिए दिशानिर्देश स्थापित करना शामिल है। अध्यक्ष महोदया ने पत्रकारों के लिए विशेष रूप से मीडियाकर्मियों की COVID के समय में नौकरी में हुए नुकसान को देखते हुए वित्तीय स्वतंत्रता पर परिषद का फोकस होने पर जोर दिया। उन्होंने सरकार की विज्ञापन और मान्यता नीतियों और मीडिया पर इसके प्रभाव की जांच करने, संघर्ष की स्थितियों में मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश विकसित करने और पत्रकारों की कथित अवैध गिरफ्तारी के मामलों का अध्ययन करने में पीसीआई के चल रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने मीडिया परिदृश्य में प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला और मीडिया रिपोर्टिंग में किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए एआई का मीडिया द्वारा जिम्मेदारी से उपयोग किये जाने का आह्वान किया।

मुख्य वक्ता श्री अमिताभ कांत, जी-20 शेरपा ने अपने भाषण में लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया परिदृश्य पर एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव को स्वीकार किया। श्री कांत ने पत्रकारिता में सुधार, व्यक्तिगत अंतर्वस्तु गढ़ने और समाचार तैयार करने में बदलाव लाने के लिए एआई की क्षमता को रेखांकित किया। हालांकि, उन्होंने चुनौतियों के खिलाफ भी चेतावनी दी, जैसे कि एआई द्वारा जनित डेटा संबंधी पूर्वाग्रह और गलत सूचना का प्रसार। श्री कांत ने मीडिया में पारदर्शिता, एआई के जिम्मेदारी से उपयोग और मानव बुद्धि एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच उचित समन्वय का आह्वान किया। उन्होंने मीडिया में एआई के उपयोग पर पत्रकारों को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया।

डीपफेक और फर्जी समाचारों की बहुतायत जैसी चिंता का उल्लेख करते हुए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एआई के व्यावहारिक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से फर्जी समाचारों द्वारा जनित चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रभावी उपायों के रूप में तथ्य-जांच और वॉटरमार्किंग जैसे अनुप्रयोगों के बारे में बताया। उन्होंने न्यूज़रूम में मानव संपादकों की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया और मीडिया द्वारा एआई के जिम्मेदारी से उपयोग

किये जाने की वकालत की। श्री ठाकुर ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठे प्रचार करने वाले मीडिया को लेकर भी चिंता व्यक्त की, जो राष्ट्रीय भावना को कमजोर कर रहा है और उन्होंने कहा कि इसका मुकाबला झूठ को उजागर करके और सच्चाई को कायम रखने के द्वारा किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखते हुए समाज को लाभ पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता अभिव्यक्ति की।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, डॉ. एल मुरुगन ने 1966 से मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने में पीसीआई द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जीवंत लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए जीवंत प्रेस के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने प्रौद्योगिकी के विकास और परिवर्तनों के प्रति मीडिया की अनुकूलन क्षमता, विशेष रूप से एआई के युग में, प्रकाश डाला। डॉ. मुरुगन ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2020 जारी करने सहित विभिन्न सुधारों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की सराहना की और जिम्मेदार तथा नीतिगत पत्रकारिता की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री जी ने सभी के लिए सूचना की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मीडिया की शक्ति को स्वीकार किया और किस प्रकार यह राष्ट्र के विकास में सहायता कैसे कर सकता है।

इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने स्मारिका-2023 का विमोचन किया।

इस कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, प्रख्यात पत्रकारों, पत्रकारिता के छात्रों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों आदि ने भाग लिया।

****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

पीआर/47/2023-पीसीआई

दिनांक : 23.11.2023

प्रेस विज्ञप्ति

टाइम्स ऑफ इंडिया, चेन्नई संस्करण द्वारा दिनांक 29.08.2023 के अंक में जम्मू-कश्मीर का संदर्भ "भारतीय नियंत्रित कश्मीर" के रूप में देने पर भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्वप्रेरणा से संज्ञान।

न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने मामले में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया, चेन्नई संस्करण को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया है, क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता के आचरण के मानक 2022 संस्करण के मानक 32 जो कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि से संबद्ध है, का कथित रूप से उल्लंघन किया है।

****

प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची
(धारा 13 के अंतर्गत)

क्र. सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
समाचारकर्मियों का उत्पीड़न			
1.	श्री सुशील कुमार, संवाददाता, दैनिक भास्कर, घोघरडीहा, मधुबनी, बिहार द्वारा श्री रमन कुमार, सर्किल ऑफिसर, घोघरडीहा, मधुबनी के विरुद्ध शिकायत। (13/81/2019-20-पीसीआई)	17.11.2023	टिप्पणी और निदेश के साथ समाप्त
2.	समाचार लुकआउट, इंदौर के संपादक श्री राजवर्धन शांडिलय की श्री किशोर और पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत। (408/2020-बी-पीसीआई)	17.11.2023	निराधार होने के कारण कार्रवाई बंद
3	हिन्दुस्तान पीपल के पत्रकार श्री संजय तिवारी की पुलिस आयुक्त, पूर्वी दिल्ली और पांडव नगर, दिल्ली के एस एच ओ के विरुद्ध शिकायत। (13/104/19-20)	17.11.2023	प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक से संबद्ध नहीं होने के कारण शिकायत खारिज।
4.	श्री बीके गुप्ता, संपादक, अग्रिम टाइम्स, मेरठ की श्री प्रदीप कौशिक, मेरठ (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध शिकायत। (147/2021-बी)	17.11.2023	समाप्त; शिकायतकर्ता को संबंधित पुलिस कार्यवाही में बिंदुओं को उठाने का सुझाव दिया गया
5.	संपादक, संतुलित समाचार, श्री मोहम्मद इरफान अहमद, फर्नीचरवाला, की एडवोकेट, तारिक खान, मुंबई के माध्यम से श्रीमती और श्री अशोक शेट्टी, बेवॉच रेस्टोरेंट एंड बार, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (39 / 2021—बी—पीसीआई)	17.11.2023	चूक के लिए खारिज (शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं)

6.	श्री राशिद अली सिद्दीकी, संपादक, राजधानी का दरबार, बाराबंकी की श्री धर्मेन्द्र सिंह रघुवंशी, स्टेशन हाउस क्षेत्राधिकारी थाना कोतवाली सिटी बाराबंकी उ.प्र. यू.पी. के विरुद्ध शिकायत। (16/2020-बी-पीसीआई)	17.11.2023	निपटारा होने पर समाप्त
7.	तिरूवनंतपुरम प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन में सवाल पूछने पर दो वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के संबंध में भारतीय पत्रकार संघ के महासचिव श्री जी प्रभाकरन का पत्र। (27/2020–बी–पीसीआई)	17.11.2023	केरल पुलिस को निर्देश के साथ समाप्त
प्रेस को सुविधाएं			
8.	संपादक अर्ली टाइम्स की डीआईपीआर और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विरुद्ध शिकायत। (172/2021-बी-पीसीआई)	17.11.2023	समाप्त; शिकायतकर्ता की नये सिरे से शिकायत पर विचार करेगी जम्मू-कश्मीर सरकार
9.	श्री नारायण चन्द्र चटर्जी, संपादक, ग्रामाचल शिल्पांचलेर खबर की भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार, आरएनआई के विरुद्ध शिकायत। (49/2020–बी–पीसीआई)	17.11.2023	निपटान
स्वप्रेरणा से संज्ञान			
10.	तमिल टीवी समाचार चैनल के लिए काम कर रहे श्री ग्नानदराज मोसेस के कथित हमले और हत्या के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (SM/Nov/1/2020–पीसीआई))	17.11.2023	बंद क्योंकि पुलिस द्वारा यथोचित कार्रवाई की गई
11.	श्री रमन कश्यप,एबीपी टीवी न्यूज रिपोर्टर की हत्या और श्री सुरजीत सिंह चन्नी, रिपोर्टर पर कथित हमले के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/अक्टूबर/01/2021-बी-पीसीआई)	17.11.2023	समाप्त क्योंकि पुलिस द्वारा पहले ही कार्रवाई की गई, आरोप पत्र दायर किया गया।

12.	त्रिपुरा पुलिस द्वारा सुश्री स्वर्ण झा और श्रीमती समृद्धि सकुनिया, पत्रकार को हिरासत में लेने के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/नवंबर/1/2021-बी- पीसीआई)	17.11.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद
13.	केरल के करक्कमंडपम में हिट एंड रन मामले में श्री एस वी प्रदीप, पत्रकार की हत्या के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/अप्रैल/1/2021-बी पीसीआई)	17.11.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद
14.	केरल के करक्कमंडपम में हिट एंड रन मामले में श्री एस वी प्रदीप, पत्रकार की हत्या के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (241 / 2021—बी—पीसीआई)	17.11.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद
प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती			
15.	श्री बीके गुप्ता, संपादक, अग्रिम टाइम्स, मेरठ की मेरठ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायत। (371 / 2020—बी—पीसीआई)	17.11.2023	पुलिस प्राधिकारियों और राज्य सरकार को निदेश के साथ समाप्त

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत दायर मामलों में परिषद के न्यायनिर्णय

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

क्र.सं.1 **फ़ा.सं.13/81/2019-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
1. श्री सुशील कुमार, संवाददाता, दैनिक भास्कर, घोघरडीहा, जिला मधुबनी, बिहार	1. पुलिस अधीक्षक, जिला, मधुबनी, बिहार 2. श्री रमन कुमार, अंचल अधिकारी (Circle Officer), घोघरडीहा, मधुबनी, बिहार

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 1.7.2019 को श्री सुशील कुमार, संवाददाता, दैनिक भास्कर, घोघरडीहा, मधुबनी, बिहार द्वारा श्री रमन कुमार, सर्कल ऑफिसर, घोघरडीहा, मधुबनी के खिलाफ कथित तौर पर झूठा मामला दर्ज करने के लिए दायर की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, ठेकेदार के मुंशी और ब्रह्मपुरा गाँव की पूर्व सरपंच श्रीमती रेखा देवी के पति श्री राम बाबू साह के बीच 28 और 29 मई 2019 को घोघरडीहा के ब्रह्मपुरा गाँव में सड़क निर्माण में अनियमितता पर झगड़ा हुआ था। सरपंच के पति के समर्थन में सैकड़ों ग्रामीण प्रदर्शन करने लगे। शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना मिलने पर वह घटना को कवर करने गया और फोटो व आवश्यक जानकारी लेने के बाद घटना स्थल से चला गया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि उपरोक्त घटना से संबंधित समाचार दैनिक भास्कर अखबार के 29 और 30 मई, 2019 के अंक में प्रकाशित हुए थे। बाद में उन्हें पता चला कि घोघरडीहा के अंचलाधिकारी श्री रमण कुमार ने सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने और सड़क जाम करने का आरोप लगाते हुए उनके समेत पाँच लोगों और 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ फुलपरास थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि अंचल अधिकारी (Circle Officer) हमेशा विभिन्न विवादों में लिप्त रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में दैनिक भास्कर में समाचार भी प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि अंचल अधिकारी (Circle Officer) ने उनके खिलाफ खबर नहीं छापने के लिए उन्हें कई बार प्रलोभन भी दिया था और इनकार करने पर अंचल अधिकारी (Circle Officer)

ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अंचल अधिकारी (Circle Officer) ने अपने पद का दुरुपयोग कर उन्हें झूठे मामले में फंसाया है, जो प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने परिषद से अंचल अधिकारी (Circle Officer) के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

जवाबी बयान के लिए दिनांक 6.11.2019 को पुलिस अधीक्षक, मधुबनी और श्री रमन कुमार, अंचल अधिकारी (Circle Officer), घोघरडीहा, मधुबनी को नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 20.12.2019 को अनुस्मारक भेजा गया।

अंचल अधिकारी (Circle Officer), घोघरडीहा द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

अंचल अधिकारी (Circle Officer), घोघरडीहा, मधुबनी, बिहार ने दिनांकित 13.1.2020 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से सूचित किया है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई थी। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता पंचायत समिति का सदस्य है। दिनांक 29.5.2019 को घोघरडीहा से फुलपरास जाने वाली मुख्य सड़क को हनुमान चौक, ब्रह्मपुरा में शिकायतकर्ता एवं अन्य लोगों द्वारा बाँस से अवरुद्ध कर दिया गया था। इससे उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक हित के लिए सरकारी निर्माण में बाधा उत्पन्न हुई। उनके और संबंधित थानेदार के बार-बार अनुरोध के बावजूद भी उन्होंने बाँस नहीं हटाए। इसलिए फुलपरास एसडीएम के निर्देश पर पुलिस ने बलपूर्वक बाँस को हटाया और यातायात बहाल कराया। फिर एसडीएम के निर्देश पर शिकायतकर्ता समेत पाँच और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। प्रतिवादी ने कहा है कि प्रेस और प्रशासन सरकार की प्रस्तावना है, लेकिन शिकायतकर्ता निजी स्वार्थ के लिए कई बार उच्च अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करता रहा है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायत निराधार और सच्चाई से बहुत दूर है। उन्होंने परिषद से शिकायतकर्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 17.2.2020 को प्रति टिप्पणी करते हुए स्वीकार किया कि वह पंचायत समिति का सदस्य है। उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम वे एक पत्रकार हैं और दिनांक 29.5.2019 को सूचना मिलने पर समाचार कवरेज हेतु ही घटना स्थल पर गये थे। जानकारी जुटाने के बाद वह छात्र संघ के विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए उक्त घटना स्थल से चार किलोमीटर दूर घोघरड़िया स्थित सीएमबी कॉलेज गये। इसके बाद वे दोनों समाचार लिखने और प्रसारित करने में व्यस्त हो गये। थाने में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी उन्हें 30 मई को हुई। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दोहराते हुए कहा है कि उन्होंने कभी भी पत्रकारिता का इस्तेमाल निजी हित के लिए नहीं किया है। प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में लगाए गए आरोप निराधार हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि श्री रमन कुमार ने 13.1.2020 को प्रेस परिषद को भेजे गए जवाब में अंचल अधिकारी (Circle Officer), घोघरडीहा

के पद पर लिखा था। यह तब था जब प्रशिक्षु वरिष्ठ उप समाहर्ता 22 नवंबर 2019 से 22 जनवरी 2020 तक घोघरडीहा में पदस्थापित थे।

पुलिस अधीक्षक, मधुबनी द्वारा वक्तव्य

पुलिस अधीक्षक, मधुबनी ने दिनांकित 20.8.2023 के अपने जवाब में कहा है कि श्री रमण कुमार की शिकायत पर, श्री रमण कुमार द्वारा थाना फुलपरास में (1) रामबाबू साह (2) सरोज साह (3) प्रकाश झा एवं (4) सुशील कुमार कामत के विरूद्ध सरकारी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करने के लिए आईपीसी की धारा 143/341/342/323/353 के तहत मामला संख्या 189/19 दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि जाँच के दौरान यह पाया गया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और अप्रमाणित हैं। उनका नाम मामले से हटा दिया गया है और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला 22.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया है।

शिकायतकर्ता दैनिक भास्कर के संवाददाता श्री सुशील कुमार हैं। वह मौजूद नहीं है। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद को एक ईमेल भेजकर कहा है कि आर्थिक बाधाओं के कारण वह दिल्ली आकर आज की सुनवाई में शामिल होने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि रिकॉर्ड पर विचार किया जाए और प्रतिवादी संख्या 2, अंचल अधिकारी (Circle Officer), रमण कुमार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिनिधित्व श्री प्रभाकर, पुलिस उपाधीक्षक, मधुबनी द्वारा किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 2 श्री रमण कुमार उपस्थित नहीं हैं।

दिनांक 01.07.2019 की शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा है कि ठेकेदार के मुंशी और ब्रह्मपुरा गाँव के पूर्व सरपंच श्रीमती रेखा देवी के पति श्री राम बाबू साह के बीच ब्रह्मपुरा गाँव में सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर विवाद था। 28 और 29 मई, 2019 को ग्रामीणों ने सरपंच पति के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर शिकायतकर्ता घटना की पत्रकारिता करने पहुँचा। उन्होंने तस्वीरें लीं और जरूरी जानकारी जुटाकर वहाँ से चले गए। उन्होंने दैनिक भास्कर के 29 और 30 मई 2019 के अंक में खबर प्रकाशित की। बाद में उन्हें पता चला कि प्रतिवादी संख्या 2 श्री रमण कुमार ने फुलपरास थाने में उनके समेत पाँच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है और आरोप लगाया है कि इन लोगों ने सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसे झूठे मामले में फँसाया गया है और यह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने लिखित बयान दाखिल किया है जिसमें उसने कहा है कि शिकायतकर्ता और अन्य लोगों ने बाधा उत्पन्न की थी। चौक को बाँस से जाम कर दिया गया था, जिसे हटाकर यातायात बहाल करना पड़ा। एसडीएम के निर्देशानुसार शिकायतकर्ता व अन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 के अनुसार शिकायत निराधार है। प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिनिधित्व कर

रहे श्री प्रभाकर, पुलिस उपाधीक्षक का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर की गई शिकायत की पुलिस ने जाँच की और पाया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और अप्रमाणित हैं। इसलिए, शिकायतकर्ता को आरोप से मुक्त कर दिया गया, उसका नाम मामले से हटा दिया गया और तीन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

इस कथन को ध्यान में रखते हुए, जाँच समिति को यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत वास्तविक है। वह केवल एक घटना को कवर करने गए थे और उन्हें अंचल अधिकारी (Circle Officer) श्री रमन कुमार द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। श्री रमण कुमार जाँच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। उनका आचरण निंदनीय है और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले के समान है। निस्संदेह, उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की थी और इस तथ्य को उसके वरिष्ठों को अवगत कराया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, जाँच समिति परिषद को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ मामले को समाप्त करने और इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, मधुबनी, बिहार को भेजने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा जिला मजिस्ट्रेट, मधुबनी, बिहार को आदेश की प्रति अग्रेषित करने के निर्देश और टिप्पणियों के साथ मामले के समापन का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.2 **फ़ा.सं. 408/2020-बी–पीसीआई**

शिकायतकर्ता

1. श्री राजवर्धन शांडिल्य,
   संपादक,
   समाचार लुकआउट,
   इंदौर (मध्य प्रदेश)

प्रतिवादी

1. श्री एस.के.एस. तोमर,
   नगर पुलिस अधीक्षक,
   इंदौर (मध्य प्रदेश)
2. श्री राजेंद्र चतुर्वेदी,
   पूर्व थाना प्रभारी,
   पुलिस स्टेशन सेंट्रल कोतवाली,
   इंदौर (मध्य प्रदेश)
3. श्री मनीष राय,
   पूर्व थाना प्रभारी,
   पुलिस थाना एम.पी. नगर,
   भोपाल (मध्य प्रदेश)

4. श्री रामदीन कनवा,
पूर्व थाना प्रभारी,
पुलिस थाना कनाड़िया,
(वर्तमान में पीएस-तेजाजी नगर में),
इंदौर (मध्य प्रदेश)

5. श्री एच.आर.पांडेय,
थाना प्रभारी,
पुलिस थाना कोतवाली,
सागर (मध्य प्रदेश)

6. श्री भगवती यादव,
पुत्र श्री सांवरिया यादव,
इंदौर (मध्य प्रदेश)

7. श्री किशोर वाधवानी,
पुत्र श्री खानचंद वाधवानी,
इंदौर (मध्य प्रदेश)

न्यायनिर्णय
दिनांकित 17.11.2023

यह दिनांकित 23.11.2020 शिकायत राजवर्धन शांडिल्य, संपादक, समाचार लुकआउट, इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा श्री भगवती यादव और श्री किशोर वाधवानी के खिलाफ आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें कथित तौर पर धमकाने और झूठे मामले में फँसाने के आरोप में दर्ज कराई गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार उनके द्वारा महात्मा गाँधी मार्ग में स्थित पुरातत्व विभाग की भूमि पर अवैध रूप से भवन निर्माण के संबंध में साक्ष्यों सहित- आयुक्त, नगर निगम, इंदौर को दिनांक 11.3.2020 को शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद उनके द्वारा उक्त धरोहर को भू-माफियाओं से बचाने के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दी गयी थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इससे परेशान होकर अवैध कारोबार में लिप्त श्री भगवती यादव और श्री किशोर वाधवानी ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित समाचार प्रकाशित किया था और 16.7.2020 को महात्मा गाँधी मार्ग क्षेत्र में अपने समाचार पत्र की प्रतियाँ वितरित कर रहे थे जहाँ श्री भगवती से जुड़े गुंडों ने उन पर हमला किया और बंदूक की नोक पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस स्टेशन महात्मा गाँधी मार्ग में लिखित शिकायत की थी। लेकिन पुलिस ने इसके

विपरीत उनके खिलाफ थाना एम.जी. रोड में दिनांक 24.9.2020 को धारा 107/16 के तहत मुकदमा संख्या 1086/20 एवं थाना सेंट्रल कोतवाली के अंतर्गत दिनांक 24.8.2020 को धारा 107/16 के तहत मुकदमा संख्या 870/20 झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि श्री भगवती यादव ने उनके विरूद्ध भी थाना सेंट्रल कोतवाली, इंदौर में धारा 107/16 के तहत मामला दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि श्री भगवती यादव के विरुद्ध पहले से ही छह गंभीर अपराध के मामले पुलिस थानों में दर्ज हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि श्री किशोर वाधवानी "दबंग दुनिया" अखबार चलाता है और कई अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि श्री भगवती यादव और श्री किशोर ने पुलिस की मिलीभगत से उनके खिलाफ बलात्कार जैसे आरोप साबित करने की कोशिश की। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादियों को उत्तर कथन के लिए 17.2.2021 को नोटिस जारी किए गए थे।

श्री भगवती यादव (प्रतिवादी संख्या 6) द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

श्री भगवती यादव, इंदौर ने दिनांकित 16.3.2021 के अपने लिखित बयान के माध्यम से आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उनकी पत्नी ने माननीय भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष शिकायतकर्ता के खिलाफ दिनांक 6.10.2020 को शिकायत दर्ज कराई थी। इस तथ्य को जानने पर, शिकायतकर्ता ने दुर्भावनापूर्वक उनके और श्री किशोर वाधवानी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई है। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से लगातार उनके खिलाफ झूठी और अपमानजनक खबरें प्रकाशित कर रहा है। इस संबंध में, उन्होंने दिनांक 6.10.2020 को जिला दंडाधिकारी इंदौर एवं संबंधित थाने में शिकायत की थी। प्रतिवादी ने किसी भी बिल्डर से संबंध को इनकार करते हुए आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता का उद्देश्य पत्रकारिता की आड़ में केवल अवैध धन कमाना है। प्रतिवादी ने कहा है कि वह सिटी कांग्रेस का उपाध्यक्ष हैं और उनके खिलाफ कई झूठी शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिन्हें माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत जाँच के दौरान झूठी पाई गई।

श्री आर.डी. कनवा (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

श्री आर.डी. कनवा, थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन कनाडिया (वर्तमान में तेजाजी नगर, इंदौर में पदस्थ) ने दिनांक 30.3.2021 को परिषद को प्राप्त अपना अदिनांकित लिखित वक्तव्य दायर किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता-श्री राजवर्धन शांडिल्य ने 5.2.2020 को श्री पुरूषोत्तम सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कथित तौर पर श्री किशोर वाधवानी और अन्य के कहने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के संबंध में स्टेट प्रेस क्लब सोशल मीडिया ग्रुप पर एक गलत संदेश पोस्ट किया, जिसके कारण शिकायतकर्ता की छवि खराब हुई थी। पूछताछ के दौरान श्री पुरूषोत्तम ने बताया कि वह दिनांक 28.1.2020 को दबंग दुनिया

अखबार के कार्यालय गये थे। वहाँ अध्यक्ष श्री किशोर वाधवानी अन्य लोगों से चर्चा कर रहे थे कि श्री राजवर्धन शांडिल्य एवं श्री प्रमोद दाभाड़े के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। श्री पुषोत्तम ने आगे बताया कि उन्होंने यह जानकारी श्री किशोर वाधवानी के कहने पर 28.1.2020 को मीडिया ग्रुप में पोस्ट किया था। प्रतिवादी ने कहा कि इस संदेश के कारण शिकायतकर्ता की छवि खराब हुई, इसलिए मानहानि का मामला बनता है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और उसे मामले को माननीय न्यायालय में उठाने की सलाह दी गई। प्रतिवादी ने कहा है कि दोनों पक्ष पत्रकारिता से जुड़े हैं और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत करते रहते हैं, लेकिन पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की है।

नगर पुलिस अधीक्षक, इंदौर (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

श्री एस.के.एस. तोमर, शहर पुलिस अधीक्षक, इंदौर (पश्चिम) ने दिनांक 5.4.2021 को परिषद में प्राप्त अपने अदिनांकित लिखित बयान के माध्यम से, श्री आर.डी. कनवा, थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन कनाड़िया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त लिखित बयान को दोहराया है।

श्री राजेंद्र चतुर्वेदी, थाना प्रभारी, एमजी रोड (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी-श्री राजेंद्र चतुर्वेदी, तत्कालीन स्टेशन प्रभारी, महात्मा गाँधी रोड, इंदौर ने अपने उत्तर दिनांक 31.8.2021 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि एम.जी. रोड, इंदौर में उनकी पोस्टिंग के दौरान, शिकायतकर्ता श्री राजवर्धन शांडिल्य द्वारा श्री भगवती प्रसाद के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी गयी थी। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत में उल्लिखित कोई भी घटना घटित हुआ नहीं पाया गया। हालाँकि, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्री भगवती प्रसाद के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में दिनांक 6.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शहर इंदौर को जाँच प्रतिवेदन भेजा गया था।

प्रतिवादी ने आगे कहा है कि श्री भगवती प्रसाद ने शिकायतकर्ता-श्री राजवर्धन शांडिल्य के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की थी। जाँच के दौरान पता चला कि वे एक-दूसरे पर बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगा रहे हैं। अत: पुलिस अधीक्षक, इंदौर को दिनांक 6.11.2020 के पत्र द्वारा शिकायत अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया था।

प्रतिवादी ने कहा है कि एम.जी. पुलिस थाने में पदस्थापन के दौरान शिकायतों पर उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। और जाँच में कोई अपराध नहीं पाया गया। उन्होंने आगे कहा है कि वर्ष 2020 में उनका तबादला हो गया था और इस संबंध में वर्तमान थाना प्रभारी से विस्तृत जानकारी लेना उचित होगा।

श्री मनीष राय, निरीक्षक (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

श्री मनीष राय, निरीक्षक, तत्कालीन थाना प्रभारी, म.प्र. नगर पुलिस स्टेशन, भोपाल ने अपने लिखित बयान दिनांक 24.8.2021 के माध्यम से बताया है कि वह म.प्र. नगर पुलिस स्टेशन में थाना प्रभारी के रूप में मार्च, 2019 से जून, 2020 तक पदस्थ थे। उन्होंने आगे कहा है कि उनकी पोस्टिंग

के दौरान, श्री संजय राठौड़ की शिकायत पर श्री किशोर वाधवानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 294/506/34 के तहत मामला संख्या 381/20 दर्ज किया गया था और मामले का आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। इसी दौरान उन्हें कार्यालय पुलिस अधीक्षक (दक्षिण क्षेत्र) भोपाल से श्री किशोर वाधवानी के विरुद्ध श्री राजवर्धन शांडिल्य (शिकायतकर्ता) की शिकायत भी जाँच हेतु प्राप्त हुई जिसे जाँच के लिए श्री संजय सिंह, एएसआई को सौंपी गई और उनके तबादले तक शिकायत लंबित थी। प्रतिवादी ने बताया है कि उक्त पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत की जाँच श्री आर.पी. यादव द्वारा पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक (दक्षिण क्षेत्र), भोपाल को 15.3.2021 को भेज दी गई है।

श्री किशोर वाधवानी (प्रतिवादी संख्या 7) द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

श्री किशोर वाधवानी (प्रतिवादी संख्या 7) ने अपने उत्तर दिनांक 31.5.2023 के माध्यम से शिकायत में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि शिकायत झूठी और निराधार है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 11.12.2019 के अंक में "एंटी भू माफिया टीम की आखिर किशोर पर कब होगी कार्रवाई सबसे बड़ा माफिया व जहर का सौदागर" शीर्षक के तहत उनकी तस्वीर के साथ समाचार प्रकाशित किया था। प्रतिवादी ने कहा है कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और शिकायतकर्ता ने उससे अवैध धन हड़पने के उद्देश्य से उसकी तस्वीर के साथ समाचार प्रकाशित किया है। प्रतिवादी का कहना है कि झूठी खबर के विवादित प्रकाशन से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है और इस संबंध में उन्होंने 18.09.2019 को शिकायतकर्ता को मानहानि के तहत धारा 499-500 के अंतर्गत नोटिस जारी किया है। प्रतिवादी का कहना है कि उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 499-500 के तहत अदालत में शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता को परेशान नहीं किया है। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि उसने भोपाल में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष श्री राजवर्धन शांधिला, (शिकायतकर्ता) के खिलाफ धारा 499-500/आईपीसी के तहत मामला दायर किया है जो विचाराधीन है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है; श्री यावर खान, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित हुए हैं; श्री हिमांशु, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित हुए हैं; श्री विशाल बोराडे, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से उपस्थित हुए हैं; और श्री जे.एस. कोही, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से उपस्थित हुए हैं।

शिकायतकर्ता समाचार लुकआउट, इंदौर (मध्य प्रदेश) का संपादक है। शिकायत मूल रूप से प्रतिवादी संख्या 6, श्री भगवती प्रसाद और प्रतिवादी संख्या 7, श्री किशोर वाधवानी के खिलाफ है।

2.03.2023 को, न तो शिकायतकर्ता और न ही प्रतिवादी या उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया था कि उसे सुनवाई के लिए आने में सक्षम बनाने के लिए सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। वह अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। उन्हें ऑनलाइन उपस्थित होने का विकल्प दिया गया और मामले को स्थगित कर दिया गया। जाँच समिति के दिशा-निर्देश शिकायतकर्ता को बता दिये गये। 31.05.2023 को संबंधित मामले को स्थगित कर दिया गया क्योंकि शिकायतकर्ता श्री भगवती प्रसाद तथा प्रतिवादी संख्या 6 अस्वस्थ थे। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं थे। केवल प्रतिवादी संख्या 7 का प्रतिनिधित्व श्री यावर खान ने किया था। चूँकि संबंधित मामला स्थगित हो गया था इसलिए यह मामला भी स्थगित कर दिया गया।

आज फिर शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को मामले पर मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा श्री आर.डी.कनवा थाना प्रभारी, पी.एस. कनाडिया, श्री मनीष राय पूर्व प्रभारी पी.एस. म.प्र. नागर और श्री राजेंद्र चतुर्वेदी, थाना प्रभारी एमजी रोड की प्रतिक्रियाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष व्यक्तिगत विवाद में उलझे हुए हैं। वे एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज करते हैं और बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगाते हैं। प्रतिवादी संख्या 7, श्री किशोर वाधवानी द्वारा शिकायतकर्ता, श्री राजवर्धन शांडिल्य के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत लंबित है। जाँच समिति ने पाया कि इस मामले में पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, शिकायतकर्ता पहले के अवसरों पर उपस्थित नहीं थे। इन परिस्थितियों में, जाँच समिति परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.3 **फ़ा.सं.13/104/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
1. श्री संजय तिवारी उजाला, पत्रकार/संपादक, हिंदुस्तान पीपल, दिल्ली	1. विशेष सचिव, गृह विभाग, मुख्यमंत्री सचिवालय, नई दिल्ली
	2. पुलिस आयुक्त कमिश्नर, दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली

3. विशेष आयुक्त
(अपराध शाखा), दिल्ली पुलिस,
नई दिल्ली

4. डिप्टी कमिश्नर,
(पूर्वी दिल्ली), दिल्ली पुलिस,
नई दिल्ली

5. श्री रतन पाल,
थाना प्रभारी,
पुलिस स्टेशन पांडव नगर,
नई दिल्ली

न्यायनिर्णय
दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 15.8.2019 को श्री संजय तिवारी उजाला, पत्रकार/संपादक, हिंदुस्तान पीपल, दिल्ली द्वारा दिल्ली पुलिस के खिलाफ आलोचनात्मक लेखों के प्रकाशन के कारण उन्हें कथित रूप से परेशान करने के लिए दायर की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों के गलत कामों को उजागर किया है। परिणामस्वरूप, कई बार उन्हें पुलिस ने झूठे मुकदमों में फंसाया और पूर्व में प्रेस परिषद ने भी उनकी शिकायतों पर संज्ञान लिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने एक साजिश के तहत उनका नाम पांडव नगर थाने में 'बुरे चरित्र पंजिका' (बैड कैरेक्टर रजिस्टर) में दर्ज कर दिया है, ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपना पत्रकारिता कर्तव्य ना निभा सकें। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त (पूर्वी दिल्ली) से मोबाइल पर बात की और लिखित शिकायत भी दर्ज कराई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस आए दिन उसे झूठे केस में फँसाने की धमकी देती है। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि उनका नाम 'बुरे चरित्र पंजिका' से हटा दिया जाए।

उत्तरदाताओं को 30.10.2019 को उत्तर कथन के लिए नोटिस जारी किए गए और उसके बाद 16.12.2019 को एक अनुस्मारक भेजा गया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त द्वारा उत्तर

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जिला, दिल्ली ने दिनांक 17.1.2020 के जवाब में कहा कि मामले की जाँच एसीपी, मयूर विहार के माध्यम से की गई थी। इससे पता चला कि शिकायतकर्ता, श्री संजय तिवारी, उजाला क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है और धोखाधड़ी तथा जालसाजी के 11 आपराधिक मामलों में शामिल है। क्षेत्र के ज्ञात अपराधियों की गतिविधियों के सत्यापन के लिए बीट स्टाफ द्वारा

नियमित रूप से उनसे मुलाकात की जाती है। इस संबंध में शिकायतकर्ता के आवास का भी दौरा किया गया।

एसीपी/पीजी सेल द्वारा की गई पूछताछ के दौरान, शिकायतकर्ता से उसके मोबाइल फोन नंबर यानी 9873868689 पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। पूछताछ में शामिल होने के लिए इस पते पर एक अनुरोध पत्र भी भेजा गया था लेकिन वह अपने पते पर मौजूद नहीं था। पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता**,** श्री संजय तिवारी ने अपनी अदिनांकित टिप्पणियों के माध्यम से**,** अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि पांडव नगर पुलिस ने उनका नाम अवैध रूप से रजिस्टर संख्या **10 (**बुरा चरित्र) में दर्ज किया है**,** जबकि उनके खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी शिकायतों पर उच्च अधिकारियों ने सतर्कता जाँच के आदेश पारित किए लेकिन न तो उनका बयान लिया गया और न ही उनका नाम खराब चरित्र रजिस्टर से हटाया गया। इसके विपरीत**,** विशेष शाखा और अपराध शाखा के अधिकारियों ने अवैध रूप से उनके घर में प्रवेश किया और समाचार सामग्रियों को नष्ट कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि उनके मामले की जाँच किसी मजिस्ट्रेट या किसी जाँच एजेंसी से करायी जाए। उन्होंने परिषद से पांडव नगर थाने के रजिस्टर संख्या **10** से उनका नाम हटाने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता से प्राप्त अगला पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 12.12.2022 के माध्यम से आरोप लगाया है कि श्री संजय सहरावत, एसीपी ने दुर्भावनापूर्वक पुलिस स्टेशन पांडव नगर, दिल्ली में रजिस्टर संख्या 10 (हिस्ट्रीशीटर रूप में) में उनका नाम दर्ज किया था क्योंकि उनकी शिकायतों पर एसीपी के खिलाफ सतर्कता जाँच चल रही थी। शिकायतकर्ता ने निगरानी रजिस्टर से याचिकाकर्ता का नाम हटाने से संबंधित माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों की प्रतियाँ और पंजाब पुलिस नियम, 1934 की एक प्रति पेश की है। उसने परिषद से अपना नाम रजिस्टर से हटाने का अनुरोध किया है।

सहायक पुलिस आयुक्त, मयूर विहार, दिल्ली द्वारा दर्ज की गई जाँच रिपोर्ट

सहायक पुलिस आयुक्त, उप-मंडल मयूर विहार, दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 9.12.2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि दिनांक 30.11.2016 को पुलिस स्टेशन पांडव नगर, दिल्ली में इंस्पेक्टर नीरज चौधरी, आईएससी अपराध शाखा, चाणक्यपुरी, दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत यह बताते हुए थी कि संज्ञान में आए श्री संजय तिवारी (शिकायतकर्ता) कई आपराधिक मामलों में शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह तथ्य जानने पर कि श्री संजय तिवारी जबरन वसूली और धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल हैं, तत्कालीन एस.एच.ओ, पांडव नगर ने पाया कि श्री संजय

तिवारी की गतिविधियों पर निगरानी आवश्यक थी। इसलिए, तत्कालीन एसीपी, मयूर विहार, दिल्ली द्वारा विधिवत अग्रेषित उनकी सिफारिशों पर तत्कालीन डीसीपी, पूर्वी जिले ने दिनांक 1.6.2017 के आदेश के तहत श्री संजय तिवारी की हिस्ट्रीशीट खोलने की मंजूरी दे दी और उनका नाम तदनुसार निगरानी रजिस्टर संख्या 10 में दर्ज किया गया। पंजाब पुलिस नियम, 1934 के अध्याय 23 और आदतन अपराधियों पर प्रतिबंध (पंजाब) अधिनियम, 1918 की धारा 16 का उल्लेख करते हुए, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता जबरन वसूली और धोखाधड़ी के 11 आपराधिक मामलों में शामिल है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता की गतिविधियों पर निगरानी पंजाब पुलिस नियमों के अध्याय 23 और दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 53 दिनांक 1.9.1993 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार रखी जा रही है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई दलील कि उसकी हिस्ट्रीशीट श्री संजय सहरावत, तत्कालीन एसीपी अपराध शाखा, दिल्ली के निर्देश पर खोली गई है, जिनके खिलाफ अवैध/फर्जी मुठभेड़ का भंडाफोड़ करने के आधार पर निगरानी शुरू की गई थी, गलत तथा अप्रमाणित है।

उपरोक्त रिपोर्ट दिनांक 9.12.2022 को जारी रखते हुए, सहायक पुलिस आयुक्त, उप-मंडल मयूर विहार दिल्ली ने दिनांक 13.4.2023 की रिपोर्ट के माध्यम से जोड़ा है कि शिकायतकर्ता श्री संजय तिवारी (पत्रकार) के संस्करण के अनुसार उन्होंने वर्ष 2006 में खतरे की आशंका का आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा, इस शिकायत के आधार पर, उन्होंने पुलिस सुरक्षा की माँग करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष संख्या डब्ल्यू. पी. (सीआरएल) संख्या 646/2006 के माध्यम से याचिका भी दायर की थी। इसके बाद, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग्य डीसीपी पूर्वी जिले को याचिकाकर्ता की उपरोक्त शिकायत पर गौर करने और आवश्यक कार्रवाई करने या सिफारिश करने का निर्देश देकर दिनांक 17/03/2006 के आदेश के तहत याचिका का निपटारा किया था। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2006 में शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस स्टेशन में खतरे की आशंका के संबंध में दायर की गई शिकायत के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 2012 तक की सभी प्रकार की शिकायतें और उनके संबंधित रजिस्टर आदेश संख्या 3300-8365/एचएआर/पूर्वी जिला, दिनांक 20/02/2018 के तहत पहले ही नष्ट कर दिए गए हैं। हालाँकि, शिकायतकर्ता से खतरे की आशंका के संबंध में पूछताछ की गई, जिसके बारे में उसने कहा कि फिलहाल उसे कोई खतरे की आशंका नहीं है। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता श्री संजय तिवारी (पत्रकार) के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोली गई थी और उसका नाम पंजाब पुलिस नियम 1934 की सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पीएस पांडव नगर के निगरानी रजिस्टर संख्या 10 में रखा गया था। हिस्ट्रीशीट **खोलने** की प्रक्रिया:- हिस्ट्रीशीट खोलने की प्रक्रिया पंजाब पुलिस नियम 1934 के अध्याय XXIII और दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 53, दिनांक 01/09/1993 में उल्लिखित है। **हिस्ट्रीशीट कब खोला जाए:-** पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 23.9 खंड 2 के अनुसार "निगरानी रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए किसी भी ऐसे व्यक्ति

के लिए, जो कि आदतन अपराध का आदी है या सहायक या दुष्प्रेरक माना जाता है, ऐसे व्यक्तियों का एक हिस्ट्रीशीट एक पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो द्वारा या उसके लिखित आदेश के तहत खोला जा सकता है"। **निगरानी रजिस्टर संख्या X(क)** पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 23.4 खंड 1 के अनुसार, "रेलवे पुलिस के अलावा प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक निगरानी रजिस्टर रखा जाना चाहिए" (ख) पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 23.4 खंड 3 उप-खंड बी के अनुसार निगरानी रजिस्टर उन व्यक्तियों के लिए बनाए रखा जाता है, “जिन्हें उचित रूप से आदतन अपराधी या चोरी की संपत्ति के प्राप्तकर्ता माना जाता है, चाहे उन्हें दोषी ठहराया गया हो या नहीं।" प्रतिवादी ने उल्लेख किया है कि हाल ही में शिकायतकर्ता को फिर से पहले की तरह ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया गया है और इसलिए, उसे एफआईआर संख्या 41/2023, दिनांक 17/02/2023, धारा 419/420/170 आईपीसी, पीएस स्पेशल सेल, दिल्ली के तहत गिरफ्तार किया गया है और वर्तमान में, वह न्यायिक हिरासत में है। **प्रतिवादी ने आगे उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली (पटियाला हाउस कोर्ट) को प्रतिरूपण और धोखाधड़ी वाले कॉल/व्हाट्सएप संदेशों के मामले में भी शामिल पाया गया है। इसलिए, उसे एफआईआर संख्या 55/2023, दिनांक 01/03/2023, यू/एस 170 आईपीसी और 66 सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, पीएस स्पेशल सेल, दिल्ली के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस मामले में भी वह न्यायिक हिरासत में चल रहा है।**

श्री पंकज सरोहा, निरीक्षक, पुलिस स्टेशन पड़ाव नगर, दिल्ली को परिषद के पत्र दिनांक 4.9.2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता- श्री संजय तिवारी, पत्रकार, हिंदुस्तान पीपल, दिल्ली- यदि वह जेल में हैं, को सुनवाई के लिए नोटिस देने का अनुरोध किया गया था।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

जाँच समिति द्वारा 20.1.2020, 11.12.2020, 18.2.2021, 21.9.2022, 15.12.2022 और 26.6.2023 को सुनवाई की गई।

मामला आज यानी 25.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है।

यह शिकायत दिनांक 15.8.2019 को श्री संजय तिवारी उजाला, पत्रकार/संपादक, हिंदुस्तान पीपल, दिल्ली द्वारा दिल्ली पुलिस के खिलाफ आलोचनात्मक लेखों के प्रकाशन के कारण उन्हें कथित रूप से परेशान करने के लिए दायर की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार वह पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं और उन्होंने कई राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों के गलत कामों को उजागर किया है, जिस कारण कई बार उन्हें पुलिस द्वारा

झूठे मामलों में फंसाया गया है। शिकायतकर्ता की मूल शिकायत यह है कि पुलिस ने पांडव नगर थाने के 'बुरे चरित्र पंजिका' में उसका नाम दर्ज कर लिया है ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी पत्रकारिता कर्तव्य ना निभा सकें।

शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों और विशेष सचिव, गृह विभाग, मुख्यमंत्री सचिवालय, नई दिल्ली को नोटिस जारी किए गए थे। दिनांक 26.6.2023 को शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं थे। श्री पंकज सरोहा, निरीक्षक, पुलिस स्टेशन, पांडव नगर, जो उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता न्यायिक हिरासत में है। श्री सुभाष वत्स, सहायक पुलिस आयुक्त, सब डिवीजन, मयूर विहार, दिल्ली द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। जाँच समिति ने रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। रिपोर्ट में वे सभी प्रावधान बताए गए हैं जिनके तहत किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट खोली जा सकती है और उसका नाम निगरानी रजिस्टर में डाला जा सकता है। उन मामलों की सूची भी दी गई है जिनमें शिकायतकर्ता शामिल है। जो इस प्रकार है:-

S. No.	FIR Number	Under Section	Police Station	Present Status.
1.	**299/2005** (LPC Pilferage Sting)	385/34 IPC	Anand Vihar Delhi	Acquitted
2.	**76/2007** (LPC Pilferage Sting)	419/384/468/471 IPC	C.R. Park Delhi	Discharged
3.	**180/2007** (Sting of MP's over misuse of Tribal Development Fund)	419/420/511/384/120B IPC	Parliament Street, Delhi	Pending Trial NDOH 28/01/2023
4.	**181/2007** (Sting of MP's over misuse of Tribal Development Fund)	419/420/511/384/120B IPC	Parliament Street, Delhi	Pending Trial NDOH 28/01/2023
5.	**182/2007** (Sting of MP's over misuse of Tribal Development Fund)	419/420/511/384/120B IPC	Parliament Street, Delhi	Pending Trial NDOH 28/01/2023
6.	**207/2007** (Sting of MP's over misuse of Tribal Development Fund)	419/420/384/120B IPC	Chanakyapuri Delhi	Convicted 419/420/120B IPC Read with U/s 511 IPC but pending for argument on point of sentence NDOH 05/01/2023
7.	**163/2012** (Sting on NE Leaders regarding Election Expenses)	419/420/468/471/120B IPC	Crime Branch, Delhi	Pending Trial NDOH 06/02/2023

8.	**77/16**	419/420/471 IPC	Parliament Street Delhi	Disposed as Untrace vide order dated 09/12/2019
9.	**152/2016** (Sting of MP's over misuse of Tribal Development Fund)	419/420 IPC	Chanakyapuri Delhi	Pending Investigation
10.	**169/2016**	419/420/120B IPC	Crime Branch, Delhi	Pending Trial
11.	**11/2017**	170/419/420/511/120B IPC	Crime Branch, Delhi	Pending Trial NDOH 05/01/2023

चौंकाने वाली बात यह है कि शिकायतकर्ता को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली (पटियाला हाउस कोर्ट) को प्रतिरूपण और धोखाधड़ी वाले कॉल/व्हाट्सएप संदेशों के मामले में शामिल पाया गया है और इसलिए उसे एफआईआर 55/2023 दिनांकित 1/3/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 170 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और इसी सिलसिले में वह आज न्यायिक हिरासत में है।

चूंकि शिकायतकर्ता जेल में था, जाँच समिति ने उसे जेल में सुनवाई का नोटिस देना उचित समझा। पिछले मौके पर इस आशय का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, उन्हें जेल में नोटिस दिया गया है। निरीक्षक श्री पंकज सरोहा, थाना पांडव नगर, दिल्ली आज उपस्थित हैं। उन्होंने दिनांक 15.09.2023 को एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता अभी भी न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने पुलिस द्वारा दिनांक 15.09.2023 को जेल अधीक्षक, तिहाड़ जेल, दिल्ली को संबोधित एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के बारे में विवरण दिया गया है। सुनवाई की तारीख भी बताई गई है। इंस्पेक्टर पंकज सरोहा के मुताबिक यह पत्र शिकायतकर्ता को तामील करा दिया गया है। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने अपनी ओर से पेश होने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया है। इन परिस्थितियों में और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मामला गंभीर है और इस मामले में प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई रोक नहीं लगती है, जाँच समिति परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

*****

क्र.सं.4 **फ़ा.सं.147/2021-बी–पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. श्री बी.के. गुप्ता, संपादक, अग्रिम टाइम्स, मेरठ (उत्तर प्रदेश)	1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ कैंट (उत्तर प्रदेश) 2. थाना प्रभारी, थाना नौचंदी, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 3. श्री प्रदीप कौशिक, सुपुत्र श्री वेदप्रकाश कौशिक, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 7.9.2021 को श्री बी.के. गुप्ता, संपादक, अग्रिम टाइम्स और अखंड हिंद न्यूज चैनल-24 के प्रभारी, मेरठ (यू.पी.) द्वारा श्री प्रदीप कौशिक, मेरठ के खिलाफ कथित तौर पर उन्हें परेशान करने के आरोप में दायर की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने प्रेस परिषद और विभिन्न अधिकारियों के समक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उनकी गड़बड़ियों को उजागर करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि ये अधिकारी अब उन पर शिकायतें वापस लेने का दबाव बनाने के उद्देश्य से श्री प्रदीप कौशिक के माध्यम से विभिन्न सरकारी कार्यालयों और शहर में आपत्तिजनक और अपमानजनक पर्चे वितरित/चिपका रहे हैं। पर्चे में लिखा है कि “बी.के. गुप्ता, दलाल/पत्रकार किसी को सताये तो हमें बताये”। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि श्री प्रदीप कौशिक ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन नौचंदी, मेरठ में जबरन वसूली की झूठी शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को पत्र लिखा है। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

<u>कोई उत्तर नहीं</u>

प्रतिवादियों को उत्तर वक्तव्य के लिए 17.11.2021 को नोटिस जारी किए गए थे। प्रतिवादी-श्री प्रदीप कौशिक को जारी किया गया नोटिस डाक अधिकारियों द्वारा टिप्पणी- “काफी तलाश करने पर भी प्राप्तकर्ता का पता नहीं चला” के साथ बिना पहुँचाए वापस आ गया। शिकायतकर्ता द्वारा नया पता प्रदान करने पर, परिषद के पत्र दिनांक 3.1.2022 के माध्यम से श्री प्रदीप कौशिक को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दिनांक 22.3.2022 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद किसी भी पक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

मामला आज यानी 25.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है। दोनों तरफ से कोई पेशी नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने प्रेस परिषद को एक पत्र लिखकर कहा है कि वह सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ है, हालांकि, चूंकि मामला कई बार स्थगित हो चुका है, इसलिए जाँच समिति ने मामले को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

यह शिकायत दिनांक 7.09.2021 को श्री बी.के. गुप्ता, संपादक, अग्रिम टाइम्स और अखंड हिंद न्यूज चैनल-24 के प्रभारी, मेरठ (यूपी) द्वारा श्री प्रदीप कौशिक, मेरठ के खिलाफ कथित तौर पर उन्हें परेशान करने के आरोप में दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने प्रेस परिषद और विभिन्न अधिकारियों के समक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उनकी गड़बड़ियों को उजागर करने पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि ये अधिकारी अब उन पर शिकायतें वापस लेने का दबाव बनाने के उद्देश्य से श्री प्रदीप कौशिक के माध्यम से विभिन्न सरकारी कार्यालयों और शहर में आपत्तिजनक और अपमानजनक पर्चे वितरित/चिपका रहे हैं। पर्चे में लिखा है कि "बी. के. गुप्ता, दलाल/पत्रकार किसी को सताये तो हमें बताये"। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि श्री प्रदीप कौशिक ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन नौचंदी, मेरठ में जबरन वसूली की झूठी शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को पत्र लिखा है।

सचिवालय द्वारा श्री प्रदीप कौशिक को नोटिस तामील कराने के कई प्रयास किये गये परन्तु आवास पर लगातार ताला लगा पाये जाने के कारण नोटिस तामील नहीं हो सका। रिकॉर्ड से पता चलता है कि श्री प्रदीप कौशिक को जारी किए गए नोटिस/पत्र टिप्पणियों समेत इनकार कर दिए गए या उनके आवास पर ताले बंद दरवाज़े पाए गए। जाँच समिति को ऐसा प्रतीत होता है कि श्री प्रदीप कौशिक ने भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी नोटिस से बचने की कोशिश की है। श्री प्रदीप कौशिक के इस दृष्टिकोण की निंदा की जानी चाहिए।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, शिकायतकर्ता का आरोप यह है कि श्री प्रदीप कौशिक शिकायतकर्ता की छवि खराब करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आपत्तिजनक और मानहानिकारक पर्चे वितरित कर रहे हैं। चूंकि श्री प्रदीप कौशिक द्वारा दर्ज शिकायत पुलिस स्टेशन में लंबित है, शिकायतकर्ता उन सभी बिंदुओं को वहाँ उठा सकता है जिनको यहाँ कार्यवाहियों में आग्रह किया गया है। यदि शिकायतकर्ता का मामला सही है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए प्रेस परिषद के लिए इस मामले में कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं है। जाँच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि शिकायत का समापन उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जा सकता है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत का समाप्त करने का निर्णय लेती है।

*****

क्र.सं.5 **फ़ा.सं.39/2021-बी/पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
मोहम्मद इरफ़ान अहमद, फर्नीचरवाला, संपादक, संतुलित समाचार, मस्जिद बंदर, मुंबई	1. श्री अशोक नंदू शेट्टी एवं श्रीमती अनीता अशोक शेट्टी, मालिक, बेवॉच रेस्तरां और बार, दादर पश्चिम, मुंबई
	2. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, दादर पुलिस स्टेशन, दादर पश्चिम, मुंबई

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 3.4.2021 को मोहम्मद इरफान अहमद फर्नीचरवाला, संपादक, संतुलित समाचार, मुंबई द्वारा श्री अशोक नंदू शेट्टी और श्रीमती अनीता अशोक शेट्टी, मालिक, बेवॉच रेस्तरां और बार के खिलाफ कथित तौर पर गंभीर समाचारों के प्रकाशन के कारण उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने और झूठे मानहानि के मामलों में फंसाने के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि उन्होंने जनहित में बेवॉच रेस्तरां और बार में किए जा रहे अवैध और गैरकानूनी कार्यों के संबंध में अपने समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित किए। उन्होंने कहा है कि अवैध गतिविधियों को पहले से ही सभी संबंधित सरकारी अधिकारियों के ध्यान में लाया जा रहा है और इसके संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई भी शुरू की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उनके पास बेवॉच रेस्तरां और बार की अवैध और गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में सभी दस्तावेजी सबूत हैं। इससे नाराज होकर प्रतिवादी ने उन्हें झूठे मानहानि के मामले में फंसाने की धमकी दी थी और इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत की है।

पुलिस अधीक्षक, दादर पुलिस स्टेशन, मुंबई, महाराष्ट्र और श्री अशोक नंदू शेट्टी और श्रीमती अनीता अशोक शेट्टी, दादर पश्चिम, मुंबई को 13.08.2021 को टिप्पणियों के लिए एक नोटिस जारी किया गया था।

<u>श्री अशोक शेट्टी द्वारा टिप्पणियाँ</u>

प्रतिवादी श्री अशोक शेट्टी, मालिक, बेवॉच रेस्तरां और बार, मुंबई ने 24.08.2021 को अपनी टिप्पणियों में कहा है कि वे पिछले कई वर्षों से दादर पूर्व, मुंबई में 'बेवॉच रेस्तरां और बार' चला रहे हैं। वे महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों के साथ-साथ मुंबई के स्थानीय निगम, राज्य के गृह मंत्रालय और उत्पाद शुल्क विभागों के नियमों और शर्तों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता ने उन्हें बदनाम करने के एकमात्र इरादे से बेवॉच बार और रेस्तरां के बारे में अपमानजनक लेख प्रकाशित किया है। परिणामस्वरूप वे अनावश्यक रूप से बदनाम हुए और पुलिस तंत्र गुमराह हुआ तथा समाज में उनकी बदनामी हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता मीडिया की ताकत का दुरुपयोग कर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और उन्हें बदनाम कर समाज में उनकी सामाजिक छवि खराब कर रहा है। इससे उनका सामाजिक और निजी जीवन खतरे में है। उन्होंने परिषद से शिकायतकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

जवाब दाखिल करने के लिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, पुलिस स्टेशन दादर पश्चिम, मुंबई को 13.4.2023, 18.5.2023 और 09.06.2023 को नोटिस भी जारी किया गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

<u>प्रतिवादी संख्या 1 का अगला पत्र</u>

प्रतिवादी संख्या 1- श्री अशोक नंदू शेट्टी और श्रीमती अनीता अशोक शेट्टी ने अपने पत्र दिनांक 26.9.2023 के माध्यम से अपने पहले के उत्तर को दोहराते हुए कहा है कि प्रतिवादी ने उनके खिलाफ झूठी और शरारती खबरें प्रकाशित कीं और इस तरह उन्हें बदनाम किया। प्रतिवादियों ने कहा है कि उन्होंने कोई गैरकानूनी कार्य नहीं किया है लेकिन इसके बावजूद शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि शिकायतकर्ता के अखबार पर प्रतिबंध लगाया जाए।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

इस मामले की सुनवाई पहले जाँच समिति ने 17.4.2023 और 27.6.2023 को हुई अपनी बैठकों में की थी।

मामला आज यानी 26.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिनिधित्व श्री अशोक शिंदे द्वारा किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

यह शिकायत दिनांक 3.4.2021 को श्री मोहम्मद इरफान अहमद फर्नीचरवाला, संपादक, संतुलित समाचार, मुंबई द्वारा बेवॉच रेस्तरां और बार के मालिक श्री अशोक नंदू शेट्टी और श्रीमती

अनीता अशोक शेट्टी के खिलाफ आलोचनात्मक समाचार प्रकाशन के कारण कथित तौर पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने और उन्हें झूठे मानहानि के मामलों में फंसाने के लिए दर्ज की गई है।

इस मामले में जाँच समिति पुलिस की मदद चाहती थी। हालांकि मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा गया था लेकिन जाँच समिति की सहायता के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है। जाँच समिति मुंबई पुलिस के आचरण के बारे में अपनी नाखुशी दर्ज करती है।

मामले की योग्यता पर आते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी श्री अशोक शेट्टी और श्रीमती अनीता शेट्टी दादर पश्चिम, मुंबई में बेवॉच रेस्तरां और बार नामक एक डांस बार चला रहे हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक वहाँ कुछ आपत्तिजनक गतिविधियाँ चलती रहती हैं। उन्होंने उन गतिविधियों पर लेख लिखे और इसीलिए उन्हें धमकी दी जा रही है।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। सुनवाई की पिछली तारीख पर भी वह उपस्थित नहीं थे। प्रतिवादी शेट्टियों का प्रतिनिधित्व श्री अशोक शिंदे द्वारा किया जा रहा है। श्री अशोक शिंदे ने बताया कि बेवॉच रेस्तरां और बार पिछले 25 वर्षों से चलाया जा रहा है। यह सभी नियमों और विनियमों का सावधानीपूर्वक पालन कर रहा है। लेकिन शिकायतकर्ता बेवजह बेवॉच रेस्तरां और उसके मालिकों के खिलाफ गलत इरादे से लेख लिख रहा है और उसके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। शिकायतकर्ता ने शेट्टी परिवार से पैसे की माँग की थी। इसलिए उसे डाँटना ज़रूरी है।

श्री शिंदे की दलीलों में दम प्रतीत होता है। प्रतिवादी के मामले का प्रतिवाद करने के लिए शिकायतकर्ता आज उपस्थित नहीं हुआ है। सुनवाई की पिछली तारीख पर भी वह उपस्थित नहीं थे। चूँकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हैं इसलिए उन्हें चेतावनी नहीं दी जा सकती। लेकिन शिकायतकर्ता के अनुपस्थित रहने के आचरण से ही पता चलता है कि शिकायत तुच्छ है और प्रतिवादी शेट्टी को परेशान करने के लिए दायर की गई है।

इन परिस्थितियों में, जाँच समिति परिषद को शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप में समाप्त करने की संस्तुति करती है।

<u>निर्णय</u>

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से समाप्त करने का निर्णय लेती है।

*****

क्र.सं. 6 **फ़ा.सं.16/2020-बी–पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
श्री राशिद अली सिद्दीकी, संपादक, राजधानी का दरबार, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)	1. श्री धर्मेन्द्र सिंह रघुवंशी, थाना प्रभारी, थाना कोतवाली सिटी, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 24.12.2019 को श्री राशिद अली सिद्दीकी, संपादक, राजधानी का दरबार, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) द्वारा श्री धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन कोतवाली सिटी, बाराबंकी के खिलाफ कथित तौर पर धमकी देने के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, पुलिस एक वरिष्ठ पत्रकार श्री कामरान अल्वी को जबरन और अवैध रूप से कोतवाली सिटी पुलिस स्टेशन ले गई है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और घटना की खबर भी प्रसारित की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इससे नाराज होकर प्रतिवादी- श्री धर्मेन्द्र सिंह रघुवंशी, थाना प्रभारी, थाना कोतवाली शहर, बाराबंकी ने दिनांक 23.12.2019 को उन्हें फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए उसे कई तरह से परेशान कर रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिले के उच्च पुलिस अधिकारी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

<u>कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ</u>

टिप्पणियों के लिए प्रतिवादी- श्री धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी, एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन कोतवाली शहर, बाराबंकी को 29.5.2020 को नोटिस जारी किया गया था लेकिन दिनांक 17.9.2020 और 14.9.2023 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

मामला आज यानी 26.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया है। दोनों तरफ से कोई पेशी नहीं हुई है।

जानकारी मिली है कि शिकायतकर्ता की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए शिकायत को निरस्त मानकर उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। जाँच समिति परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.7 **फ़ा.सं. 27/2020-बी–पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
श्री जी. प्रभाकरन, प्रधान सचिव, भारतीय पत्रकार संघ (आई.जे.यू.), नई दिल्ली	1. मुख्य सचिव, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम, केरल 2. पुलिस महानिदेशक एवं राज्य पुलिस प्रमुख, केरल राज्य पुलिस, पुलिस मुख्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने पर दो वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के संबंध में यह शिकायत दिनांक 2.2.2020 को श्री जी. प्रभाकरन, महासचिव, भारतीय पत्रकार संघ (आईजेयू), नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, तिरुवनंतपुरम पुलिस ने 16 जनवरी, 2020 को तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक, जो अब एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, द्वारा संबोधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों; मलयालम दैनिक 'कला प्रेमी' के ब्यूरो प्रमुख श्री कदविल रशीद और 'एशियानेट न्यूज' के वरिष्ठ समन्वयक संपादक श्री पी.जी. सुरेश कुमार के खिलाफ मामले दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि ये मामले श्री सेनकुमार की शिकायत पर दर्ज किए गए थे। श्री रशीद की शिकायत पर पुलिस ने उनके (श्री सेनकुमार) खिलाफ मामला दर्ज किया था। श्री रशीद द्वारा याचिका दायर करने के बाद श्री सेनकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था कि श्री सेनकुमार और अन्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। श्री रशीद ने यह भी शिकायत की कि श्री सेनकुमार के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर धकेल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री सेनकुमार अपने राजनीतिक समर्थकों का उपयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार

और उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने परिषद से मामले की जाँच कर जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है।

16.3.2020 को केरल सरकार से मामले के तथ्यों पर एक रिपोर्ट माँगी गई थी।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज उत्तर

श्री ज़ेविओर टी.एफ., आईपीएस, सहायक महानिरीक्षक, केरल पुलिस विभाग, तिरुवनंतपुरम ने दिनांक 1.6.2020 को एक उत्तर प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि जाँच से पता चला है कि श्री टी.पी. सेनकुमार (डीजीपी सेवानिवृत्त) और पत्रकार, श्री कदविल रशीद, 16/01/2020 को श्री टी.पी. सेनकुमार द्वारा आयोजित प्रेस क्लब, तिरुवनंतपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में एक-दूसरे के साथ बहस में उलझ गए थे। इस घटना को आधार बनाकर दोनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों को मामले दर्ज करने की अनुमति के लिए माननीय न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट-द्वितीय, तिरुवनंतपुरम को भेजा गया था। उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय की अनुमति के अनुसार, छावनी पुलिस ने श्री कदाविल रशीद की याचिका पर श्री टी.पी. सेनकुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 34 के तहत सीआर संख्या 103/2020 के रूप में मामला दर्ज किया था; और श्री टी.पी. सेनकुमार की याचिका पर श्री कदविल रशीद और श्री पी.जी. सुरेशकुमार, जो केयूडब्ल्यूजे के पदाधिकारी हैं के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 511, 323 और 34 के तहत सीआर संख्या 109/2020 के रूप में मामला दर्ज किया गया था। उनके मुताबिक इन दोनों मामलों पर जाँच की गई। श्री टी.पी. सेनकुमार ने शिकायत की थी कि श्री कदविल रशीद और श्री पी.जी. सुरेशकुमार ने इस अपराध को अंजाम देने की साजिश रची थी। लेकिन जाँच करने पर प्राधिकरण ऐसी किसी साजिश या आरोप का खुलासा नहीं कर सका जैसा कि याचिका में कहा गया था। इसलिए कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120बी, 511, 323 और 34 के तहत सीआर संख्या 109/2020 में मामले का रेफर चार्ज तैयार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आगे कहा है कि वर्तमान में इस शिकायत के संबंध में श्री कदविल रशीद और श्री पी.जी. सुरेशकुमार के खिलाफ कोई मामला नहीं है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला 26.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। दोनों तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

यह शिकायत दिनांक 2.2.2020 को श्री जी. प्रभाकरन, महासचिव, भारतीय पत्रकार संघ (आई. जे.यू.), नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का मामला यह है कि तिरुवनंतपुरम पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार, श्री कदाविल रशीद और श्री पी.जी. सुरेश कुमार के खिलाफ 10.1.2020 को तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब में पूर्व पुलिस महानिदेशक, श्री टी.पी. सेनकुमार द्वारा संबोधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछने के लिए आईपीसी की धारा 120बी, एस511, एस324 आर/डब्ल्यू एस34 के

तहत सीआर संख्या 109/2020 के तहत मामला दर्ज किया है। पत्रकार श्री रशीद ने भी श्री टी.पी. सेनकुमार के खिलाफ सीआर संख्या 103/2020 यू/एस 506 आर/डब्ल्यू 34 आईपीसी दर्ज किया। श्री रशीद का मामला यह है कि श्री सेनकुमार ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की गई। केरल पुलिस की ओर से दिनांक 1.6.2020 का एक पत्र प्रेस परिषद को संबोधित है। इस पर श्री जेवियर टी.एफ. आईपीएस (सहायक महानिरीक्षक) द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। पत्र में कहा गया है कि श्री रशीद और श्री सुरेश कुमार के खिलाफ फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं है। हालाँकि, श्री जेवियर टीएफ ने यह नहीं बताया है कि श्री सेनकुमार के खिलाफ श्री रशीद द्वारा दायर मामले का क्या हुआ है। शिकायतकर्ता श्री प्रभाकरन अब आई.जे.यू. के अध्यक्ष नहीं हैं और न ही आई.जे.यू. के सदस्य हैं। उन्होंने प्रेस परिषद को दिनांक 13.9.2023 को एक पत्र संबोधित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चूंकि वह अब आईजेयू के महासचिव नहीं हैं और चूंकि वह आई.जे.यू. के सदस्य भी नहीं हैं, इसलिए वह अब उनकी ओर से मामले का संचालन करने में असमर्थ हैं। हालाँकि, जाँच समिति द्वारा शिकायत की सुनवाई के बारे में सूचित करने के लिए प्रेस परिषद का नोटिस प्राप्त होने के बाद, वह श्री रशीद से मिलने गए जो गंभीर रूप से बीमार हैं। वह कैंसर से पीड़ित हैं। श्री रशीद ने उनसे कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके द्वारा दायर शिकायत का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत के बारे में किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। श्री प्रभाकरन ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह पता लगाना आवश्यक है कि श्री रशीद की शिकायत का क्या हुआ।

श्री प्रभाकरन के तर्क में दम है। श्री जेवियर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें प्रेस परिषद को सूचित करना चाहिए था कि श्री रशीद की शिकायत का क्या हुआ। जाँच समिति केरल पुलिस के इस आचरण पर नाराजगी व्यक्त करती है। उन्होंने एक पत्रकार की शिकायत पर बहुत कम ध्यान दिया है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायत दिनांक 2.2.2020 की है और इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करते हुए कि श्री रशीद और श्री सुरेश कुमार के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है या लंबित नहीं है, जाँच समिति परिषद को केरल पुलिस के आचरण के बारे में नाराजगी व्यक्त करने के बाद मामले को समाप्त करने की संस्तुति करती है। जाँच समिति ने परिषद से यह भी संस्तुति करती है कि वह केरल राज्य और केरल पुलिस को यह पता लगाने का निर्देश दे कि श्री रशीद द्वारा दायर मामले का क्या हुआ है और यदि इसका अभी तक समापन नहीं किया गया है तो इस तथ्य पर विचार करते हुए कि शिकायतकर्ता श्री रशीद कैंसर से पीड़ित हैं, शीघ्र ही यह सुनिश्चित किया जाए कि इसे सुनवाई के लिए लिया जाए और इसका समापन किया जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा केरल पुलिस को उपरोक्त निर्देश के साथ शिकायत का समापन करने का निर्णय लेती है।

******

प्रेस को सुविधाएं

क्र.सं.8 **फ़ा.सं.172/2021-बी–पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
संपादक, अर्ली टाइम्स, ज्वेल चौक, जम्मू	1. मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार जम्मू
	2. उप निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार जम्मू

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 16.07.2021 को संपादक, अर्ली टाइम्स, जम्मू द्वारा सूचना और जनसंपर्क विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार, जम्मू के खिलाफ कथित तौर पर कोविड-19 लॉकडाउन के बीच अर्ली टाइम्स को सरकारी विज्ञापन जारी न करने के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि अर्ली टाइम्स आरएनआई पंजीकृत है, जो 2003 से जम्मू से संचालित होने वाला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है। उन्होंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ धार्मिक लेखन के अलावा, उनका अखबार भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग भी करता है और अपनी विफलताओं के लिए, यदि कोई मौजूद है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार की भी आलोचना करता है। लेकिन जम्मू-कश्मीर सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उन्हें दबाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान, जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने विज्ञापनों का प्रवाह उनके अखबार में लगभग बंद कर दिया है, जबकि जम्मू-कश्मीर में उनके प्रतिस्पर्धियों को सूचना विभाग से दैनिक आधार पर एक हजार सेंटीमीटर से अधिक विज्ञापन मिल रहे हैं। लेकिन उन्हें "प्रतीकात्मक संकेत" के रूप में एक सप्ताह में केवल पचास सेंटीमीटर दिए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि इससे उनके अखबार पर गंभीर आर्थिक संकट आ गया है। वे अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देने में असमर्थ हैं, जिनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। उन्होंने कहा है कि उनके अखबार को सरकारी विज्ञापनों के वास्तविक हिस्से से वंचित किया जा रहा है, जबकि उन्हें पहले से ही राष्ट्रवादी होने के लिए आतंकवादी संगठनों से धमकियाँ मिल रही हैं। इस संबंध में पुलिस ने आतंकी समूहों से मिल रही धमकियों को लेकर मामले दर्ज किए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कई अभ्यावेदन के साथ सूचना विभाग में संबंधित अधिकारी से संपर्क किया है। उन्हें

अनौपचारिक रूप से बताया गया है कि जब तक वे "जम्मू-कश्मीर सरकार में भ्रष्टाचार या गलतफहमी, यदि कोई हो, के बारे में रिपोर्ट करना बंद नहीं करते" तो उनके पक्ष में विज्ञापनों का उचित हिस्सा जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से हस्तक्षेप करने और सरकार से उनके उचित हिस्से के विज्ञापन जारी कराकर उनकी समस्या का समाधान कराने का अनुरोध किया है।

उन्होंने दिनांक 12.08.2021 को पत्र के माध्यम से प्रतिवादी विभाग का ध्यान अपनी शिकायत की ओर आकर्षित किया था।

शिकायतकर्ता का अगला पत्र

शिकायतकर्ता, संपादक, अर्ली टाइम्स, डेली अखबार ने दिनांक 30.06.2022 को संचार के माध्यम से कहा है कि सरकारी विज्ञापनों से राजस्व जम्मू और कश्मीर में समाचार पत्रों की रीढ़ है, अर्ली टाइम्स समाचार पत्र के साथ हुए भेदभाव ने उन्हें संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देने में असमर्थ हैं, जिनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं और फीस का भुगतान न करने पर बच्चों को स्कूलों से बाहर किए जाने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में वो मामले को निदेशालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संज्ञान में लाए लेकिन कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

शिकायतकर्ता ने अपने एक अन्य पत्र दिनांक 29.04.2023 के माध्यम से अपनी शिकायत दोहराते हुए कहा है कि वह और उसका स्टाफ भुखमरी के कगार पर हैं। इसका कारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन जारी न करना है क्योंकि उनके अखबार में भ्रष्टाचार और मोदी जी के नये जम्मू-कश्मीर के परिकल्पना को नष्ट करने के बारे में खबरें प्रकाशित होती हैं। उन्होंने परिषद से इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने का अनुरोध किया है।

टिप्पणियों के लिए मुख्य सचिव और उप निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार, जम्मू को 18.10.2021 को नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद 16.12.2021 को एक समयबद्ध अनुस्मारक जारी किया गया था।

प्रतिवादी द्वारा लिखित वक्तव्य

संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जम्मू और कश्मीर सरकार ने दिनांक 11.8.2023 के जवाब में प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता के समाचार पत्र ने 06.04.2018 को जम्मू और कश्मीर सरकार के खिलाफ एक मनगढ़ंत राष्ट्र-विरोधी समाचार प्रकाशित किया था, जिसके लिए माननीय प्रेस परिषद द्वारा फ़ा.सं.14/172/18-19-पीसीआई में इसकी निंदा की गई थी। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने उक्त अखबार पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंध/सीमाएँ नहीं लगाई हैं और इस प्रकार, वह निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार पेशेवर तरीके से काम करने

के लिए स्वतंत्र है। प्रतिवादी के अनुसार, सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए सरकारी विज्ञापन सूचीबद्ध समाचार पत्रों में वितरित किए जाते हैं। यह जेके मीडिया नीति 2020 में निर्धारित किसी भी वित्तीय/आर्थिक सहायता प्रदान करने के बजाय सबसे प्रामाणिक और पारदर्शी तरीकों से किया जाता है, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"सरकारी विज्ञापन और संचार का उद्देश्य सरकारी कार्यक्रम नीति और पहल तथा किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं के बारे में जनता को बड़े पैमाने पर जानकारी प्रसारित करना है। इस बात पर जोर देना भी प्रासंगिक है कि, सरकारी विज्ञापन का उद्देश्य किसी भी मीडिया को वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, पेशेवर और प्रतिस्पर्धी माहौल के वृद्धि और विकास को समर्थन देना तथा निष्पक्ष जानकारी की पारदर्शी, रचनात्मक और स्वस्थ संस्कृति को बढ़ावा देना है, जो संपूर्ण नीति का सर्वोपरि उद्देश्य बना रहेगा।"

प्रतिवादी ने दोहराया है कि शिकायतकर्ता अखबार की पहले ही भारतीय प्रेस परिषद द्वारा केस डायरी संख्या F. No.14/172/ 18-19-पीसीआई में निंदा की जा चुकी है। यह जानबूझकर सरकार के खिलाफ फर्जी और झूठी खबरें प्रकाशित करने के लिए था, जिसकी अगर उस समय निंदा नहीं की गई होती, तो कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी। मीडियाकर्मियों की इस तरह की गतिविधियाँ भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा हो सकती हैं। इसके अलावा, शिकायतकर्ता के अखबार के खिलाफ फर्जी/झूठी खबरों के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने परिषद से न्याय के हित में शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

<u>प्रतिवादी का पत्र</u>

25.9.2023 को जाँच समिति के निर्देश के अनुपालन में, प्रतिवादी-उप निदेशक, सूचना, जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने पत्र दिनांक 27.9.2023 के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के खिलाफ श्री मुनीश गुप्ता (शिकायतकर्ता) द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) संख्या 4256/2019 की एक प्रति पेश की है।

<u>शिकायतकर्ता का अगला पत्र</u>

शिकायतकर्ता ने अपने संचार दिनांक 24.9.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि अप्रैल, 2018 में राष्ट्र-विरोधी समाचार प्रकाशित करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा उसके समाचार पत्र को 29.5.2019 को सेंसर किया गया था। इस संबंध में शिकायतकर्ता का कहना है कि संयुक्त निदेशक, सूचना ने अपने पत्र दिनांक 9.7.2021 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उनके समाचार पत्र ने किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी बात प्रकाशित नहीं की है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि संयुक्त निदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, जम्मू ने अपने पत्र दिनांक 22.9.2023 के माध्यम से प्रमाणित किया है कि उनका समाचार पत्र राष्ट्रीय हित में सूचना प्रसारित

करता है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रेस परिषद द्वारा उसके अखबार की निंदा करने के बाद, प्रतिवादी विभाग ने कुछ समय के लिए विज्ञापन कम कर दिए थे लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद उसके अखबार में विज्ञापन बहाल कर दिए गए और लगभग एक साल तक अखबार को विभाग द्वारा पर्याप्त विज्ञापन सहायता प्रदान की गई। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी ने भारतीय प्रेस परिषद के 2019 सेंसर ऑर्डर का हवाला देकर उनके अखबार में सरकारी विज्ञापनों को रोकने के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए पुराने ढाँचे को बाहर निकालने का प्रयास किया है। उन्होंने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

मामला 26.6.2023 को हुई पिछली सुनवाई के बाद आज यानी 25.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित है। प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व उप निदेशक सुश्री सुप्रिया कोहली द्वारा किया जा रहा है।

अर्ली टाइम्स के संपादक ने कथित तौर पर कोविड-19 लॉकडाउन के बीच अर्ली टाइम्स को सरकारी विज्ञापन जारी न करने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार, जम्मू के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की है। शिकायतकर्ता का मामला है कि अर्ली टाइम्स आरएनआई पंजीकृत है, जो 2003 से जम्मू से संचालित होने वाला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लिखने के अलावा, यह अखबार जम्मू-कश्मीर सरकार में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से निपटने में सरकार की विफलता पर भी रिपोर्टिंग करता है। इसी वजह से इस अखबार को विज्ञापन जारी नहीं किये जा रहे हैं। दरअसल जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस अखबार को अपने विज्ञापनों का प्रवाह लगभग बंद कर दिया है, जबकि इसके प्रतिस्पर्धियों को विज्ञापन मिल रहे हैं। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण अर्ली टाइम्स को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर हैं।

जम्मू-कश्मीर सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के संयुक्त निदेशक ने दिनांक 11.8.2023 के जवाब में कहा है कि शिकायतकर्ता के समाचार पत्र ने 06.04.2018 को जम्मू और कश्मीर पुलिस के बारे में मनगढ़ंत राष्ट्र विरोधी समाचार प्रकाशित किया था। जिसके लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा एफ.नं. 14/172/18-19-पीसीआई में इसकी निंदा की गई थी। दुर्भाग्यवश प्रेस परिषद में दायर शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था। पहले के न्यायनिर्णय पर जाना जरूरी है। पिछले निर्णय दिनांक 29.5.2019 का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है: -

"मामला 29.3.2019 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। जाँच समिति ने शिकायतकर्ता की ओर से संयुक्त निदेशक श्री बसीर अहमद वानी और प्रतिवादी की ओर से श्री अविनाश आज़ाद को सुना है। जाँच समिति ने शिकायत, लिखित बयान और अन्य संबंधित

*कागजात का भी अवलोकन किया है। शिकायतकर्ता " **HM penetrates J&K Police**" शीर्षक के साथ एक खबर प्रकाशित होने से व्यथित है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उपरोक्त कहानी बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत है और इससे जम्मू-कश्मीर पुलिस के मनोबल पर असर पड़ा है। प्रतिवादी ने अपने उत्तर में कहा है कि कहानी का स्रोत एक वेब पोर्टल है। कहानी में प्रतिवादी अखबार ने यह नहीं बताया कि वेब पोर्टल से क्या उठाया गया है। अखबार ने इस कहानी को ऐसे पेश किया जैसे यह उसकी अपनी कहानी हो। यदि, प्रतिवादी समाचार पत्र ने वेब पोर्टल से कहानी उठाई थी तो उसे कहानी में ऐसा संकेत देना चाहिए था। जाँच समिति की राय है कि इतनी बड़ी और दूरगामी परिणाम वाली कहानी को यूं ही प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए था। जाँच समिति अनुशंसा करती है कि प्रतिवादी समाचार पत्र की निंदा की जाए। इस आदेश की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए डीएवीपी, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जम्मू-कश्मीर और जिला मजिस्ट्रेट, जम्मू को भेजी जाए।''*

यह एक गंभीर मामला है। शिकायत में इसका खुलासा न किया जाना मामले की गंभीरता को बढ़ाता है। जाँच समिति ने शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को विस्तार से सुना है। शिकायतकर्ता की मुख्य शिकायत यह है कि जम्मू-कश्मीर सरकार उनके अखबार को विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। जम्मू और कश्मीर सरकार का उत्तर यह है कि जम्मू-कश्मीर मीडिया नीति, 2020 द्वारा निर्दिष्ट आम जनता को सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के बारे में सबसे प्रामाणिक और पारदर्शी तरीके से जागरूक कराने के लिए सरकारी विज्ञापन सूचीबद्ध समाचार पत्रों को वितरित किए जाते हैं, न कि वित्तीय/आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की जाती है। नीति का निम्नलिखित पैराग्राफ पुन: प्रस्तुत किया गया है।

"सरकारी विज्ञापन और संचार का उद्देश्य सरकारी कार्यक्रम नीति और पहल तथा किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं के बारे में जनता को बड़े पैमाने पर जानकारी प्रसारित करना है। इस बात पर जोर देना भी प्रासंगिक है कि, सरकार का उद्देश्य किसी भी मीडिया को वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, पेशेवर और प्रतिस्पर्धी माहौल के वृद्धि और विकास को समर्थन देना तथा निष्पक्ष जानकारी की पारदर्शी, रचनात्मक और स्वस्थ संस्कृति को बढ़ावा देना है, जो संपूर्ण नीति का सर्वोपरि उद्देश्य बना रहेगा।"

जाँच समिति जम्मू-कश्मीर मीडिया नीति में दिए गए बयान से सहमत है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 29.5.2019 को शिकायतकर्ता अखबार की प्रेस परिषद द्वारा निंदा की गई है। शिकायतकर्ता ने जाँच समिति का ध्यान संयुक्त निदेशक सूचना, जम्मू द्वारा निदेशक, सूचना और जनसंपर्क, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर को भेजे गए पत्र दिनांक 9.7.2021 की ओर आकर्षित किया है। यह शिकायतकर्ता अखबार के खिलाफ दर्ज शिकायत की कार्यवाही में था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि अखबार की सामग्री की निगरानी करने वाले तत्कालीन उप निदेशक जनसंपर्क ने पैनलबद्ध समिति के सदस्य सचिव को एक पत्र लिखा था कि उक्त अखबार ने कोई भी देश विरोधी बात प्रकाशित नहीं की है। यह कथन महत्वपूर्ण है और इसकी जाँच की जानी चाहिए।

जाँच समिति की राय में क्योंकि अखबार की वर्ष 2019 में निंदा की गई थी, तो आम तौर पर इसे हर समय के लिए विज्ञापनों से वंचित नहीं किया जा सकता है, यदि अब यह जम्मू और कश्मीर मीडिया नीति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जाँच समिति की राय में किसी समाचार पत्र को इस तरह से विज्ञापनों से स्थायी रूप से वंचित करना उचित नहीं है, जब तक कि कुछ गंभीर परिस्थितियाँ न हों जिनके लिए सरकार द्वारा इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता हो। ऐसे हालात प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। जाँच समिति की राय में जम्मू-कश्मीर सरकार को शिकायतकर्ता के मामले की दोबारा जाँच करने की जरूरत है। जाँच समिति को यह भी नोट करना चाहिए कि जाँच समिति को यह बताया गया है कि शिकायतकर्ता ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में कुछ याचिका दायर की है। जाँच समिति द्वारा बार-बार पूछे जाने पर भी शिकायतकर्ता जाँच समिति को यह नहीं बता पाया कि रिट याचिका किस उद्देश्य से दायर की गई है। जम्मू-कश्मीर सरकार के वकील ने बताया कि उस याचिका में शिकायतकर्ता श्री मुनीश गुप्ता याचिकाकर्ता हैं। आश्चर्य की बात है कि जब शिकायतकर्ता को इस बारे में बताया गया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में कुछ भी लंबित नहीं है। जाँच समिति ने जम्मू-कश्मीर सरकार के वकील से याचिका की प्रति जानकारी के लिए प्रेस परिषद को भेजने का अनुरोध किया है। किसी भी मामले में चूंकि प्रेस परिषद की निंदा आदेश 29.5.2019 को पारित की गई थी, जाँच समिति का मानना है कि शिकायतकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। शिकायतकर्ता को जम्मू-कश्मीर सरकार के समक्ष सभी तथ्य रखते हुए एक उचित अभ्यावेदन दाखिल करना चाहिए और अनुरोध करना चाहिए कि उसके मामले की समीक्षा की जाए। जम्मू-कश्मीर सरकार को शिकायतकर्ता के मामले पर स्वतंत्र रूप से और प्रेस परिषद द्वारा पारित पहले के निर्णय आदेश से प्रभावित हुए बिना विचार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। यदि शिकायतकर्ता के समाचार पत्र का समग्र आचरण अच्छा है, तो जम्मू-कश्मीर सरकार को समाधानकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह आज से एक सप्ताह के भीतर सभी तथ्य बताते हुए प्रत्यावेदन दाखिल करेंगे। जम्मू-कश्मीर सरकार के वकील का कहना है कि उस शिकायत के प्राप्त होने पर जम्मू-कश्मीर सरकार स्वतंत्र रूप से अपनी नीति के अनुरूप उस पर विचार करेगी। यह कानून के अनुसार होगा तथा 29.5.2019 के पहले के निर्णय आदेश से प्रभावित नहीं होगा, जो इस आदेश प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह अवधि के भीतर किसी भी रूप में यथाशीघ्र किया जाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि शिकायतकर्ता जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा पारित आदेश से व्यथित है तो शिकायतकर्ता ऐसी कार्रवाई अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा जैसा वह उचित समझे। जाँच समिति परिषद से उपरोक्त शर्तों पर मामले का समापन करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है तथा समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपरोक्त शर्तों पर शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

क्र.सं.9 **फ़ा.सं. 49/2020-बी–पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री नारायण चन्द्र चटर्जी संपादक, ग्रामांचाल शिल्पांचलर खबर, बंगाली साप्ताहिक, जिला पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल	भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार, भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

भारतीय समाचार पत्र के रजिस्ट्रार (आरएनआई) के कार्यालय द्वारा समाचार पत्र के स्वामित्व का नाम बदलने और पंजीकरण के संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के लिए ग्रामांचल शिल्पांचलर खबर के संपादक श्री नारायण चंद्र चटर्जी से दिनांक 28.02.2020 को ईमेल द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

शिकायतकर्ता ने कहा था कि ग्रामांचल शिल्पांचलर खबर समाचार पत्र को उनकी पत्नी श्रीमती बिजॉय लक्ष्मी चटर्जी के साथ 1994 में शीर्षक क्रमांक डब्ल्यूबी बीईएन 8762 अखबार के मालिक के रूप में आबंटित किया गया था। 1994 से अखबार नियमित प्रचलन में है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, शिकायतकर्ता ने डीएम बर्धमान को सौंपे गए घोषणा पत्र के साथ अखबार के स्वामित्व के नाम में बदलाव और अन्य बदलावों के लिए आवेदन किया था। इसे 15.11.2015 को एसडीएम आसनसोल द्वारा आरएनआई को भेज दिया गया था। जवाब में, आरएनआई ने एक विसंगति सूची भेजी थी जिसे शिकायतकर्ता ने 2017 में दूर कर दिया है। इसके बाद, आरएनआई ने शिकायतकर्ता से प्रकाशक की घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसे अगस्त 2019 में फिर से पूरा किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा 03.01.2020 तक सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गईं लेकिन अखबार के स्वामित्व और पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तन नहीं किया गया।

इस संबंध में आरएनआई से ईमेल दिनांकित 28.05.2020 के माध्यम से प्रतिक्रिया माँगी गई थी।

आरएनआई द्वारा टिप्पणियाँ

भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय ने पत्र संख्या 25/1/2020-आर-III दिनांकित 02-07-2020 के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत किया था, जिसमें अतिरिक्त प्रेस रजिस्ट्रार ने कहा है कि दस्तावेज़ सभी मामलों में सही/पूर्ण पाए गए तथा प्रकाशक को 25.06.2020 को पंजीकरण का संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता को सितंबर 2021 में आरएनआई से नया पंजीकरण प्रमाण पत्र मिला था। उन्होंने आगे कहा कि देरी डाक की गलती के कारण हुई थी और आरएनआई द्वारा सहमति के अनुसार सभी विसंगतियों को दूर करने के बाद पंजीकरण जारी किया गया था जिसमें एक बिंदु वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन गैर-प्रस्तुत करना था।

(क) शिकायतकर्ता ने कहा कि GRAMANCHAL SHILPACHALER KHABAR के संबंध में आरएनआई वेबसाइट यथोचित रूप से अपडेट नहीं है।

(ख) अपर प्रेस रजिस्ट्रार ने अपने पत्र दिनांक 02.07.2020 के माध्यम से उल्लेख किया था कि सभी दस्तावेज प्राप्त करने और सभी विसंगतियों को दूर करने के बाद, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की गई थी। यह पाया गया कि 2007-2008 की वार्षिक रिपोर्ट आरएनआई वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई थी जबकि वह पहले ही कलकत्ता कार्यालय में जमा की जा चुकी थी।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 16.03.2022 के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरी हुई घोषणा प्रस्तुत की थी। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी थी और आरएनआई को इसे अपनी वेबसाइट पर अपडेट करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

आरएनआई का अगला पत्र

श्री नवल किशोर प्रसाद, पंजीकरण पर्यवेक्षक, आरएनआई ने अपने पत्र दिनांक 01.02.2023 के माध्यम से कहा है कि प्रकाशक/संपादक ग्रामांचल शिल्पांचलर खबर, बंगाली साप्ताहिक द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2007-2008 के वार्षिक विवरण को आरएनआई रिकॉर्ड में अद्यतन किया गया है। उन्होंने आगे कहा था कि 2021-22 तक कोई जुर्माना लंबित नहीं है।

शिकायतकर्ता का अगला पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 13.9.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रेस परिषद के हस्तक्षेप के बाद आरएनआई के साथ मामला सुलझा लिया गया है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला 26.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। श्री दीपक कुमार, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, जाँच समिति के समक्ष प्रतिवादी, भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार (आरएनआई) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने दिनांक 13.09.2023 को भारतीय प्रेस परिषद को एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि मामला सुलझ गया है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष समझौते पर पहुँच गए हैं।

शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है कि मामले को सुलझा हुआ माना जाए। इसलिए, जाँच समिति परिषद से शिकायत को निपटारे के रूप में समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत का समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

स्वप्रेरणा से संज्ञान

क्र.सं.10 **फ़ा.सं.SM/NOV/1/2020-पीसीआई**

"तमिलन टीवी" समाचार चैनल के लिए कार्यरत श्री ज्ञानदराज मूसा मोसेस पर कथित हमले और हत्या के संबंध में स्वत: संज्ञान।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने 25.11.2020 को यह मामला स्वत: संज्ञान से लिया जब एक समाचार रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि चेन्नई के एक पत्रकार की कांचीपुरम में उनके आवास के बाहर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मारे गए पत्रकार की पहचान मूसा के रूप में हुई, जो "तमिलन टीवी" समाचार चैनल के लिए काम करता था। कथित तौर पर ड्रग तस्करों के एक गिरोह ने पीड़ित की हत्या कर दी थी। पत्रकार की हत्या उस वक्त की गई जब वह घर जा रहा था। उसकी चीख सुनकर पत्रकार के पिता बाहर आए तो उन्होंने उसका शव खून से लथपथ पाया। जब उन्हें अस्पताल लिया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पत्रकार के परिवार ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया और न्याय की माँग की है। आगे यह भी बताया गया है कि दिनदहाड़े पत्रकार की हत्या करके अपराधियों ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो उन्हें उजागर करने की कोशिश करेंगे, उनका भी यही हश्र होगा।

मामले को स्वत: संज्ञान लेते हुए 14.12.2020 को तमिलनाडु सरकार से मामले के तथ्यों पर रिपोर्ट माँगी गई थी।

पुलिस प्राधिकरण द्वारा दर्ज जवाब

कांचीपुरम जिले के पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 28.12.2020 की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है कि 8.11.2020 को लगभग 23:00 बजे तमिलन टीवी के रिपोर्टर श्री इसरावेल **मूसा** मोसेस (23) की (1) नवमणि (2) विग्नेश उर्फ एली अप्पू (3) अताई उर्फ वेंकटेशन; और (4) मनोज ने व्यक्तिगत प्रतिशोध

के कारण हत्या कर दी थी और आरोपी नवमणि ने यह मान लिया था कि मृतक उसकी पोरामबोक भूमि बेचने की गतिविधियों के बारे में संबंधित सरकारी अधिकारियों को रिपोर्ट भेज रहा था और मृतक अक्सर अत्ताई उर्फ वेंकटेशन को गंदी भाषा में डाँटता था। आगे कहा गया है कि उपरोक्त व्यक्तिगत उद्देश्य से क्रोधित होकर सभी अभियुक्तों ने श्री इसरावेल मूसा की हत्या की थी। इस संबंध में मृतक के पिता श्री ज्ञानराज येसुदासन की शिकायत पर सोमंगलम पुलिस स्टेशन में सीआर संख्या 1238/20 धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह भी कहा गया है कि मामले के सभी आरोपियों को 9.11.2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। फिलहाल मृतक की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अभाव में मामले की जाँच चल रही है।

पुलिस प्राधिकरण द्वारा आगे का संचार

तांबरम शहर के पुलिस निरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, सोमंगलम पुलिस स्टेशन ने अपने दिनांकित 22.8.2023 पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि आरोपी नवमणि ने कबूल किया कि मृतक इसरावेल मूसा ने पोराम्बोक भूमि को हथियाने और पुलिस तथा राजस्व अधिकारी को उनके अवैध गतिविधियाँ को सूचित करके उन्हें परेशानी दी थी। जैसा कि उन्होंने सोचा कि पुलिस उन्हें इस संबंध में पूछताछ के लिए बुला सकती है, उनके बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। इसके अलावा, अताई उर्फ वेंकटेशन ने कबूल किया कि इसरावेल मूसा जब भी उससे मिलता था तो वह उसके साथ दुर्व्यवहार करता था क्योंकि उसकी माँ किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई थी। आरोपी विग्नेश उर्फ एलियाप्पू ने कबूल किया कि जब भी आरोपी गाँजे के नशे में होता था तो मृतक इसरावेल मूसा उसे गाली देता था। आगे यह भी बताया गया है कि वे सभी एक साथ शामिल हो गए और नाबालिग आरोपी मनोज मृतक को बाहर बुलाने के बहाने उनके साथ शामिल हो गया और इन सभी ने मृतक इसरावेल मूसा को खत्म करने की साजिश रची और साजिश को अंजाम दिया। इसलिए, इस मामले में धारा को 120 (बी), 341, 302 आईपीसी आर/डब्ल्यू 34 आईपीसी में बदल दिया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोली गई और कायम रखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 26.04.2021 को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, श्रीपेरंबुदूर, कांचीपुरम जिले के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी, जो पीआरसी संख्या 23/2022 के तहत फाइल पर ली गई तथा आरोपी की उपस्थिति के लिए 22.08.2023 को पोस्ट किया गया था। फिलहाल तीनों आरोपी अन्य मामलों में केंद्रीय कारागार, पुझल, चेन्नई में बंद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में अदालती कार्यवाही में तेजी लाने और सजा सुनिश्चित करने हेतु मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, जहाँ तक किशोर आरोपी मनोज का सवाल है, किशोर अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है और यह मामला जेसी संख्या 60/2023 में फाइल पर लिया गया था और आरोपी की उपस्थिति के लिए 15.09.2023 को पोस्ट किया गया है और यथाशीघ्र मामला समाप्त एवं सफल अभियोजन करने की शीघ्रता सुनिश्चित की जाएगी।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला 22.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। श्री पी.के. रवि, एसीपी और श्री शिवकुमार, पुलिस निरीक्षक, तांबरम सिटी पुलिस प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।

भारतीय प्रेस परिषद ने मामला तब स्वत: संज्ञान लिया जब समाचार रिपोर्ट से यह पता चला कि चेन्नई के पत्रकार की कांचीपुरम में उनके आवास के बाहर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मारे गए पत्रकार की पहचान मिस्टर मोसेस के रूप में हुई जो तमिलन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए काम करते थे। पत्रकार की हत्या उस वक्त की गई जब वह अपने घर जा रहे थे। कांचीपुरम जिले के पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 28.12.2020 को रिपोर्ट दर्ज की थी। इस रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया गया है कि श्री मूसा की हत्या (1) नवमणि (2) विग्नेश उर्फ एली अप्पू (3) अताई उर्फ वेंकटेशन और (4) मनोज ने की थी क्योंकि वे सरकार की जमीन हड़प रहे थे और मृतक उक्त उनके अवैध गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट कर रहा था। दिनांक 22.8.2022 की एक आगामी रिपोर्ट आज जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है और 'X' अंकित किया जाता है। यह दोहराया गया है कि नवमणि, विग्नेश और वंकटेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोर मनोज के मामले को अलग कर दिया गया है और अंतिम रिपोर्ट किशोर न्यायालय के समक्ष दायर की गई है। जहाँ तक अन्य 3 आरोपियों का सवाल है, धारा 120(बी), 341, 302 आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा 34 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। रिपोर्ट से यह भी साफ है कि रिपोर्टर मूसा की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह सरकारी जमीन हड़पने की अवैध गतिविधियों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। चूँकि पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की गई है, इसलिए मामले को लंबित रखना आवश्यक नहीं है।

जाँच समिति तंबरम सिटी पुलिस, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करती है।

चूंकि मामला दर्ज हो चुका है और आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए जाँच समिति परिषद से मामले को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

*****

क्र.सं.11 **फ़ाइल संख्या. एसएम/अक्तूबर/01/2021-बी-पीसीआई**

एबीपी टीवी न्यूज़ रिपोर्टर श्री रमन कश्यप की हत्या और रिपोर्टर श्री सुरजीत सिंह चन्नी पर हमले के संबंध में स्वत: संज्ञान।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने एबीपी टीवी न्यूज रिपोर्टर श्री रमन कश्यप की हत्या और रिपोर्टर श्री सुरजीत सिंह चन्नी पर हमले के संबंध में दिनांक 4.10.2021 को मामला स्वत: संज्ञान लिया है, जबकि अपने दिनांकित पत्र 4.10.2021 के माध्यम से भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य द्वारा इस विषय में ध्यान आकर्षित किया गया था।

परिषद सदस्य द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 03.10.2021 को तिकुनिया, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में किसानों और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के दौरान टीवी रिपोर्टर श्री सुरजीत सिंह सैनी के गंभीर रूप से घायल होने और श्री रमन कश्यप, पत्रकार के मृत्यु संबंधित सूचना दिनांक 4.10.2021 को प्राप्त हुई है। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से इस मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

दिनांक 06.10.2021 को उत्तर प्रदेश सरकार से मामले के तथ्यों पर रिपोर्ट माँगी गयी।

पुलिस अधीक्षक, खीरी से प्राप्त हुआ उत्तर

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, खीरी ने दिनांक 11.11.2021 के उत्तर के माध्यम से सूचित किया है कि मामले की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक, खीरी द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है कि दिनांक 03.10.2021 को तिकुनिया थाना के अंतर्गत घटित घटना के संबंध में दिनांक 4.10.2021 को धारा 147/148/149/279/338/304-ए/302/120-बी-आईपीसी के तहत श्री जगजीत सिंह, बहराइच की शिकायत पर श्री आशीष मिश्रा टेनी और 15-20 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा संख्या 219/2021 दर्ज किया गई है।

उक्त घटना के सन्दर्भ में दिनांक 04.10.2021 को श्री सुमित जयसवाल, खीरी के शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 147/323/324/336/302-आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा संख्या 220/2021 पंजीकृत किया गया। आगे कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर निष्पक्ष पारदर्शी जाँच के लिए एक पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मामला संख्या 219/2021 के तहत 12 संदिग्ध व्यक्तियों के साथ नामित अभियुक्त आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामला संख्या 220/2021 के तहत चार संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 03.10.2021 को हुई घटना में कुल आठ मृत व्यक्तियों में से दो व्यक्ति ज़िला बहराइच के थे, जबकि छह व्यक्ति ज़िला खीरी के हैं।

<u>पुलिस अधीक्षक, खीरी से प्राप्त अतिरिक्त उत्तर</u>

श्री गणेश प्रसाद साहा, पुलिस अधीक्षक, खीरी ने अपने दिनांकित 22.8.2023 उत्तर द्वारा सूचित किया है कि मुकदमा संख्या 219/2021 के संबंध में आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई की अगली तारीख 8.9.2023 को है। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

मामला आज यानी 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया है।

भारतीय प्रेस परिषद ने 03.10.2021 को तिकुनिया, खीरी, उत्तर प्रदेश में किसानों और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के दौरान टीवी समाचार रिपोर्टर श्री रमन कश्यप की हत्या और श्री सुजीत सिंह चन्नी, रिपोर्टर पर कथित हमले के संबंध में स्वत: संज्ञान लिया था। श्री नैपाल सिंह, एएसपी, खीरी जाँच समिति के समक्ष उपस्थित हैं। वह उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने 22.08.2023 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो जाँच की स्थिति और उसके अनुसार दायर मामले की जानकारी देता है। रिपोर्ट पर खीरी के पुलिस अधीक्षक श्री गणेश प्रसाद साहा के हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि केस संख्या 219/2021 श्री आशीष मिश्रा टेनी और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147/148/ 149/ 307/427/32634/302/120-बी/201 के तहत दर्ज किया गया है।

श्री नैपाल सिंह ने जाँच समिति को सूचित किया कि इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और सुनवाई की अगली तारीख 8 सितंबर, 2023 है। इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया गया है और 'X' के रूप में चिह्नित किया गया है।

चूंकि, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है और आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, जाँच समिति परिषद को मामले को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

<u>निर्णय</u>

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करके कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए मामले को समाप्त का निर्णय लेती है।

******

क्र.सं.12 **फ़ाइल संख्या एसएम/नवंबर/1/2021-बी-पीसीआई**

एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क की पत्रकार सुश्री स्वर्णा झा और सुश्री समृद्धि सकुनिया की हिरासत के संबंध में स्वत: संज्ञान।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क की पत्रकार सुश्री स्वर्णा झा और सुश्री समृद्धि सकुनिया की हिरासत के संबंध में 16.11.2021 को स्वत: संज्ञान लिया है। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 14.11.2021 को एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क के लिए रिपोर्टिंग करने वाली पत्रकार सुश्री स्वर्णा झा और सुश्री समृद्धि सकुनिया को असम के करीमगंज जिले के नीलम बाजार पुलिस स्टेशन में कथित आपराधिक साजिश और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और पत्रकारों पर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। पहली एफआईआर की जाँच गोमती जिले के काकरबन पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही थी, दूसरी एफआईआर उनाकोटि जिले के फातिक्रोय पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जहाँ शिकायतकर्ता, कंचन दास, एक स्थानीय वीएचपी कार्यकर्ता, ने आरोप लगाया कि शनिवार यानी 13.11.2021 को दोनों पत्रकारों ने फातिक्रोय के पॉल बाज़ार इलाके में मुसलमानों के घरों का दौरा किया और "हिंदू और त्रिपुरा सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया।" पहले मामले में पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें 70,000/- रुपये के बंधक पत्र द्वारा जमानत दे दी गई थी। अदालत ने कहा कि अगर आरोपियों को जाँच के उद्देश्य से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने, जाँच एजेंसियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की कड़ी शर्तें लगाते हुए जमानत दी जाती है, तो जाँच का उद्देश्य पर्याप्त हो सकता है। यह बताया गया है कि गोमती जिले में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि हालांकि अपराध प्रकृति गंभीर हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, रिकॉर्ड सामग्री और दोनों पक्षों की दलीलों से ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच के प्रयोजन के लिए आरोपी व्यक्तियों की हिरासत आवश्यकता नहीं हो सकती क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अत्यधिक कटौती है। इसी कारण से माननीय न्यायालय ने दोनों पत्रकारों को जमानत दे दी।

प्रेस परिषद ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया और 17.11.2021 को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा सरकार, अगरतला को टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किया।

<u>सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) त्रिपुरा द्वारा दर्ज रिपोर्ट</u>

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अपराध), त्रिपुरा ने दिनांकित पत्र 08.12.2021 के माध्यम से कहा है कि उक्त मामले की जाँच जिला पुलिस अधीक्षक, उनाकोटी, त्रिपुरा द्वारा की गई है। रिपोर्ट में

कहा गया है कि श्री कंचन दास, कुमारघाट की शिकायत पर, एचडब्ल्यू न्यूज़ नेटवर्क के दो पत्रकारों, अर्थात् श्रीमती समृद्धि सकुनिया और सुश्री स्वर्णा झा के खिलाफ धारा 120 (बी)/153 (ए)/504-आईपीसी के तहत एक विशिष्ट मामला संख्या 2021FTK039 दिनांक 14.11.2021 दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 13.11.2021 को उन्होंने फातिक्रोय पुलिस स्टेशन के तहत पालबाजार इलाके का दौरा किया और वहाँ कुछ मुस्लिम घरों का दौरा करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और त्रिपुरा सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया तथा इसमें उन्होंने जानबूझकर अपने ट्विटर हैंडल और अन्य सोशल मीडिया पर घटना में एचपी का नाम जोड़ा। जिसके कारण निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भावना प्रभावित हो सके। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 13.11.2021 को उन्होंने फातिक्रोय पुलिस स्टेशन के तहत पालबाजार इलाके का दौरा किया तथा वहाँ कुछ मुस्लिम घरों का दौरा करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और त्रिपुरा सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया तथा इसमे उन्होंने जानबूझकर अपने ट्विटर हैंडल और अन्य सोशल मीडिया पर घटना में एचपी का नाम जोड़ा। जिसके कारण निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भावना प्रभावित हो सके। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 18.11.2021 को दोनों पत्रकार अपने वकील के साथ फातिक्रोय पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुए लेकिन अस्वस्थ महसूस करने के कारण समय नहीं दे सके। उन्हें अपने वकील के साथ अगरतला जाने की अनुमति दी गई। मामले की जाँच जारी है।

आगे कहा गया है कि जिला पुलिस अधीक्षक, गोमती, त्रिपुरा की रिपोर्ट के अनुसार, काकरबन पुलिस के तहत हुरिजाला में एक प्रार्थना-कक्ष में आगजनी के लिए धारा 436 के तहत स्वत: संज्ञान मामला संख्या 2021KKB074 दिनांक 20.10.201 दर्ज किया गया था। दोनों पत्रकारों और अन्य अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ स्टेशन ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक प्रार्थना कक्ष के अंदर आधा जला हुआ पवित्र कुरान पड़ा हुआ दिखाया गया था, लेकिन जब जाँच अधिकारी ने अग्निशमन सेवा कर्मियों के साथ आगजनी स्थल का दौरा किया तो उन्हें आधा जला हुआ पवित्र कुरान नहीं मिला। आगे कहा गया है कि दोनों पत्रकारों ने अपने अज्ञात सहयोगियों के साथ मिलकर राज्य में और विशेष रूप से काकरबन पीएस क्षेत्राधिकार में सांप्रदायिक गड़बड़ी को और भड़काने की साजिश रची है। यह आईपीसी की धारा 153A/153B/193/204/504/120B के तहत काकरबन पीएस केस संख्या 2021KKB0082 दिनांक 14.11.2021 को संदर्भित करता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 14.11.2021 को जाँच के दौरान दोनों पत्रकारों ने संपर्क किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अगरतला में जाँच अधिकारी से मिलेंगे। इसके बाद असम के नीलम बाजार पुलिस स्टेशन की मदद से और अदालत की मंजूरी से मामले के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रभावित पक्ष ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अपराध), त्रिपुरा ने अपने अगले पत्र दिनांक 21.8.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि जाँच अधिकारी को मामला संख्या WP(Crl) No.504/2021 के

संबंध में पारित आदेश दिनांक 8.12.2021 की एक प्रति प्राप्त हुई है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और आदेश की प्रति देखने पर यह पाया गया कि माननीय न्यायालय ने पैरा संख्या 5 में निर्देश दिया है कि "इसके अनुसरण में आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी (i) 14.11.2021 को फातिक्रोय पुलिस स्टेशन, उनाकोटी, त्रिपुरा में दर्ज की गई 2021 की एफआईआर संख्या 39 और (ii) 14.11.2021 को पुलिस स्टेशन काकरबन उदयपुर गोमती त्रिपुरा में दर्ज की गई 2021 की एफआईआर संख्या 82"। उन्होंने आगे बताया कि मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगले आदेश के लिए लंबित है।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

मामला 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। श्री शुवोदीप रॉय, अधिवक्ता त्रिपुरा की प्रतिवादी सरकार की ओर से उपस्थित हुए।

एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क की पत्रकार सुश्री स्वर्णा झा और सुश्री समृद्धि सकुनिया की हिरासत के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और उक्त याचिका लंबित है। मामले की अगली तारीख संभावित रूप से 29 अगस्त, 2023 प्रतीत होती है। सुश्री स्वर्णा झा और सुश्री समृद्धि सकुनिया सुप्रीम कोर्ट की याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, जाँच समिति परिषद से मामले को बंद करने की संस्तुति करती है।

<u>निर्णय</u>

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को अंगीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अपनाती है तथा मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.13-14 **फ़ाइल संख्या. एसएम/अप्रैल/01/2021-बी-पीसीआई**
241/2021-बी-पीसीआई

करक्कमंडपम, केरल में श्री एस.वी. प्रदीप, पत्रकार की हिट एण्ड रन हत्या संबंधित मामले में 8.4.2021 को स्वत: संज्ञान लिया गया।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

परिषद का ध्यान अंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संदिग्ध परिस्थितियों में श्री एस.वी. प्रदीप, ब्रॉडकास्ट पत्रकार

का हिट एण्ड रन सड़क दुर्घटना में की गयी हत्या का भी जिक्र था। बताया गया कि स्थानीय पुलिस ने मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल का गठन किया है जो लक्ष्य पर हमले के विकल्प को मकसद मान रहा है। आगे कहा गया है कि मृत पत्रकार के परिवार के सदस्य ने कहा कि उनके काम के कारण उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से धमकियाँ मिल रही थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री. के. सुरेंद्रन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि श्री प्रदीप को "सत्ता में बैठे लोगों के महत्वपूर्ण रहस्यों" के बारे में जानकारी थी। मृतक अनुभवी पत्रकार ने मीडिया वन, मनोरमा न्यूज़, जयहिंद, न्यूज़ 18 और मंगलम टीवी समेत कई प्रमुख मीडिया संगठनों के लिए काम किया था।

भारतीय पत्रकार संघ ने भी उक्त घटना की ओर परिषद का ध्यान आकृष्ट कराया।

प्रेस परिषद ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया और 09.04.2021 को मुख्य सचिव, केरल सरकार और पुलिस महानिदेशक, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम को टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किया।

उत्तर

सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस विभाग, तिरुवनंतपुरम ने अपने पत्र दिनांक 24.11.2021 के माध्यम से पुलिस उपायुक्त तिरुवनंतपुरम की दिनांक 19.06.2021 की एक जाँच रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14.12.2020 को नेमोम पुलिस स्टेशन में उनके माँ के बयान के आधार पर श्री एस.वी. प्रदीप की हत्या के संबंध में धारा 302-आईपीसी के तहत सीआर. संख्या 1985/20 के रूप में मामला दर्ज किया गया था और एफआईआर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले की जाँच अब तक पत्रकार स्वर्गीय श्री एस.वी. प्रदीप द्वारा चलाये जा रहे स्कूटर के आगे चल रहे लोगों से पूछताछ और हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ करके की गई है। खुलासा हुआ है कि आरोपी का न तो स्वर्गीय श्री प्रदीप से कोई पूर्व परिचय था और न ही उसके बारे में कोई जानकारी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना स्थल पर जिस स्कूटर पर महिलाएँ यात्रा कर रही थीं, उस स्कूटर को एक लोडेड मोटर साइकिल ने ओवरटेक करना शुरू कर दिया। जब स्वर्गीय श्री प्रदीप दाहिनी ओर बढ़े और सफेद लाइन से गुजर रही मोटर साइकिल को ओवरटेक करने लगे और उसी समय उनका स्कूटर स्पीड ट्रैक से आ रही टिपर लॉरी के बाईं ओर टकरा गया। स्कूटर टिप्पर लॉरी के नीचे घुस गया और टिप्पर लॉरी का पिछला टायर स्वर्गीय श्री प्रदीप के सिर के ऊपर से गुजर गया और लॉरी बिना रुके चली गई। श्री प्रदीप के स्कूटर के आगे जिस स्कूटर पर महिलाएँ यात्रा कर रही थीं और जिस मोटर साइकिल पर सामान ढोया जा रहा था, घटना स्थल पर पहुँचने से ठीक पहले लॉरी से आगे निकल गए। टिप्पर लॉरी या महिलाओं द्वारा चलाया गया स्कूटर या भार ढोने वाली मोटर साइकिल ने स्वर्गीय श्री प्रदीप के स्कूटर का पीछा नहीं किया और वहाँ कुछ भी अप्राकृतिक नहीं हुआ था। पता चला है कि श्री प्रदीप की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस मामले की जाँच आगे भी जारी रखी जानी चाहिए ताकि यह जाँचा जा

सके कि स्वर्गीय श्री प्रदीप को किसी प्रकार की धमकियों का सामना करना पड़ा था या नहीं और श्री चिथिरा इंजीनियरिंग कॉलेज से स्पीड विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए।

श्री लालजी के, पुलिस उपायुक्त, तिरुवनंतपुरम ने अपने पत्र दिनांक 20.01.2023 के माध्यम से जाँच रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14.12.2020 को 15:15 घंटे बजे करक्कमंडपम, तिरुवनंतपुरम में एक टिप्पर लॉरी की चपेट में आने, उनके ऊपर से कुचलने और बिना रुके चले जाने से श्री एस. वी. प्रदीप नामक पत्रकार की मौत के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। मृतक की माँ के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लॉरी का नंबर KL01 CK 6949 था। जाँच करने पर पता चला कि आरोपी और पीड़िता के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और वे एक-दूसरे को नहीं जानते थे। पता चला कि मामला केवल 304 आईपीसी से संबंधित है और बाद में जाँच अधिकारी ने धारा 302 आईपीसी से बदलकर 304 आईपीसी कर दिया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगे कहा गया है कि मृतक, आरोपी और वाहन के क्लीनर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड एकत्र किए गए। सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और अधिक बयान दर्ज किए गए। पाया गया कि घटना के पूर्व 02 स्कूटरों को मृतक के अगल-बगल घूमते हुए देखा गया था। घटना के बाद पास के दुकान मालिक ने शव को सफेद कपड़े से ढक दिया था। चिकित्सीय जाँच में शरीर से कोई जहर नहीं पाया गया और यह राय दी गई कि मौत सिर और छाती पर कुंद चोटों के कारण हुई। मोबाइल फोन की जाँच से कोई संदिग्ध साक्ष्य नहीं मिला। सभी संबंधित व्यक्तियों के बैंक खाते के विवरण की जाँच की गई। कोई संदिग्ध लेन-देन नहीं मिला। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मौत में उल्लिखित अपराध के बजाय कोई संदेह नहीं है; आरोपी ने आईपीसी की धारा 279 और 304 के तहत अपराध किया है। इस मामले में कोई रहस्य या संदेहास्पद बात नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है। सीबीआई जाँच के लिए केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मृतक की माँ श्रीमती वसंतकुमारी द्वारा एक रिट याचिका डब्ल्यूपी(सी)नं-3078/2021 दायर की गई थी। प्रतिवादी ने सूचित किया है कि उन्होंने इस मामले पर सरकारी वकील से चर्चा की है और उन्होंने उनसे कहा कि मामले की अंतिम रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय प्राप्त करने के बाद ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

केरल सरकार द्वारा दर्ज उत्तर

अपर सचिव एवं विधि अधिकारी, केरल सरकार ने अपने उत्तर दिनांक 22.9.2023 के माध्यम से उपरोक्त रिपोर्ट को दोहराते हुए प्रस्तुत किया है कि मृतक की माँ, जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय केरल के समक्ष याचिका दर्ज की थी, ने आशंका जताई है कि किसी ने जानबूझकर टिपर लॉरी से टकराकर उनके बेटे की हत्या कर दी है। उन्होंने आगे कहा है कि एक सच्चा पत्रकार होने के नाते उनके बेटे के बहुत सारे दुश्मन थे और उन्हें कई तरह की धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता और मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा लगाए गए पूरे आरोप से पूछताछ कर उक्त

मामले की जाँच लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि मृतक की माँ द्वारा अपने बेटे की मौत की सीबीआई जाँच के लिए डब्ल्यूपी(सी)नं.2078/2021 दायर किया गया है, जो अभी भी माननीय केरल उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

दिनांक 14.12.2022 और 26.6.2023 की पिछली सुनवाई के बाद मामला 25.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है। सुश्री आर्य कृष्णन, अधिवक्ता केरल की उपस्थित प्रतिवादी सरकार की ओर से हुई है।

पत्रकार श्री एस.वी. प्रदीप की मृत्यु के संबंध में स्वत: संज्ञान लिया गया। मामले को हिट एण्ड रन केस बताया गया। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा श्री एस.वी. प्रदीप की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में कुछ संदेह उठाए गए थे। आज केरल राज्य के विद्वान वकील उपस्थित हैं। उन्होंने एक हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे का सार और तथ्य यह है कि श्री प्रदीप की मृत्यु आकस्मिक थी। उनकी मौत पर किसी भी तरह की संदेहास्पद स्थिति नहीं है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 304 के तहत आरोप पत्र दाखिल है और मामला लंबित है। इस तथ्य की जानकारी पहले भी जाँच समिति को दी गयी थी। हालाँकि, मामला स्थगित कर दिया गया क्योंकि मृतक की माँ, श्री प्रदीप ने केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें उनका दावा किया गया है कि मृत्यु आकस्मिक नहीं थी। केरल हाई कोर्ट ने अभी तक मामले का समापन नहीं किया है। जाँच समिति ने इस मामले को दो मौकों पर स्थगित कर दिया था ताकि उसे केरल उच्च न्यायालय का निर्णय मिल सके। अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है।

जाँच समिति का मानना है कि यदि केरल उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मृत्यु आकस्मिक नहीं थी, तो वह निश्चित रूप से मृतक की माँ, श्री प्रदीप को राहत देने के लिए उचित आदेश पारित करेगा।

मामले की परिस्थितियों में, जाँच समिति की राय है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए शिकायत का समापन किया जाना चाहिए, जिसके जाँच से पता चला है कि मौत आकस्मिक थी। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। मृतक श्री प्रदीप की माँ को परिस्थितियों की माँग होने पर याचिका के समापन के बाद प्रेस परिषद से संपर्क करने की छूट दी जाती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपरोक्त टिप्पणियों के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

क्र.सं.15 **फ़ा.सं.371/2020-बी–पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री बी.के. गुप्ता, संपादक, अग्रिम टाइम्स, मेरठ (उत्तर प्रदेश)	1. जिलाधिकारी, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) 2. पुलिस अधीक्षक, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) 3. नगर आयुक्त, मेरठ नगर निगम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 4. आयुक्त, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ मंडल, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 5. श्री मनोज कुमार सिंह, उप-प्रभागीय न्यायाधीश (अब डिप्टी कलेक्टर, मेरठ विकास प्राधिकरण), जोनल अधिकारी, जोन-बी, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 6. श्री धीरज सिंह, जोनल अधिकारी, जोन-सी, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 7. श्री विपीन मोरल, तहसीलदार, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 8. श्री धर्मेन्द्र कुमार, लिपिक, मेरठ नगर निगम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 9. श्री राजेश कुमार, ड्राइवर केयरटेकर/क्लर्क, मेरठ नगर निगम, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

	10. श्री लोकेश शर्मा, क्लर्क (सेवानिवृत्त), मेरठ नगर निगम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 11. श्री अनीस अहमद, पर्यवेक्षक, निर्माण भंडार, मेरठ नगर निगम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 12. श्री गजेन्द्र सिंह, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, मेरठ नगर निगम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 13. श्री योगेन्द्र शर्मा, आशुलिपिक, मेरठ नगर निगम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 14. श्री राजेंद्र कौरई, व्यवस्थित, मेरठ नगर निगम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 15. श्री मनोज, ड्राइवर, मेरठ नगर निगम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 16. श्री प्रदीप जोशी, प्रधान लिपिक, मेरठ नगर निगम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 17. श्री सुनील सोम, उद्यान पर्यवेक्षक, सूरजकुंड पार्क, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 18. श्री बलराज गुप्ता, बीजेपी नेता/ठेकेदार, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 16.10.2020 श्री बी.के. गुप्ता, संपादक, अग्रिम टाइम्स और अखंड हिंद न्यूज चैनल-24, मेरठ (यूपी) के प्रभारी द्वारा मेरठ नगर निगम और मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह ठेकेदारों, नेताओं और पुलिस की मिलीभगत से मेरठ नगर निगम के विभिन्न विभागों में व्याप्त अवैध अतिक्रमण, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बारे में लगातार खबरें प्रकाशित और प्रसारित कर रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि कई घोटालों और अनियमितताओं को उजागर करने के कारण विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें रुपयों की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि 30.6.2020 को उसके मोबाइल पर एक कॉल आई जिसमें पंजाब जेल से एक कैदी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में उन्होंने थाना ब्रह्मपुरी में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने केंद्र/राज्य के उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन को भी लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने कहा है कि जब मामला सिटी मजिस्ट्रेट के पास पहुँचा तो वह 29.9.2020 को उनके सामने पेश हुआ लेकिन उनका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर हुए अवैध कब्जे को उजागर करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसे उसके दोस्त ने सूचित किया था कि सत्तारूढ़ दल के एक नेता ने उससे प्रतिवादी विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें वापस लेने के लिए कहा है और उनके खिलाफ समाचार प्रकाशित और प्रसारित न करने के लिए भी कहा है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि दिनांक 16.1.2021 को लगभग 50-55 अज्ञात व्यक्ति उसके आवास पर आये और मेरठ नगर निगम में हुए घोटालों को उजागर करने पर उसे जान से मारने की धमकी दिए। शिकायतकर्ता ने बताया है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उसके द्वारा माँगी गई जानकारी का जवाब प्रतिवादी विभाग द्वारा नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरे की आशंका जताते हुए परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

उत्तर में वक्तव्य के लिए सभी प्रतिवादियों को 8.3.2021 को नोटिस जारी किए गए थे।

श्री मनोज कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर, एमडीए, मेरठ (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा लिखित वक्तव्य

श्री मनोज कुमार सिंह (प्रतिवादी संख्या 5), अब डिप्टी कलेक्टर, मेरठ नगर निगम, मेरठ ने अपने लिखित बयान दिनांक 31.3.2021 के माध्यम से कहा है कि शिकायतकर्ता को दी गई धमकी के

आरोप से उनका कोई लेना-देना नहीं है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि वह एक जिम्मेदार पद पर कार्यरत है और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि वह चौथे स्तंभ का सम्मान करते हैं। प्रतिवादी के अनुसार, दिनांक 16.10.2020 को शिकायत दर्ज के समय, वह जोनल अधिकारी, जोन-बी के रूप में कार्यरत नहीं थे और वर्तमान में वह मेरठ विकास प्राधिकरण में प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और कानून तथा आवास योजनओं का काम देख रहे हैं। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए सक्षम विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री धीरज सिंह, जोनल अधिकारी, जोन-सी/कार्यकारी अभियंता, मेरठ विकास प्राधिकरण (प्रतिवादी संख्या 6) द्वारा लिखित वक्तव्य

श्री धीरज सिंह (प्रतिवादी संख्या 6), जोनल अधिकारी, जोन-सी/कार्यकारी अभियंता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ने अपने लिखित बयान दिनांक 31.3.2021 के माध्यम से कहा है कि शिकायतकर्ता को दी गई धमकी के आरोप से उनका कोई लेना-देना नहीं है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि वह चौथे स्तंभ का सम्मान करता है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता को सुरक्षा के लिए सक्षम विभाग से संपर्क करना चाहिए।

श्री विपिन मोरल, तहसीलदार/जोनल अधिकारी, जोन-डी, मेरठ विकास प्राधिकरण (प्रतिवादी संख्या 7) का पत्र

श्री विपिन मोरल (प्रतिवादी संख्या 7), तहसीलदार/जोनल अधिकारी, जोन-डी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ने अपने पत्र दिनांक 1.4.2021 के माध्यम से पंचायती चुनाव-2021 में ड्यूटी के कारण जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय माँगा है, लेकिन उनसे आगे कोई जवाब नहीं मिला है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपनी जवाबी टिप्पणियों दिनांकित 26.5.2021 के माध्यम से अपनी शिकायत दोहराते हुए आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने उचित और तथ्यात्मक उत्तर न देकर परिषद को गुमराह करने की कोशिश की है।

शिकायतकर्ता ने अपने आगे के पत्र दिनांकित 18.6.2021 के माध्यम से आरोप लगाया है कि एक भू-माफिया ने उसे 15.6.2021 को फोन पर धमकी दी और 17.6.2021 को फिर से उसके आवास पर आया और बंदूक की नोक पर जबरन शिकायत वापसी पत्र पर उसके हस्ताक्षर ले लिए और यदि भविष्य में उसने कोई शिकायत दर्ज कराई तो उसे मार डालने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि यह सब प्रतिवादियों के इशारे पर किया गया है।

<u>शिकायतकर्ता का अगला पत्र</u>

शिकायतकर्ता ने अपने संचार दिनांक 17.6.2021 के माध्यम से सूचित किया है कि उसने अनजाने में श्री मनोज कुमार सिंह, एसडीएम, जोनल अधिकारी, जोन-बी, मेरठ विकास प्राधिकरण (प्रतिवादी संख्या 5) और श्री विपिन मोरल, तहसीलदार, मेरठ विकास प्राधिकरण (प्रतिवादी क्रमांक 7) के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि उन्होंने उसे या उसके परिवार को धमकी नहीं दी है। उन्होंने परिषद से प्रतिवादियों- श्री मनोज कुमार सिंह और श्री विपिन मोरल के खिलाफ शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 8.8.2021 के माध्यम से आरोप लगाया है कि उत्तरदाताओं द्वारा उस पर शिकायतें वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है और पर्चे बाँटने/चिपकाने के माध्यम से उसे बदनाम भी किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 8.8.2021 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय के अवर सचिव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ को दिनांक 7.10.2020 को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक पत्र लिखा था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 25.8.2021 के माध्यम से सूचित किया है कि उसके संज्ञान में आया है कि नगर निगम मेरठ के वाहन डिपो में कार्यरत एक ड्राइवर ने उनके खिलाफ व्हाट्सएप पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए माननीय प्रधान मंत्री को झूठी शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 7.9.2021 के माध्यम से आरोप लगाया है कि अवैध निर्माण के संबंध में जानकारी माँगने पर मेरठ आवास एवं विकास परिषद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा उसे धमकी दी जा रही है।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 29.9.2021 और 4.10.2021 के माध्यम से सूचित किया है कि मेरठ नगर निगम ने 23 कर्मचारियों को अवैध रूप से नियुक्त किया है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इन कर्मचारियों के अभिभावक उस पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाल सकते हैं और उसे झूठे मामलों में भी फंसा सकते हैं। उन्होंने परिषद से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 17.9.2021, 22.9.2021, 27.9.2021, 29.9.2021 और 5.10.2021 के माध्यम से कहा है कि प्रतिवादियों द्वारा किए गए घोटालों के कारण राजस्व की हानि हुई है। शिकायतकर्ता ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताते हुए सुरक्षा की माँग की है।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 2.1.2022 के माध्यम से अपनी शिकायत दोहराते हुए सूचित किया है कि प्रतिवादी उसके खिलाफ मानहानि का झूठा मामला दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि प्रतिवादी उसकी हत्या कर सकते हैं।

प्रभारी (कार्मिक), नगर निगम, मेरठ (प्रतिवादी संख्या 1) का पत्र

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ की ओर से श्री सुमित कुमार, जिला सूचना अधिकारी, मेरठ उपस्थित हुए और उन्हें नगर निगम मेरठ के दिनांक 17.9.2022 के पत्र को जाँच समिति को अग्रेषित करने हेतु अधिकृत किया गया है। पत्र में अन्य बातों के अलावा कहा गया है कि श्री बी.के. गुप्ता (शिकायतकर्ता) द्वारा दर्ज शिकायतों पर अपराध शाखा, आपराधिक जाँच विभाग (सीबीसीआईडी), आगरा द्वारा जाँच की जा रही है।

मेरठ विकास प्राधिकरण (प्रतिवादी संख्या 7) का पत्र

प्रभारी अधिकारी कानून/तहसीलदार, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ने सुनवाई के समय सौंपे गए अपने पत्र दिनांक 20.9.2022 द्वारा प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता को मेरठ विकास प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा न तो धमकी दी गई है और न ही दुर्व्यवहार किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में प्राधिकरण के पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।

मेरठ विकास प्राधिकरण (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) के वकील श्री रचित मित्तल ने दिनांक 9.12.2022 को अपने जवाब में कहा है कि शिकायत तुच्छ, निराधार, गलत और अस्थिर है। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत में एमडीए के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है और यह शिकायत एमडीए को परेशान करने के लिए दायर की गई है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य को जानते हुए भी कि एमडीए के पास अपना स्वयं का निवारण तंत्र है तथा उसके समक्ष मुद्दों को हल करने के लिए विवेकपूर्ण और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है, शिकायतकर्ता ने एमडीए को गलत तरीके से फंसाया है। उनके मुताबिक वक्फ बोर्ड की संपत्ति में अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत दिनांक 9.10.2020 पर एमडीए ने विधिवत जाँच कर त्वरित कार्रवाई की है। प्रतिवादी ने कहा है कि एमडीए के खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं है। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

श्री मनोज कुमार सिंह (प्रतिवादी संख्या 5) का पत्र

श्री मनोज कुमार सिंह, जो वर्तमान में एसडीएम, तहसील धामपुर, बिजनौर के पद पर तैनात हैं, ने अपने पत्र दिनांक 24.6.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 17.6.2021 में स्पष्ट किया है कि अब उनके प्रति उनके मन में कोई शिकायत नहीं है और न ही उन्हें कोई खतरा है।

नगर निगम, मेरठ (प्रतिवादी संख्या 3) का पत्र

अतिरिक्त नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ ने अपने पत्र दिनांक 24.6.2023 द्वारा प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने 23 कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 1479/2020 दायर की थी तथा माननीय न्यायालय द्वारा 18.1.2021 को उसका निस्तारण कर दिया गया था। श्री हेमंत कुमार ने भी इस संबंध में याचिका संख्या 56911/2015 दायर की थी और इसे माननीय न्यायालय ने 17.2.2021 को खारिज कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर माननीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पारित निर्देश के अनुसार, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और होटल अल्कारिम से संबंधित मामलों की जाँच प्रभागीय अधिकारी, अपराध शाखा, अपराध जाँच विभाग, आगरा द्वारा की गई थी और उन्होंने दिनांक 27.5.2023 को मामले की एक रिपोर्ट दर्ज की थी। प्रतिवादी ने कहा है कि नगर निगम में प्राप्त शिकायतों का निराकरण जिला एवं राज्य स्तर पर कार्यवाही कर किया जाता है। उन्होंने परिषद से मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

इस मामले की सुनवाई जाँच समिति ने 21.9.2022, 15.12.2022 और 26.6.2023 को हुई अपनी पहली तीन बैठकों में की थी। मामला आज यानी 25.9.2023 को जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता श्री आदर्श श्रीवास्तव एवं श्री रचित मित्तल उपस्थित हुए हैं। अन्य प्रतिवादियों की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

शिकायतकर्ता अग्रिम टाइम्स के संपादक और अखंड न्यूज चैनल 24, मेरठ यूपी के प्रभारी हैं। उन्होंने आलोचनात्मक लेखों के प्रकाशन के कारण उन्हें जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मेरठ विकास प्राधिकरण और मेरठ नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दिनांक 16.10.2020 को शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता के अनुसार वह प्रतिवादियों द्वारा नजरअंदाज किए गए अवैध अतिक्रमण और मेरठ नगर निगम के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बारे में लगातार समाचार प्रकाशित और प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने मेरठ नगर निगम में अवैध नियुक्तियों और वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जे की शिकायत की थी। उनके मुताबिक उन्हें पंजाब जेल से एक आरोपी ने धमकी दी थी। उनका आगे का मामला यह है कि 16.1.2021 को लगभग 50-55 अज्ञात व्यक्ति उनके घर आए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 15.6.2021 को भू-माफियाओं द्वारा फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनके अनुसार, वे उनके घर आए और बंदूक की नोक पर जबरन शिकायत वापस लेने के पत्र पर

हस्ताक्षर ले लिए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय में अवर सचिव, उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, मेरठ को दिनांक 7.10.2020 को पत्र लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्रतिवादियों ने शिकायतकर्ता के आरोपों से इनकार किया है। दिनांक 21.9.2022 को जिला सूचना विभाग के जिला सूचना अधिकारी श्री सुमित उपस्थित थे। उन्होंने मेरठ नगर निगम का पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि मेरठ नगर निगम के संबंध में आई शिकायत पर सीबीसीआईडी आगरा द्वारा जाँच कराई गई है। जाँच समिति को जाँच की स्थिति बताने के लिए शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जाँच की स्थिति की जानकारी जाँच समिति को नहीं दी गई है। अपर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ ने दिनांक 24.6.2023 को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कथित अवैध नियुक्तियों के संबंध में दो याचिकाएँ दायर की गई थीं। एक को बर्खास्त और एक को निस्तारित किया गया था। शिकायतकर्ता ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की जाँच सीबीसीआईडी कर रही है।

गौरतलब है कि प्रतिवादियों के वकील श्री मित्तल ने एक जवाब दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ संपत्ति में अवैध निर्माण के बारे में शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश और मामला दर्ज कराने की कार्रवाई की गई थी।

आरोपों और जवाबों से ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता की मूल शिकायत यह है कि उसकी जान को खतरा है। उन्होंने जिन घटनाओं का जिक्र किया है, वे गंभीर हैं। इसलिए राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह खतरे की आशंका का अध्ययन करे और यदि यह पाया जाए कि उसका जीवन खतरे में है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। इस संबंध में कार्रवाई करना भारतीय प्रेस परिषद का काम नहीं है। शिकायतकर्ता का मामला कि उसे धमकी दी जा रही है क्योंकि वह प्रतिवादियों के अवैध कार्यों को उजागर कर रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, श्री मित्तल ने अपने द्वारा दायर जवाब में स्वीकार किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर वक्फ संपत्ति पर किए गए अवैध अतिक्रमण को विध्वंस आदेश पारित करके हटा दिया गया था। इसलिए, राज्य के लिए यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं। इन आरोपों में विवादित प्रश्न शामिल हैं जिन पर प्रेस परिषद विचार नहीं कर सकती है लेकिन राज्य के लिए यह पता लगाना निश्चित रूप से आवश्यक है कि क्या ये आरोप सच हैं। अगर आरोप सही हैं और शिकायतकर्ता को धमकी दी

जा रही है तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्ट करने की प्रेस की आजादी पर हमला होगा। इसलिए, जाँच समिति परिषद को राज्य और उत्तर प्रदेश पुलिस को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने और सही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देकर शिकायत का समाप्त करने की संस्तुति करती है। शिकायतकर्ता और उसके परिवार की जान को खतरा है या नहीं, इसका अध्ययन करने का भी निर्देश दिया जाता है। यदि वास्तव में कोई खतरा है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, तो शिकायतकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा पुलिस अधिकारियों और राज्य सरकार को पूर्वोक्त निर्देशों के साथ शिकायत का समापन करने का निर्णय लेती है।

****

प्रेस के विरुद्ध दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची

(धारा 14 के अंतर्गत)

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
सिद्धांत और प्रकाशन			
1.	सुश्री सायली धुराट, पुलिस अधीक्षक, अररिया की दैनिक भास्कर, अररिया के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14/405/19–20–बी–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई
2.	श्री रतन बिस्वास, अपर सचिव और निदेशक, सूचना और सांस्कृतिक मामले, त्रिपुरा सरकार की स्यंदन पत्रिका, अगरतला, त्रिपुरा के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (1872/2020–ए–पीसीआई)	17.11.2023	प्रतिवादी को निदेश के साथ समाप्त
3.	राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार की दैनिक जागरण के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14/156/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	निराधार होने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
4.	राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार की दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, बिहार के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14/154/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	निराधार होने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
5.	राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार की दैनिक भास्कर के संपादकों के विरुद्ध शिकायत (14/162/2019-20)	17.11.2023	निराधार होने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
6.	राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार के निदेशक डॉ. अमित कुमार की प्रभात खबर के संपादक के विरूद्ध शिकायत (14/282/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	निराधार होने पर कार्रवाई बंद कर दी गई

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
7.	श्री उदय कुमार मंडल, अनुभाग अधिकारी, स्थापना अनुभाग फरक्का बैराज परियोजना, पश्चिमी बंगाल संपादक, आनंदबाजार पत्रिका के विरूद्ध शिकायत। (14/140/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	निपटान
8.	श्री उदय कुमार मंडल, अनुभाग अधिकारी, स्थापना अनुभाग, फरक्का बैराज परियोजना, पश्चिम बंगाल की संपादक, संगबाद, प्रतिदिन के विरुद्ध शिकायत। (14/139/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	आश्वासन दिये जाने पर समाप्त
9	श्री बिस्वरंजन बेउरा की टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र टाइम्स के संपादकों के विरुद्ध शिकायत। (14/413–414/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	परिनिंदित
10.	श्री बिस्वरंजन बेउरा की टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र टाइम्स के संपादकों के विरुद्ध शिकायत। (14/413–414/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	परिनिंदित
11.	श्री चतुर्भुर्जा शिवसागर पांडे, संपादक, हिन्द सागर की श्री वसंत माने, सर्वश्रेष्ठ राजसत्ता समाचार पत्र के संपादक के विरूद्ध शिकायत। (130/2021–ए–पीसीआई 14/413–414/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखे पर कार्रवाई बंद कर दी गई
प्रेस और मानहानि			
12	सरकारी मेडिकल कॉलेज, बदायूँ के सह-प्राध्यापक डॉ. शलभ वैश्य की दैनिक जागरण के संपादक और श्री अमित शर्मा, विज्ञापन प्रतिनिधि दैनिक जागरण, बदायूं कार्यालय के विरुद्ध शिकायत। (14/408/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखे पर कार्रवाई बंद कर दी गई

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
13.	श्रीमती सरली उर्फ सरला की संपादक अमर भारती मीडिया ग्रुप, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (14 / 531 / 2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
14	श्री जयेश जेड शाह की संपादक, सजग परिवर्तन का, बंगलौर के विरुद्ध शिकायत। (14 / 266 / 2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
15	श्री भगवती प्रसाद यादव, इंदौर की न्यूज लुक-आउट, इंदौर के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (2036 / 2020–ए–पीसीआई)	17.11.2023	अभियोजन की कमी के कारण खारिज
16.	श्री परमप्रीत सिंह की दैनिक जागरण, पटना के विरुद्ध शिकायत। (14 / 302 / 2019–20–पीसीआई)	17.112023	अनभियोजन के कारण समाप्त
17	श्री पटेल जगदीश रतिलाल, अध्यक्ष, श्रीजी केलवानी मंडल की सत्या डे समाचार पत्र के विरुद्ध शिकायत। (14 / 451 / 2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
18	श्रीमती रागिनी रानी, झारखंड की श्री राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, द पायनियर के विरुद्ध शिकायत। (14/147/2019-20- पीसीआई)	17.11.2023	न्यायाधीन होने के कारण बंद कर दिया गया
19.	सम्युक्त कर्नाटक, कन्नड़ दैनिक समाचार पत्र के संपादक के विरुद्ध श्री शरणप्पा बिरादर की शिकायत। (14 / 430 / 2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
20.	श्री मानस रंजन दास पटनायक की ओडिशा खबर, ओडिशा, के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (-2020/3ए-पीसीआई) (13 / 2020–ए–पीसीआई)	17.11.2023	वापस लिए जाने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
21.	श्री नाजिया खान और सुश्री महेश हवेवाला की मुम्बई अमरदीप के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14／80／2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखे जाने पर बंद किया गया
प्रेस और नैतिकता			
22.	श्री शरत चंद्र सेठी, ओआईएस, जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी, अंगुल की संपादक, आई वाई ए न्यूज़ के विरुद्ध शिकायत। (14/17/2019-20-पीसीआई)	17.11.2023	अभियोजन की कमी के कारण खारिज
23	श्री टी मल्लेश्वर राव, अधिवक्ता की संपादक, आंध्र प्रभा के विरुद्ध शिकायत। (14／26／2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	डिफॉल्ट के कारण बर्खास्त (दोनों पक्षों में से कोई भी उपस्थित नहीं)
24	सचिव, रॉयल हिल्स को-ऑप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की सुश्री क्लारा लुईस, सहायक संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (705／2021–ए–पीसीआई)	17.11.2023	न्यायाधीन होने के कारण बंद कर दिया गया
साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र–विरोधी तथा पंथ–विरोधी लेख			
25.	श्री आरिफ ए मुल्लाजी, अहमदाबाद की गुजरात समाचार, अहमदाबाद के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (303／2021–ए–पीसीआई)	17.11.2023	प्रतिवादी समाचारपत्र को निदेश के साथ बंद कर दिया गया

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के तहत दायर मामलों में परिषद के न्यायनिर्णय

सिद्धांत और प्रकाशन

क्र.सं.1 **फ़ा.सं.14/405/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
सुश्री सायली धुराट पुलिस अधीक्षक, अररिया, बिहार	1. संपादक, दैनिक भास्कर भागलपुर संस्करण
	2. श्री आमोद कुमार दैनिक भास्कर, भागलपुर, बिहार
	3. ब्यूरो प्रमुख, दैनिक भास्कर, अररिया, बिहार

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 20.10.2019 को पुलिस अधीक्षक, अररिया, बिहार द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर, भागलपुर संस्करण के खिलाफ अपने अंक दिनांकित 27.8.2019 में कथित तौर पर "खुलासा: नशीली दवा बेचने वाली महिला बोली- एसपी कहती नजर बचाके कारोबार करो, पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी–वर्तमान एसपी के रीजन में दारोगा राज कायम, पुलिस संरक्षण में हो रहा शराब व नशीली दवा का धंधा: सांसद" शीर्षक के तहत झूठी खबर प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि अररिया में शराब की तस्करी लगातार फल-फूल रही है, स्थानीय सांसद प्रदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि शराब कारोबारी पुलिस संरक्षण में काम कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वे जिले में नशीली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप नशीली दवाएँ खुलेआम बेची जा रही हैं।

शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी पर तथ्यों की पुष्टि किए बिना गलत और पक्षपातपूर्ण समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोपों से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने उसकी छवि खराब करने के इरादे से समाचार प्रकाशित किया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि समाचार में बताया गया कि उन्होंने प्रतिवादी का फोन नहीं उठाया क्योंकि वह 26.8.2019 और 27.8.2019 को छापेमारी अभियान पर थी। हालाँकि,

उन्होंने कहा कि प्रतिवादी समाचार पत्र के रिपोर्टर श्री आमोद कुमार ने उन्होंने 26.8.2019 को फोन किया था, लेकिन नेटवर्क समस्या के कारण वह उसे सुन नहीं सकी। उन्होंने दोबारा फोन किया, लेकिन छापेमारी अभियान में शामिल होने के कारण वह बात नहीं कर सकीं। बाद में उसने उसे संदेश भेजा और उसे संदेश भेजने के लिए कहा। उस दिन बाद में, उन्होंने व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा और विवरण माँगा। 27.8.2019 को 00:34 बजे, उन्होंने उसे जवाब देते हुए कहा कि वह खुद इस मामले के बारे में पूछताछ कर सकता है और उसके नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके वह मामले को आगे ले जा रही हैं।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी ने उनके विचारों पर विचार किए बिना, उसी दिन, यानी 27.8.2019 को समाचार प्रकाशित किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह पत्रकारिता में एक अनैतिक प्रथा है और पीत पत्रकारिता के समान है।

ब्यूरो प्रमुख, दैनिक भास्कर, अररिया को दिनांक 16.12.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

ब्यूरो प्रमुख दैनिक भास्कर से प्रमुख का लिखित वक्तव्य प्राप्त हुआ

श्री आमोद शर्मा, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक भास्कर, अररिया ने 15.1.2020 को सचिवालय में प्राप्त अपने अदिनांकित लिखित वक्तव्य के माध्यम से शिकायतकर्ता के आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि विवादित समाचार संसद सदस्य के बयान और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर आधारित था। सांसद का बयान भी सार्वजनिक है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता पुलिस के खिलाफ खबरों पर अपना बयान नहीं देती है। सांसद के बयान के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि वे पत्रकारिता के उच्च मानकों में विश्वास करते हैं और उसी विवादित समाचार में, उन्होंने डीएसपी और एसएचओ का बयान प्रकाशित किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाशित रिपोर्ट कहानी के सभी पक्षों को सम्मिलित करती है। प्रतिवादी के अनुसार, वायरल वीडियो के संबंध में, समाचार प्रकाशित होने तक शिकायतकर्ता ने देर रात को जवाब दिया था। इस वजह से उनका बयान नहीं छप सका। अगले दिन शिकायतकर्ता से विस्तृत बयान लेने के कई प्रयास किए गए लेकिन वह बात करने के लिए तैयार नहीं थी। प्रतिवादी ने कहा है कि वे उनका संस्करण भी प्रकाशित करना चाहते थे लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। दैनिक भास्कर, पटना के मुख्य संपादक श्री दीपक वर्णवाल को लिखे पत्र के संबंध में, प्रतिवादी ने कहा है कि श्री दीपक वर्णवाल नाम का कोई भी मुख्य संपादक न तो पहले था और न ही वर्तमान में दैनिक भास्कर में कार्यरत है। अररिया ब्यूरो भागलपुर कार्यालय के अंतर्गत आता है, इसलिए यह शिकायत भागलपुर कार्यालय को भेजनी चाहिए थी। गलत नाम तथा पद के कारण शिकायत सही जगह नहीं पहुँची होगी।

प्रतिवादी ने कहा कि उन्हें परिषद का नोटिस 30.12.2019 को मिला लेकिन उससे पहले ही 27.12.2019 को अररिया ब्यूरो प्रमुख श्री समीर सिंह को गैरजिम्मेदार पत्रकारिता और लापरवाही के कारण पद से हटा दिया गया। उन्हें भागलपुर कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा है कि श्री समीर सिंह के खिलाफ सेवा नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, इसलिए वह श्री समीर सिंह के स्थान पर इस नोटिस का जवाब दे रहे हैं। चूंकि श्री समीर सिंह ने दैनिक भास्कर अखबार नहीं छोड़ा है, इसलिए शिकायतकर्ता के संस्करण के बिना विवादित समाचार प्रकाशित करने के लिए उनसे प्रतिक्रिया माँगी जा रही है।

दैनिक भास्कर, अररिया और भागलपुर संस्करण के संपादकों को दिनांक 11.2.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

दैनिक भास्कर,भागलपुर का लिखित वक्तव्य

दैनिक भास्कर, भागलपुर संस्करण के संपादक ने सचिवालय में 3.3.2020 को प्राप्त अपने अदिनांकित लिखित वक्तव्य के माध्यम से 15.1.2020 को दर्ज अपने ब्यूरो प्रमुख श्री आमोद शर्मा के लिखित बयान को दोहराया है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामले की शुरुआत में 30.5.2023 को सुनवाई हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था, जबकि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व जाँच समिति के समक्ष वकील द्वारा किया गया था।

मामला आज यानी 22.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है।

शिकायतकर्ता आज भी उपस्थित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका तबादला कर दिया गया है। लेकिन किसी भी मामले में यह उसका कर्तव्य था कि वह या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से उपस्थित रहें। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को मामले पर मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

इसलिए, जांच समिति परिषद से मामले को खारिज करने की सिफारिश करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड तथा जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप में समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री रतन बिस्वास, तत्कालीन अपर सचिव एवं निदेशक, सूचना एवं सांस्कृतिक मामले, त्रिपुरा सरकार, अगरतला, त्रिपुरा	संपादक, स्यांदन पत्रिका, अगरतला, त्रिपुरा

न्यायनिर्णय
दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 06.08.2020 को श्री रतन विश्वास, तत्कालीन अपर सचिव तथा निदेशक, सूचना और सांस्कृतिक मामलों, त्रिपुरा सरकार द्वारा संपादक, स्यांदन पत्रिका, बंगाली दैनिक, अगरतला के खिलाफ कथित तौर पर झूठी, आधारहीन श्रृंखला को राज्य सरकार के विभागों के विरुद्ध भ्रामक एवं विकृत समाचार प्रकाशन के लिए दायर की गई है:-

Sl. No	Date	English translation of the Caption (as provided by the complainant
1.	28.06.2020	Hue and cry over illegal recruitment in Pollution Control Board
2.	02.07.2020	Central dal is coming – then where is state's dal?
3.	14.07.2020	Dal in public distribution system: to justify authority falsifies Chief Minister
4.	15.07.2020	Incomplete chapter in 12th standard biology text book, students in trouble
5.	28.07.2020	Secret confessed defective books sold

आक्षेपित समाचारों की शृंखला के माध्यम से, विभिन्न विभागों को उनके कामकाज के लिए गंभीर रूप से दर्ज किया गया है। दिनांक 28.06.2020 के समाचार में बताया गया है कि त्रिपुरा में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण त्रिपुरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। श्री बी.के. अग्रवाल को नौ (9) महीने की सीट खाली रहने के बाद अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। श्री बी.के. अग्रवाल ने राज्य या केंद्र सरकार के किसी आदेश के बिना, सर्वसम्मति से श्री मिहिर दास, वैज्ञानिक-सी और श्री मानस मुखर्जी को हटा दिया, जिन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था।

दिनांक 02.07.2020 के समाचार में यह बताया गया है कि पीएमजीकेवाई योजना के तहत दाल वितरण में अनियमितताएँ हो रही हैं, उपभोक्ताओं ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है।

दिनांक 14.07.2020 के समाचार में यह बताया गया है कि त्रिपुरा के खाद्य विभाग ने दाल के वितरण को रोकने के लिए राज्य के सी.एम. को दोषी ठहराया है।

दिनांक 15.07.2020 के समाचार में कहा गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा प्रकाशित बारहवीं कक्षा की किताब में कुछ खाली पन्ने हैं। यह मसला अभी तक सुलझा नहीं है।

दिनांक 28.07.2020 के समाचार में बताया गया कि मंत्री श्री रत्न लाल नाथ ने कक्षा 9वीं और 11वीं की किताबें छापकर अनुचित लाभ उठाया है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा किया जाना था और छात्रों को किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि स्यांदन पत्रिका समाचार पत्र नियमित रूप से सरकारी विभागों के खिलाफ फर्जी खबरें प्रकाशित की हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि उन्होंने इन समाचारों के खिलाफ दिनांक 29.6.2020, 9.7.2020 और 27.7.2020 को पत्र भेजकर प्रत्युत्तर प्रकाशित करने का अनुरोध किया था, लेकिन प्रतिवादी समाचार पत्र ने वैसा प्रकाशित नहीं किया जैसा कि करना चाहिए था और जब भी समाचार पत्र ने समाचार प्रकाशित किया है, उसमें विकृत संस्करण ही प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा है कि अखबार केवल अपनी टीआरपी/लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अपने दैनिक समाचार में सनसनीखेज और झूठी खबरों को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने परिषद से जाँच करने और प्रतिवादी समाचार पत्र के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.07.2021 जारी किया गया था।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 28.10.2021 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि सत्ता पर काबिज सरकार की मंशा हमेशा किसी भी तरह से मीडिया की आवाज को नियंत्रित करने की होती है। प्रतिवादी ने कहा है कि त्रिपुरा विधान सभा में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि शिकायतकर्ता जब त्रिपुरा अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक था, तब 102/- करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल था और यह मामला स्यांदन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था तथा अखबार को उस घोटाले से बचाने के लिए उसे सरकार के प्रति बहुत वफादार और ईमानदार दिखाना होगा और इसीलिए प्रतिशोध की भावना से और बदला लेने के लिए श्री विश्वास ने भारतीय प्रेस परिषद में यह निराधार शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता ने त्रिपुरा राज्य नियंत्रण बोर्ड की ओर से दिनांक 23.06.2020 को उक्त प्रकाशित समाचार का प्रत्युत्तर जारी किया

है। उन्होंने कहा है कि स्यांदन पत्रिका में 02.07.2020 को प्रकाशित समाचार के संबंध में निदेशक, आईसीए द्वारा एक प्रत्युत्तर जारी किया गया है जो 12.07.2020 को प्राप्त हुआ और 14.07.2020 को प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहा है कि 15.07.2020 को प्रकाशित समाचार के संबंध में संयुक्त निदेशक, एससीईआरटी, त्रिपुरा की ओर से निदेशक द्वारा 27.07.2020 को एक प्रत्युत्तर जारी किया गया है, जो कि 28.07.2020 को प्रकाशित किया गया था। उन्होंने कहा है कि 15.07.2020 को प्रकाशित समाचार सही था और एससीईआरटी ने 27.07.2020 के अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से तथ्यों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रत्युत्तर समय पर प्रकाशित किए गए थे और प्रतिवादी द्वारा अखबार के खिलाफ दायर शिकायत पूरी तरह से झूठी, मनगढ़ंत और अखबार को बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से मनगढ़ंत है।

<u>प्रति टिप्पणियाँ</u>

शिकायतकर्ता ने दिनांक 17.01.2022 की प्रति टिप्पणियों के माध्यम से कहा है कि सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, अगरतला विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करके विभिन्न मीडिया संगठनों में काम करने वाले मीडियाकर्मियों के विकास के लिए काम कर रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसने सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग, अगरतला के संख्या एफ./71(आई)-आईसीएटी/97/(एनबी) के अनुमोदन के बाद भारतीय प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि जब वह त्रिपुरा अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के एमडी थे, तब 102 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने से संबंधित समाचार पूरी तरह से उनका निजी मामला है, जिस पर प्रतिवादी अखबार ने कई बार कई अपमानजनक कहानियाँ लिखकर उन्हें बदनाम करने और उनके करियर को नष्ट करने की कोशिश की।

<u>प्रतिवादी संपादक की ओर से आगे की टिप्पणियाँ</u>

प्रतिवादी संपादक, स्यंदन पत्रिका ने पत्र दिनांक 26.04.2022 के माध्यम से कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी प्रति टिप्पणियों में दी गई दलीलें पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत हैं। प्रतिवादी ने कहा है कि आईसीए विभाग के अतिरिक्त सचिव, निदेशक श्री रतन विश्वास- त्रिपुरा सरकार और भारतीय प्रेस परिषद को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता का नाम उसकी भ्रष्ट गतिविधियों के लिए मीडिया में आया है और इस कारण से उसने नाराज होकर तत्काल शिकायत दर्ज की है और तदनुसार सरकार को पक्षपाती बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रत्युत्तर पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं और लिखित बयान दिनांक 28.10.2021 के साथ प्रतिलिपि भेजी जा चुकी है।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

मामला आज यानी 22.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है।

शिकायत दिनांक 06.08.2020 को श्री रतन विश्वास, अतिरिक्त सचिव और निदेशक, सूचना और सांस्कृतिक मामले, त्रिपुरा सरकार, अगरतला द्वारा संपादक, स्यांदन पत्रिका, बंगाली डेली, अगरतला के खिलाफ राज्य सरकार के विभागों के विरुद्ध कथित रूप से झूठी, आधारहीन, भ्रामक एवं विकृत समाचार श्रृंखला प्रकाशन के लिए दायर की गई है। समाचारों की तारीख और शीर्षक इस प्रकार हैं:-

Sl. No.	**Date**	**English translation of the Caption (Provided by the complainant)**
1.	28.06.2020	Hue and cry over illegal recruitment in Pollution Control Board
2.	02.07.2020	Central dal is coming-then where is state's dal?
3.	14.07.2020	Dal in public distribution system: to justify authority falsifies Chief Minister.
4.	15.07.2020	Incomplete chapter in 12^{th} standard biology text book, students in trouble.
5.	28.07.2020	Secret confessed defective books sold.

शिकायतकर्ता का मामला यह है कि शिकायतकर्ता का संस्करण प्रतिवादी समाचार पत्र को भेज दिया गया था, लेकिन प्रतिवादी समाचार पत्र ने उसका विकृत संस्करण प्रकाशित किया।

प्रतिवादी ने लिखित वक्तव्य दाखिल किया है जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया गया है।

1.3.2023 को मामले की शुरुआत में जाँच समिति द्वारा सुनवाई की गई। प्रतिवादी समाचार पत्र स्यांदन पत्रिका के संपादक/प्रकाशक श्री सुबल कुमार दे ने दिनांक 20.02.2023 को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि चूंकि वह बीमार हैं, इसलिए मामले को स्थगित किया जा सकता है। इस पत्र के आलोक में मामले की सुनवाई 01.03.2023 को स्थगित कर दी गयी। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि श्री रंजीत दास शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। 01.03.2023 को पारित आदेश परिषद के पत्र दिनांक 20.03.2023 के माध्यम से पार्टियों को सूचित किया गया था। यह नोट करना प्रासंगिक है कि प्रतिवादी समाचार पत्र को जारी किया गया पत्र "अस्वीकार" टिप्पणी के साथ बिना डिलीवर किए वापस प्राप्त हुआ था।

30.05.2023 को मामले को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। श्री सुबल कुमार दे ने पुनः दिनांक 28.05.2023 को एक ई-मेल भेजकर सूचित किया कि वह बीमार हैं और इसलिए मामले को रिकॉर्ड के आधार पर समाप्त किया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हो रहा था। इन परिस्थितियों में मामले को स्थगित कर दिया गया। पक्षकारों को सुनवाई की अगली तारीख बता दी गई।

आज श्री रंजीत दास, संयुक्त आवासीय आयुक्त शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई भी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। प्रतिवादी लगातार अनुपस्थित रहा है।

आरोपों और प्रत्यारोपों की प्रकृति को देखते हुए, जाँच समिति का मानना है कि प्रतिवादी समाचार पत्र को शिकायतकर्ता के संस्करण को संपादित या विकृत किए बिना प्रकाशित करने का निर्देश देकर इस मामले को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए शिकायतकर्ता को आज से तीन सप्ताह के भीतर आपत्तिजनक समाचारों के बारे में त्रिपुरा सरकार का संस्करण प्रतिवादी को भेजना होगा। उक्त संस्करण की प्राप्ति पर, प्रतिवादी को इसकी प्राप्ति से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर इसे संपादित या बदले बिना अपने समाचार पत्र, 'स्यांदन पत्रिका' में प्रकाशित करना होगा।

जाँच समिति परिषद को उपरोक्त निर्देशों के साथ शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपरोक्त निर्देशों के साथ शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.3 **फ़ाइल संख्या 14/156/2019-20/पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
डॉ. अमित कुमार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, भागलपुर, बिहार	संपादक, दैनिक जागरण, जागरण प्रकाशन लिमिटेड, भागलपुर, बिहार

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 15.5.2019 को डॉ. अमित कुमार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, भागलपुर, बिहार द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, भागलपुर, बिहार के खिलाफ कथित तौर पर गलत और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करने के लिए दायर की गई है।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी समाचार पत्र ने अपने दिनांक 24.4.2019 के अंक में "रानी लक्ष्मीबाई चौक पर प्रदर्शन करते युवा" शीर्षक के साथ एक तस्वीर प्रकाशित की, जिसमें युवक तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई चौक भागलपुर के क्षेत्र में नहीं है। अपने दावे के समर्थन में, शिकायतकर्ता ने नगर निगम, भागलपुर से प्राप्त उत्तर की एक प्रति प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई चौक भागलपुर क्षेत्र में नहीं आता है।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी समाचार पत्र ने अपने दिनांक 15.5.2019 के अंक में शीर्षक- "नवगछिया मे एसअीबाइ का खजाना हुआ खाली" के तहत एक समाचार प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने एसबीआई के बजाय एस अी बाई प्रकाशित किया है और इस तरह जनता को गुमराह किया है।

19.8.2019 को प्रतिवादी समाचार पत्र के संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक, दैनिक जागरण ने दिनांक 4.10.2019 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से आरोप का इनकार करते हुए कहा है कि शिकायत गलत और परेशान करने वाली है तथा इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता की दुर्भावना रिकॉर्ड द्वारा स्पष्ट है क्योंकि उसने बड़े पैमाने पर जनता को गुमराह करने के लिए सोच-समझकर "राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग" नाम अपनाया है। प्रतिवादी के अनुसार, किसी विशेष स्थान का नाम आमतौर पर किसी प्राधिकारी द्वारा घोषित नहीं किया जाता है और स्थानीय लोग ही उस स्थान को किसी विशेष नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक ही स्थान एक से अधिक नामों से प्रसिद्ध है। इन परिस्थितियों में, किसी विशेष स्थान का संदर्भ किसी भी नाम से दिया जा सकता है और कानून के तहत ऐसा संदर्भ देने पर कोई रोक नहीं है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि यह शिकायतकर्ता का कोई मामला नहीं है कि "मनाली चौक" या "रानी लक्ष्मीबाई चौक" नाम का उल्लेख करके, आक्षेपित समाचार सामग्री ने शिकायतकर्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है या उसे बदनाम किया है। इस प्रकार, किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि, किसी विशेष स्थान या समाचार पर किसी घटना की रिपोर्टिंग करते समय, रिपोर्टर को सबसे पहले आरटीआई या किसी अन्य माध्यम से स्थान का नाम प्राप्त करना होगा। इसी तरह, ऐसे मामले में जहाँ समाचार के शीर्षक पर अनजाने में एसबीआई को एसआईबी के रूप में लिखा गया था, वहाँ समाचार सामग्री से समझौता नहीं किया गया है जहाँ इसे स्पष्ट रूप से एसबीआई के रूप में उल्लेख किया गया है। जैसे ही समाचार की जानकारी बड़े पैमाने पर जनता तक

पहुँच जाती है, समाचार का उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता नगरपालिका रिकॉर्ड में जगह का नाम प्रदान करने में विफल रहा है। इन परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता को प्रश्नगत समाचार प्रकाशन या अनजाने में हुई वर्तनी की गलती से व्यथित नहीं कहा जा सकता। यह नियमित बात है कि प्रतिवादी समाचार पत्र के अधिकारी ऐसी अनजाने गलतियों को सुधारते हैं। प्रतिवादी के अनुसार, वह प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, समाचार पत्र की सामग्री प्रकाशित करते समय उचित सावधानी बरतते हैं। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता ने दो मौकों पर शिकायत की लेकिन सही विवरण प्रदान करने में विफल रहा। शिकायतकर्ता ने जब मुद्रण संबंधी त्रुटियों के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करने की प्रार्थना की तो उसके जागरूक नागरिक होने पर संदेह पैदा होता है। उनके संगठन का नाम "राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग" है जो भ्रामक रूप से “संघ लोक सेवा आयोग” नाम के समान है। प्रतिवादी ने कहा है कि उसका किसी के अपमान करने और गलती करने का कोई इरादा नहीं है। चूंकि दोनों ही अखबार की ओर से अनजाने में छपाई संबंधी त्रुटि हैं, इसलिए उन्होंने परिषद से गलती को नजरअंदाज करने का अनुरोध किया है और अश्वासन दिया है कि समाचार प्रकाशित करते समय वह अधिक सतर्क रहेंगे।

<u>प्रति टिप्पणियाँ:</u>

शिकायतकर्ता ने दिनांक 20.11.2019 को जवाबी टिप्पणियों के माध्यम से कहा कि प्रतिवादी समाचार पत्र ने अपना गैरजिम्मेदार व्यवहार दिखाया है और मीडिया की छवि को खराब किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी परिषद को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि प्रकाशन की ओर ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने परिषद को भ्रामक तथ्यों से बचने और शिकायत के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने परिषद से अखबार का प्रकाशन बंद कराने का अनुरोध किया है।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

मामला 22.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। जबकि शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, प्रतिवादी समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व श्री कपिल यादव और श्री बी.के. मिश्रा, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

यह शिकायत दिनांक 15.5.2019 को संपादक, दैनिक जागरण, भागलपुर के खिलाफ डॉ. अमित कुमार द्वारा दायर की गई थी, जो खुद को राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, भागलपुर, बिहार के निदेशक होने का दावा करते हैं। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी जाए। सचिवालय ने उन्हें कई बार फोन किया लेकिन वह जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए, जाँच समिति मामले को आगे बढ़ाती है।

शिकायत में यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी समाचार पत्र ने अपने दिनांकित 24.4.2019 अंक में "रानी लक्ष्मीबाई चौक पर प्रदर्शन करते युवा" शीर्षक के साथ एक तस्वीर प्रकाशित की थी- जिसमें युवक तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई चौक भागलपुर में स्थित नहीं है। अपने दावे के समर्थन में, शिकायतकर्ता ने नगर निगम, भाग्र गलपुर से प्राप्त उत्तर की एक प्रति प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई चौक भागलपुर के क्षेत्र में नहीं आता है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी समाचार पत्र ने अपने दिनांकित 15.5.2019 अंक में "नवगछिया मे एसअीबाइ का खजाना हुआ खाली" शीर्षक के तहत एक समाचार प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने एसबीआई के बजाय एसअी-बाइ प्रकाशित की है और इस तरह उसने जनता को गुमराह किया है।

जवाब में, दैनिक जागरण के प्रतिवादी संपादक ने कहा है कि शिकायत परेशान करने वाली है। जहाँ तक रानी लक्ष्मीबाई चौक का सवाल है तो कहा जाता है कि कभी-कभी लोग किसी जगह को एक खास नाम से पुकारने लगते हैं। यदि समाचार पत्र में वही नाम अपनाया गया है, तो इससे शिकायतकर्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही उसकी मानहानि हुई है। इसी तरह जहाँ समाचार सामग्री के शीर्षक में अनजाने में एसबीआई को एसआईबी के रूप में मुद्रित किया जाता है, वहाँ समाचार सामग्री से समझौता नहीं किया जाता है क्योंकि समाचार में एसबीआई शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

जाँच समिति प्रतिवादी समाचार पत्र से पूरी तरह सहमत है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त चौक का नाम रानी लक्ष्मी बाई चौक लोगों द्वारा दिया गया है। यह स्थान रानी लक्ष्मीबाई चौक के नाम से प्रसिद्ध है। इससे यह खबर झूठी या असत्यापित नहीं हो जाती। इसी प्रकार शीर्षक में एसबीआई के रूप में एसआईबी का उल्लेख केवल एक मुद्रण संबंधी त्रुटि है। शिकायतकर्ता मुद्रण संबंधी त्रुटि को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है। समाचार के मुख्य भाग में एसबीआई शब्द का सही उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी ने अनुरोध किया है कि उक्त मुद्रण त्रुटि को नजरअंदाज किया जाए और आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में समाचार प्रकाशित करते समय अधिक सतर्क रहेगा।

इन परिस्थितियों में, जाँच समिति प्रतिवादी के इस कथन को स्वीकार करने के बाद कि वह भविष्य में समाचार प्रकाशित करते समय अधिक सतर्क रहेगा, शिकायत को तुच्छ मानकर शिकायत को समाप्त करने की परिषद से संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों तथा निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति के रिपोर्ट का अंगीकार करती है और शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.4-6 **फ़ा.सं.14/154/19-20-पीसीआई**

फ़ा.सं.14/162/19-20-पीसीआई

फ़ा.सं.14/282/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
डॉ. अमित कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, भागलपुर, बिहार	1. संपादक, हिंदुस्तान, भागलपुर, बिहार 2. संपादक, दैनिक भास्कर, भागलपुर, बिहार 3. संपादक, प्रभात खबर, भागलपुर, (बिहार)

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायतें दिनांक 16.5.2019, 15.5.2019 और 6.8.2019 को डॉ. अमित कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, भागलपुर, बिहार द्वारा- (1) हिंदुस्तान (2) दैनिक भास्कर; और (3) प्रभात खबर, भागलपुर के संपादकों के खिलाफ उनके अंक दिनांक 26.4.2019, 13.5.2019 और 31.7.2019 में शीर्षक- "मनचले जुटते हैं मनाली के पास", "तिलकमांझी से मनाली चौक के बीच सड़क का नहीं हो रहा मैंटेनेंस" and "आज तिलकामांझी से मनाली चौक तक हटाया जायेगा अतिक्रमण" के तहत कथित तौर पर गलत, असत्यापित और भ्रामक समाचार प्रकाशित करने के आरोप से दर्ज की गई है।

हिंदुस्तान में प्रकाशित आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज और सुंदरवती महिला विश्वविद्यालय के रास्ते में मनाली चौक के पास कुछ असामाजिक तत्व समूहों की मौजूदगी के कारण छात्राओं को रास्ते में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

दैनिक भास्कर में प्रकाशित आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि एक जल आपूर्ति एजेंसी ने पाइपलाइनों की मरम्मत के दौरान तिलकामांझी और "मनाली चौक" नामक स्थान के बीच एक किलोमीटर तक फैली सड़क को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त कर दिया।

प्रभात खबर में प्रकाशित विवादित खबर में बताया गया है कि नगर निगम तिलकामांझी से "मनाली चौक" और कचहरी चौक से डिक्सन मोड़ तक अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएगा।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने पूरी तरह से झूठी और भ्रामक खबरें प्रकाशित की हैं और इस तरह जनता को गुमराह किया है, जिससे स्थानीय लोगों में हंगामा मच गया

है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भागलपुर में 'मनाली चौक' जैसी कोई जगह नहीं है और इसकी पुष्टि भागलपुर नगर निगम ने भी की है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि आक्षेपित समाचारों से स्थानीय लोगों को बड़ा झटका लगा है और भागलपुर स्मार्ट सिटी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।

(1) हिंदुस्तान (2) दैनिक भास्कर; और (3) प्रभात खबर, भागलपुर के संपादकों को क्रमशः 15.7.2019, 18.7.2019 और 25.9.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

हिंदुस्तान द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी ने दिनांक 13.8.2019 को अपने लिखित वक्तव्य में कहा है कि शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत हित के लिए और अखबार पर अत्यधिक दबाव बनाने के लिए दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर अखबार को निशाना बनाया है। प्रतिवादी ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, भागलपुर का अध्यक्ष होने के नाते हमेशा मीडिया पर तथ्यों की रिपोर्टिंग बंद करने का दबाव बनाता है। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की तुच्छ प्रकृति का स्तर और ऊँचाई इस तथ्य से स्पष्ट है कि अध्यक्ष, जस्टिस फॉर विक्टिम (फ्रंट), भागलपुर ने पुलिस महानिदेशक, बिहार के कार्यालय में दिनांक 25.4.2019 को "मनाली चौक", भागलपुर के क्षेत्र में होने वाली घटना के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किया थी। प्रतिवादी ने कहा है कि आक्षेपित समाचार जस्टिस फॉर विक्टिम (फ्रंट), भागलपुर द्वारा डीजीपी, बिहार के कार्यालय में दर्ज दिनांक 25.4.2019 की शिकायत पर आधारित था। यह इस बात का प्रमाण है कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत पूरी तरह से मनगढ़ंत, कष्टप्रद है और जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से अखबार के खिलाफ दायर की गई है। प्रतिवादी ने बताया है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया गया लोक सूचना अधिकारी, नगर निगम, भागलपुर का दस्तावेज़ "मनाली चौक" पर हुई घटना के संबंध में प्रासंगिक नहीं है। प्रतिवादी ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायतकर्ता के पास बिना किसी आधार के यह शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता अनावश्यक आधार पर गंभीर आरोप लगाकर प्रतिष्ठित समाचार पत्र की प्रतिष्ठा और प्रक्रिया को विवादित कर रहा है। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप केवल आधारहीन अनुमानों पर आधारित हैं जो पूरी तरह से झूठे और तुच्छ प्रकृति के हैं। शिकायतकर्ता द्वारा दायर किए गए कथन के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। इसलिए, प्रतिवादी ने परिषद से न्याय के हित में अनुकरणीय लागत के साथ शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणी दिनांक 30.8.2019 के माध्यम से कहा है कि प्रतिवादी ने जस्टिस फॉर विक्टिम (फ्रंट), भागलपुर का आवेदन प्रस्तुत करके खुद को बचाने की कोशिश की

है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि जस्टिस फॉर विक्टिम (फ्रंट), भागलपुर किसी भी सरकारी संस्था से पंजीकृत संस्था नहीं है। उन्होंने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

<u>दैनिक भास्कर द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी-दैनिक भास्कर ने 23.09.2019 को अपने लिखित बयान में कहा है कि प्रश्न में विशिष्ट "चौक" को लोकप्रिय रूप से "मनाली चौक" के रूप में जाना जाता है और यहाँ तक कि इसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में भी मौजूद और उपयोग में है। प्रतिवादी ने इस दावे के समर्थन में सरकारी दस्तावेज़ उपलब्ध कराए हैं और यह भी बताया है कि जिला प्रशासन अपने आधिकारिक आदेशों में "मनाली चौक" नाम का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि श्रावणी मेले के लिए जिले की कार्य योजना में भी "मनाली चौक" का नाम उल्लेखित है। प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया है कि क्षेत्र के लोग इस स्थान को "मनाली चौक" के रूप में जानते हैं और सभी समाचार पत्र इसका नाम इस प्रकार ही लिखते हैं।

<u>शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणियाँ</u>

शिकायतकर्ता ने दिनांक 24.09.2019 को अपनी जवाबी टिप्पणियों में प्रतिवादी पर गुमराह करने और विषय से ध्यान भटकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि प्रतिवादी ने अपनी गलती और असमर्थता को छिपाने और उसे बदनाम करने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाए हैं।

<u>प्रभात खबर द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य</u>

श्री जिवेश रंजन सिंह, वरिष्ठ संपादक, प्रभात खबर, भागलपुर ने अपने लिखित बयान दिनांक 2.10.2019 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर द्वारा जारी दिनांक 19.7.2019 के पत्र पर आधारित था, जिसमें तिलकामांझी से मनाली चौक तक अतिक्रमण हटाने की सूचना संदर्भ पदाधिकारी/कर्मचारी के नाम के साथ दी गयी थी। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि अनुमंडल कार्यालय, सदर, भागलपुर की गोपनीय शाखा ने भी तिलकामांझी से मनाली चौक के नाम का उल्लेख करते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए दिनांक 22.7.2019 को एक आदेश जारी किया था। प्रतिवादी ने कहा है कि आक्षेपित समाचार पूरी तरह से इस विभाग के पत्रों पर आधारित था। अखबार का इरादा किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का नहीं था और मनाली चौक नाम अखबार द्वारा नहीं बनाया गया था।

<u>शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणियाँ</u>

शिकायतकर्ता ने अपनी जवाबी टिप्पणियों दिनांक 22.10.2019 के माध्यम से कहा है कि प्रतिवादी ने वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लाभ पहुँचाने के इरादे

से विवादित समाचार प्रकाशित किया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि प्रतिवादी मनाली होटल स्थित स्थान का नाम मनाली चौक प्रकाशित करके प्रशासन, सरकार, न्यायालयों और पाठकों को गुमराह कर रहा है। एफ.नं.14/484/18-19 में इसी तरह के मामले पर परिषद के फैसले का हवाला देते हुए, जहाँ प्रतिवादी समाचार पत्र "दैनिक जागरण" की निंदा की गई थी, शिकायतकर्ता ने परिषद से अखबार को बंद करने और पाठकों को गुमराह करने के लिए भारी जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

मामला आज यानी 22.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया है।

जाँच समिति ने एजेंडा के आइटम संख्या 9-12(ए), 9-12(सी) और 9-12(डी) यानी एफ.सं. 14/154/19-20-पीसीआई, 14/162/19-20-पीसीआई और 14/282/19-20-पीसीआई पर एक साथ निर्णय लिया है क्योंकि उनमें समान प्रश्न शामिल हैं। इन सभी मामलों में शिकायतकर्ता डॉ. अमित कुमार हैं जो खुद को राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, भागलपुर, बिहार के निदेशक होने का दावा करते हैं। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। दिनांक 1.8.2023 के पत्र के माध्यम से उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी जाए। जाँच समिति ने इसकी अनुमति दे दी है। हालाँकि, यह पाया गया कि शिकायतकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिए, जाँच समिति ने सचिवालय को शिकायतकर्ता से फोन द्वारा पूछताछ करने का निर्देश दिया है। सचिवालय ने कई बार फोन किया लेकिन वह जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए, जाँच समिति मामले को आगे बढ़ाती है।

जाँच समिति ने पाया कि आइटम संख्या 9-12 (ए) दिनांक 16.5.2019 को शिकायतकर्ता द्वारा संपादक, हिंदुस्तान, भागलपुर के खिलाफ दिनांक 26.4.2019 के अंक में शीर्षक "मनचले जुटते हैं मनाली के पास" के तहत है कथित तौर पर झूठी, असत्यापित और भ्रामक समाचार प्रकाशित करने के लिए दायर की गई शिकायत से संबंधित है। शिकायतकर्ता की यह शिकायत है कि आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज और सुंदरवती महिला विश्वविद्यालय के रास्ते में मनाली चौक के पास असामाजिक तत्वों की मौजूदगी के कारण छात्राओं को नियमित रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नगर निगम द्वारा पुष्टि की गई 'मनाली चौक' जैसी कोई जगह नहीं है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस खबर से भागलपुर स्मार्ट सिटी की छवि धूमिल हुई है। लिखित बयान में, प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायत तुच्छ और निराधार है। बताया गया है कि जस्टिस फॉर विक्टिम फ्रंट ऑफ भागलपुर के अध्यक्ष ने मनाली चौक, भागलपुर के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के संबंध में भागलपुर के महानिदेशक के कार्यालय में दिनांक 25.4.2019 को शिकायत दर्ज कराई है। आक्षेपित समाचार उक्त शिकायत पर आधारित है, इसलिए संबंधित समाचार असत्यापित नहीं है।

आइटम 9-12(सी) दिनांक 15.5.2019 को संपादक, दैनिक भास्कर, भागलपुर, बिहार के खिलाफ "तिलकमांझी से मनाली चौक के बीच सड़क का नहीं हो रहा मैंटेनेंस" शीर्षक के तहत दिनांकित 13.5.2019 के अंक में कथित झूठी और भ्रामक खबर प्रकाशित करते हुए भागलपुर शहर की छवि धूमिल करने के प्रयास हेतु दर्ज शिकायत से संबंधित है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वास्तव में 'मनाली चौक' भागलपुर जैसी कोई जगह नहीं है। इससे भागलपुर स्मार्ट सिटी की छवि धूमिल हुई है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में कहा है कि शिकायत निराधार है। विचाराधीन चौक को 'मनाली चौक' के नाम से जाना जाता है। श्रावण मेले के जिला कार्ययोजना में भी यह नाम अंकित है।

आइटम संख्या 9-12(डी) संपादक, प्रभात खबर, भागलपुर, बिहार के खिलाफ दर्ज दिनांकित 6.8.2019 की शिकायत से संबंधित है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी अखबार ने अपने दिनांक 31.7.2019 के अंक में प्रकाशित किया था कि नगर निगम तिलकामांझी से मनाली चौक तक अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएगा। शिकायतकर्ता के अनुसार, 'मनाली चौक' जैसी कोई जगह नहीं है और इस समाचार ने भागलपुर शहर के निवासियों को हैरान कर दिया है।

प्रतिवादी समाचार पत्र के वरिष्ठ संपादक, श्री जिनेश सिंह ने लिखित बयान दर्ज किया है जिसमें कहा गया है कि समाचार नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर द्वारा दिनांक 9.7.2019 को जारी पत्र पर आधारित है। इसी आशय से अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर द्वारा आदेश जारी किया गया है।

सभी प्रतिवादियों द्वारा दाखिल जवाबों से यह स्पष्ट है कि समाचार असत्यापित नहीं हैं। शिकायतकर्ता की मुख्य आपत्ति यह है कि 'मनाली चौक' जैसी कोई जगह नहीं है। दैनिक जागरण के संपादक द्वारा दिनांक 5.11.2019 को दर्ज किए समीक्षा आवेदन में भी यही तर्क शामिल था। प्रेस परिषद ने इस मुद्दे को सुलझाया है। इस मामले में एक दुर्घटना के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें 'मनाली चौक' का उल्लेख किया गया था। आदेश में प्रेस परिषद ने कहा कि यह कहना गलत है कि 'मनाली चौक' जैसी कोई जगह नहीं है। यह घटना उस चौक पर हुई जिसे आम तौर पर मनाली चौक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार शिकायतकर्ता के मामले में प्रेस परिषद का निष्कर्ष है कि मनाली चौक मौजूद है।

कभी-कभी कोई स्थान सार्वजनिक धारणा से एक विशेष नाम प्राप्त कर लेता है। पीसीआई के उक्त निष्कर्ष इन सभी शिकायतों को शामिल करते हैं। इसके अलावा, समाचार असत्यापित नहीं हैं, इसलिए, जाँच समिति परिषद से शिकायतों को तुच्छ मानकर समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायतों को तुच्छ मानते हुए समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.7 **फ़ाइल संख्या.14/140/19-20/पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री उदय कुमार मंडल, अनुभाग अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, जल संसाधन विभाग, महाप्रबंधक कार्यालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	1. संपादक, आनंदबाजार पत्रिका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

न्यायनिर्णय
दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 22.7.2019 को श्री उदय कुमार मंडल, अनुभाग अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, महाप्रबंधक कार्यालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) द्वारा संपादक, आनंदबाजार पत्रिका (बंगाली), कोलकाता के खिलाफ कथित तौर पर अपने दिनांकित 15.5.2019 अंक में झूठी, भ्रामक और विकृत समाचार प्रकाशित करने के लिए की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवादित समाचार का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है:

"फरक्का में बैराज के कर्मचारियों द्वारा मूर्तिकला"

"फरक्का बैराज टाउनशिप में आवासीय-विरोध फिर से उठाया गया। पिछले वर्ष उन्होंने मृत कर्मचारी के परिवार या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवास के किराए में अचानक वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। मंगलवार को उन्होंने जी.एम. के आवास के बढ़े हुए किराये के मुद्दे पर फिर से अपना विरोध प्रदर्शित किया। फरक्का बैराज परियोजना का. विभिन्न राजनीतिक दल भी इस आंदोलन से जुड़ने में पीछे नहीं रहे हैं। इस आंदोलन में कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी और सीपीआईएम के स्थानीय नेता भी शामिल हुए। लेकिन महाप्रबंधक उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए। बल्कि भीड़ को रोकने के लिए एफबीपी के प्रशासनिक भवन के सामने बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों (सीएसआईएफ) को तैनात किया गया था। उत्साहित होकर प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के सामने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया।"

शिकायतकर्ता ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि तथ्यों की जाँच किए बिना रिपोर्ट पेश की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित रिपोर्टर ने केवल आंदोलन के बारे में रिपोर्ट की है और

उल्लेख किया है कि महाप्रबंधक, एफबीपी ने आंदोलनकारियों को उनसे मिलने और अपनी माँगें रखने की अनुमति नहीं दी है, जिससे उन्हें प्रशासनिक भवन के सामने हंगामा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि तथ्य यह है कि जनरल प्रबंधक ने आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि समूह से मुलाकात कर सौहार्दपूर्ण चर्चा की थी। शिकायतकर्ता ने दिनांक 17.5.2019 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी का ध्यान आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

प्रतिवादी संपादक को दिनांक 20.11.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद दिनांक 27.12.2019 को एक अनुस्मारक जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

कार्यकारी उपाध्यक्ष-वित्त, आईटी और प्रशासन, आनंदबाजार पत्रिका ने दिनांक 30.12.2019 को लिखित बयान के माध्यम से प्रस्तुत किया कि शिकायत के साथ-साथ आक्षेपित समाचार लेख पर समाचार पत्र की संपादकीय बैठक में चर्चा और विचार-विमर्श किया गया था और आनंदबाजार पत्रिका में 15.5.2019 को "फरक्कय धरना बैराज कर्माइडर" शीर्षक के तहत प्रकाशित आक्षेपित समाचार लेख के लिए एक शुद्धिपत्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि शुद्धिपत्र 21.12.2019 को "आमरा दुक्खितो" शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था। शुद्धिपत्र में कहा गया है कि महाप्रबंधक ने आंदोलनकारियों के साथ चर्चा में भाग लिया था और किराया वृद्धि के संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए भविष्य की तारीख तय की गई थी। स्थान की कमी के कारण इसका संपादित संस्करण प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने आगे प्रकाशित किया कि अनजाने में कुछ भ्रम पैदा हो गया था और वे ईमानदारी से खेद व्यक्त करते हैं।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया है। जबकि श्री रोहित कुमार, एलडीसी, स्थापना अनुभाग, फरक्का बैराज परियोजना शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए, प्रतिवादी समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व श्री राघव शंकर, श्री भास्कर आनंद और सुश्री पल्लव मिश्रा, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

यह शिकायत दिनांक 22.7.2019 को श्री उदय कुमार मंडल, अनुभाग अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, महाप्रबंधक कार्यालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) द्वारा संपादक, आनंदबाजार पत्रिका (बंगाली), कोलकाता के खिलाफ कथित तौर पर अपने दिनांकित 15.5.2019 अंक में झूठी, भ्रामक और विकृत समाचार प्रकाशित करने के लिए की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवादित समाचार का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है:

"फरक्का में बैराज के कर्मचारियों द्वारा मूर्तिकला"

"फरक्का बैराज टाउनशिप में आवासीय-विरोध फिर से उठाया गया। पिछले वर्ष उन्होंने मृत कर्मचारी के परिवार या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवास के किराए में अचानक वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। मंगलवार को उन्होंने जी.एम. के आवास के बढ़े हुए किराये के मुद्दे पर फिर से अपना विरोध प्रदर्शित किया। फरक्का बैराज परियोजना का. विभिन्न राजनीतिक दल भी इस आंदोलन से जुड़ने में पीछे नहीं रहे हैं। इस आंदोलन में कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी और सीपीआईएम के स्थानीय नेता भी शामिल हुए। लेकिन महाप्रबंधक उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए। बल्कि भीड़ को रोकने के लिए एफबीपी के प्रशासनिक भवन के सामने बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों (सीएसआईएफ) को तैनात किया गया था। उत्साहित होकर प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के सामने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया।"

प्रतिवादी की ओर से, कार्यकारी उपाध्यक्ष, वित्त, आईटी और प्रशासन ने दिनांक 30.12.2019 को एक पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि इसे उत्तर के रूप में माना जाए। उक्त पत्र में कहा गया है कि बराज प्राधिकार के महाप्रबंधक ने किराया वृद्धि को लेकर आंदोलनकारियों के साथ विस्तृत चर्चा में भाग लिया था। इसलिए, एक शुद्धिपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। शुद्धिपत्र की एक प्रति संलग्न है। इसे 21.12.2019 को प्रकाशित किया गया था। शुद्धिपत्र में कहा गया है कि महाप्रबंधक ने किराया वृद्धि के संबंध में एक चर्चा में भाग लिया था लेकिन जगह की कमी के कारण एक संपादित संस्करण प्रकाशित किया गया था। काफी प्रयास करने के बावजूद बैराज प्राधिकरण से संपर्क नहीं हो सका और असमंजस के कारण 15.05.2019 को यह अंश समाचार में प्रकाशित नहीं किया गया। प्रतिवादी ने इसके लिए खेद व्यक्त किया है।

जाँच समिति का मानना है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी ने प्रकाशित शुद्धिपत्र में स्वीकार किया है कि भ्रम के कारण उसने यह महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित नहीं किया कि महाप्रबंधक आंदोलनकारियों से मिलने के लिए सहमत हुए थे और उन्होंने माफी माँगी है तथा इसके लिए खेद व्यक्त किया है, इसलिए शिकायत समाप्त किये जाने योग्य है। माफी और खेद वास्तविक प्रतीत होते हैं। इसलिए, जाँच समिति परिषद से माफी और खेद की अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए शिकायत को बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और प्रतिवादी द्वारा व्यक्त

की गई माफी और प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रखते हुए शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.8 **फ़ा.सं.14/139/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री उदय कुमार मंडल, अनुभाग अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, जल संसाधन विभाग, महाप्रबंधक कार्यालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	1. संपादक, संगबाद प्रतिदिन, कोलकाता,

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 22.7.2019 को श्री उदय कुमार मंडल, अनुभाग अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, महाप्रबंधक कार्यालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) द्वारा दर्ज की गई है। यह शिकायत प्रधान संपादक, सांगाबाद प्रतिदिन (बंगाली), कोलकाता के खिलाफ दिनांक 13.5.2019 एवं 15.5.2019 के अंक में **"Increase in rent of residential accommodations of Farakka Barrage Project, threat of ANDOLAN"** and **"Farakka is disturbed in agitation against increase of rent, G.M. is gheraoed"** शीर्षकों के तहत कथित तौर झूठी, भ्रामक और विकृत समाचार प्रकाशित करने के लिए की गई है।

पहले समाचार में यह बताया गया है कि सभी राजनीतिक दल लुप्तप्राय फरक्का बैराज परियोजना की टाउनशिप, जिसे फरक्का बैराज अबासन रक्षा समिति कहा जाता है, की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष, सीपीआईएम श्रमिक नेता, भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष और फरक्का विधायक की बैठक में आवास का किराया 15 से 20 गुना बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस वृद्धि ने निवासियों को असहाय बना दिया है। किसी भी निवासी को किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं किया जा सकता है। आगे बताया गया है कि फरक्का प्रबंधन के ऐसे कृत्य का कड़ा विरोध किया जाएगा

और जरूरत पड़ने पर विरोध को दिल्ली तक ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। समाचार में आगे बताया गया कि किराए में असामान्य वृद्धि और अमानवीय उन्मूलन के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रहेगा।

दूसरी खबर में बताया गया है कि मंगलवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने अपनी माँग नहीं मानने पर फरक्का बराज परियोजना के जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आख़िरकार प्रदर्शनकारियों द्वारा फरक्का बैराज परियोजना के जी.एम. को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। आगे बताया गया है कि जी.एम. ने प्रदर्शनकारियों से जल शक्ति मंत्रालय के साथ माँगों पर चर्चा के लिए कुछ समय माँगा है। जीएम ने आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की बेदखली नहीं की जाएगी और दूसरी बैठक से पहले अभियान चलाया जाएगा।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) केवल एफबीपी के कर्मचारियों और उससे जुड़े अन्य सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवास के लिए एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स का अनुरक्षण करना कर रही है। आम जनता/स्थानीय लोगों के आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। शिकायतकर्ता के मुताबिक किराये में बढ़ोतरी 19 साल के लंबे अंतराल के बाद लागू की गई है। इसे अंतिम बार वर्ष 1999 में संशोधित किया गया था और किराए में औसत वृद्धि 1.57 से 3.08 गुना के बीच होती है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आक्षेपित समाचारों ने न केवल वास्तविक तथ्यों को विकृत किया, बल्कि यह भी नहीं दर्शाया कि आंदोलन अनाधिकृत व्यक्तियों/ताला तोड़ने वालों और गुंडों द्वारा किया गया था। उन्होंने फरक्का बराज परियोजना के प्रशासनिक भवनों के सामने हंगामा करते हुए एफबीपी प्रबंधन के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाये थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने तथ्य को छुपाया, स्थानीय लोगों और आसपास के लोगों को गलत संदेश दिया और अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले जिम्मेदार सरकारी कार्यालयों के खिलाफ भीड़ को भड़काया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, संवैधानिक सुरक्षा का सम्मान करने वाली केंद्र सरकार की इकाई के रूप में फरक्का बैराज परियोजना प्राधिकरण का प्रेस द्वारा प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खंडन करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के कार्यालय के खिलाफ कथित और विकृत तथ्यों पर बनाई गई रिपोर्टों तथा संगठन की छवि को बदनाम करने के लिए कड़ी निंदा करता है।

संपादक, संगबाद प्रतिदिन, कोलकाता को दिनांक 18.11.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

<u>लिखित वक्तव्य</u>

श्री सृंजॉय बोस, प्रधान संपादक, सांगबाद प्रतिदिन ने दिनांक 16.1.2020 के अपने लिखित बयान के माध्यम से आरोपों का इनकार करते हुए कहा है कि शिकायत में घटना की रिपोर्टिंग का

आरोप नहीं लगाया गया है। यह क्षेत्र के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को शामिल करते हुए एक सार्वजनिक विरोध आंदोलन से संबंधित है, जो शिकायत में सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं है। बल्कि, शिकायतकर्ता इस बात से व्यथित प्रतीत होता है कि फरक्का बैराज टाउनशिप आवासीय परिसर के किराए की वृद्धि को रिपोर्टर द्वारा उचित नहीं ठहराया गया या उसका बचाव नहीं किया गया। प्रतिवादी ने कहा है कि किसी प्राधिकारी की कार्रवाई को तर्कसंगत बनाना या किसी विशेष तरीके से आंदोलनकारी को प्रतिबिंबित करना अखबार की भूमिका नहीं है। समाचार पत्र का कर्तव्य है कि वह किसी घटना की निष्पक्षता से और ठीक वैसी ही रिपोर्ट करे जैसी वह घटित हुई थी। वर्तमान मामले में, अखबार की जिस रिपोर्ट की शिकायत की गई है, उसने अखबार के कर्तव्य और भूमिका का निर्वहन किया है और पत्रकारिता की नैतिकता या आचरण का कोई उल्लंघन नहीं किया है। दिनांक 13.5.2019 के आक्षेपित समाचार के संबंध में, प्रतिवादी ने कहा है कि आक्षेपित समाचार किसी प्राधिकारी या अधिकारी के विरुद्ध बिना किसी टिप्पणी या चित्रण के तथ्यों पर प्रकाशित किया गया था। अखबार ने फरक्का बैराज के अधिकारियों या उसके किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई टिप्पणी या आक्षेप नहीं किया है। आक्षेपित समाचार में किराए की वृद्धि के औचित्य या प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को मान्य करने पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई। किसी भी तथ्य या घटना को दबाया नहीं गया और जब रिपोर्ट पूरी तरह से सार्वजनिक स्थान पर आयोजित बैठक तक ही सीमित हो तो तथ्य को दबाने या विकृत करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि बैठक की घटना, ऐसी बैठक में विवादित रिपोर्ट में नामित व्यक्तियों की उपस्थिति या उसमें लिए गए संकल्प की सत्यता को कथित शिकायत में चुनौती नहीं दी गई है। रिपोर्ट में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसे दूर से भी फरक्का बैराज परियोजना या उसके अधिकारियों के लिए अपमानजनक माना जा सके। रिपोर्ट में केवल सार्वजनिक बैठक का वर्णन किया गया जैसा कि यह वास्तव में हुआ था।

कथित आक्षेपित समाचार दिनांकित 15.5.2019 के संदर्भ में, प्रतिवादी ने कहा है कि यह समाचार केवल उन घटनाओं का विवरण था जो एक सार्वजनिक विरोध के दौरान हुई थीं। अखबार द्वारा फरक्का बैराज प्राधिकारियों के खिलाफ कोई आलोचनात्मक टिप्पणी या आक्षेप नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में यह भी आरोप नहीं लगाया गया है कि अखबार में छपी कोई भी घटना झूठी थी या वह घटित ही नहीं हुई थी। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि ऐसी घटना बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी रिपोर्ट की गई थी और समाचार पूरी तरह से निष्पक्ष और सही है। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोपित समाचार का सही अनुवाद प्रस्तुत नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि शिकायत में रत्ती भर भी ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता चले कि आक्षेपित समाचार पत्रकारिता नैतिकता या सार्वजनिक रुचि के मानकों के खिलाफ हैं या कोई पेशेवर कदाचार किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 29.6.2020 को अपनी जवाबी टिप्पणियों में कहा है कि कोई भी औचित्य लेने से पहले समाचार पत्र में प्रकाशित कोई भी निष्कर्ष प्रतिवादी की पक्षपाती मानसिकता को दर्शाता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, किसी समाचार पत्र का कर्तव्य निश्चित रूप से किसी घटना को निष्पक्ष रूप से और बिल्कुल वैसी ही रिपोर्ट करना है जैसा कि हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समाचार की प्रामाणिकता को मान्य किए बिना, सूचना के एक ही स्रोत से प्रभावित होकर प्रस्तुत किया जाए। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि आक्षेपित समाचार रिपोर्ट आम लोगों के मन में फरक्का बैराज प्राधिकरण के बारे में नकारात्मक धारणा पैदा कर सकती है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) के क्वार्टरों में आम लोगों के आवास का समर्थन करने जैसा कोई नियम नहीं है। जीएम कार्यालय के समक्ष किए गए आंदोलन का आयोजन गैर-हकदार श्रेणियों के अनाधिकृत कब्जाधारियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने सरकारी आवास पर जबरन कब्जा कर लिया था। प्रतिवादी पर विशेष तरीके से आंदोलन को प्रतिबिंबित करने के लिए दबाव नहीं डाला गया है, बल्कि निष्पक्ष आधार द्वारा अपनी खबर प्रकाशित करने हेतु जिम्मेदार होने और एफबीपी की छवि को बदनाम न करने लिए दबाव डाला गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि एफबीपी को 'लुप्तप्राय' के रूप में चित्रित करना प्रतिवादी की ओर से पत्रकारिता की व्यावसायिकता का प्रतिबिंब नहीं है। यह महज सरकारी संस्था की छवि को बदनाम करने का एक प्रयास है। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी समाचार पत्र की ओर से, लिखित बयान पत्रकारिता नैतिकता से पूरी तरह जानबूझकर विचलन का प्रतिबिंब है। इसने वस्तुतः अनाधिकृत कब्जाधारियों के प्रवक्ता की भूमिका निभाई है, जो लंबे समय से सरकारी आवास पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और उचित किराया भी देने को तैयार नहीं हैं।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला दिनांक 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

यह शिकायत श्री उदय कुमार मंडल, अनुभाग अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान संपादक, संगबाद प्रतिदिन, कोलकाता के खिलाफ अपने दिनांकित 13.5.2019 और 15.5.2019 के अंकों में "फरक्का बराज परियोजना के आवासीय किराये में वृद्धि, आंदोलन का खतरा" और "किराया वृद्धि के खिलाफ आंदोलन में फरक्का परेशान, घिरा हुआ है जी.एम." शीर्षकों के तहत कथित रूप से झूठी, भ्रामक और विकृत समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार प्रतिवादी ने सही तथ्यों को छुपाया है और फरक्का बैराज प्राधिकरण की छवि को नुकसान पहुंचाया है।

जाँच समिति ने शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि और प्रतिवादी के वकील को सुना है। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि शिकायतकर्ता प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित समाचारों के बारे में अपना संस्करण देता है जो संगबाद प्रतिदिन समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। श्री रोहित कुमार, एलडीसी, स्थापना अनुभाग, फरक्का बैराज परियोजना शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता का संस्करण दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादी प्रतिदिन संगबाद अखबार को भेज दिया जाएगा। प्रतिवादी समाचार पत्र के वकील, श्री कौशिक चटर्जी का कहना है कि संस्करण प्राप्त होने पर इसे दो सप्ताह के भीतर संगाबाद प्रतिदिन में प्रकाशित किया जाएगा। इन बयानों को जाँच समिति ने स्वीकार कर लिया है। इसे देखते हुए, जाँच समिति परिषद को उपरोक्त कथनों को स्वीकार करके शिकायत का समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा पार्टियों द्वारा दिए गए उपरोक्त बयानों को स्वीकार करते हुए शिकायत का समापन करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.9-10 **फ़ाइल संख्या.14/413-414/19-20/पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
श्री बिस्वरंजन बेउरा, स्नेह भवन, सरस्वती नगर, पुरी, ओडिशा	1. संपादक, द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया, नागपुर, महाराष्ट्र 2. संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स नागपुर, महाराष्ट्र

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायतें दिनांक 20.09.2019 और 28.10.2019 को श्री विश्वरंजन बेउरा, पुरी, ओडिशा द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया; और (2) महाराष्ट्र टाइम्स के संपादकों के खिलाफ कथित तौर पर निम्नलिखित शीर्षकों (हिंदी अनुदित) तथा तारीखों के तहत भ्रामक समाचार आइटम प्रकाशित करने के लिए दायर की गई हैं:

S. No.	Newspaper	Caption	Date of publication
1.	The Times of India	Two Maha Metro employees held for leaking officials' video	11.7.2019
2.	The Times of India	Approach Senior Metro Authority, HC directs sacked staffer	31.10.2019
3.	Maharashtra Times	Metro Engineer's Plea Rejected (Translated Version)	18.9.2019

द टाइम्स ऑफ इंडिया की 11.07.2019 की पहली खबर में बताया गया है कि सदर पुलिस ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बातचीत को कथित तौर पर लीक करने के आरोप में एक उप महाप्रबंधक (शिकायतकर्ता) सहित महा मेट्रो के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आगे बताया गया है कि सूत्रों के मुताबिक, शिकायतकर्ता को अपनी भर्ती के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में 18 जून, 2019 को निलंबित कर दिया गया था। इस संबंध में जाँच चल रही है। हालाँकि, शिकायतकर्ता चल रही जाँच की स्थिति जानना चाहता था इसलिए उसने मदद के लिए श्री समर्थ से संपर्क किया। श्री समर्थ कथित तौर पर शिकायतकर्ता की जाँच पर वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने के लिए सहमत हुआ और उसे दे दिया। श्री समर्थ वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने में शामिल था। कथित लीक तब सामने आया जब वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया और महा मेट्रो के शीर्ष अधिकारियों ने देखा और पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। जाँच के दौरान, श्री समरथ ने सारी बातें उगल दीं।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की 31.10.2019 की दूसरी खबर में बताया गया है कि कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी को बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के लिए विभागीय प्राधिकरण से संपर्क करने का निर्देश दिया है। समाचार में आगे कहा गया है कि शिकायतकर्ता के याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से प्रबंधन के गवाहों से जिरह करने की अनुमति दिए बिना जाँच अधिकारी द्वारा जाँच को जल्दबाजी में पूरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को चुनौती दी थी।

महाराष्ट्र टाइम्स द्वारा दिनांक 18.09.2019 को प्रकाशित तीसरी खबर में (शिकायतकर्ता द्वारा अनुवाद से अनुदित), यह बताया गया है कि फर्जी डिग्री के आधार पर, मेट्रोरेल कॉर्पोरेशन में भर्ती करने वाले इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी लेकिन याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि मामले को संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आगे बताया गया है कि श्री विश्वरंजन बेउरा ने नागपुर मेट्रो रेलवे में वरिष्ठ उप मंडल

प्रबंधक के पद के लिए आवेदन किया था। इसके लिए उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से हासिल की गई डिग्री पेश की थी। हालाँकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने घोषणा की थी कि 2001 से 2005 की अवधि तक विश्वविद्यालय के पदों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस बीच, मेट्रो ने श्री बेउरा द्वारा दी गई डिग्री पर विश्वास करते हुए उन्हें काम पर रख लिया था। हालांकि, बाद में पता चला कि डिग्री यूजीसी द्वारा अनुमोदित नहीं थी। इसके बाद मेट्रो ने श्री बेउरा को एक नोटिस जारी किया और एक जाँच समिति की स्थापना की। बताया गया है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने यूजीसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 2001 से 2005 तक के छात्रों की दोबारा परीक्षा ली जाए और संशोधित डिग्री दी जाए। हालाँकि, श्री बेउरा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उसी पद पर प्रवेश किया, इसलिए डिग्री फर्जी निकली। उसी समय, श्री बेउरा ने एक नकली अनुभव पत्र भी जमा किया था।

आरोपों से इनकार करते हुए और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों का हवाला देते हुए शिका-यतकर्ता ने कहा कि यह खबर उनके करियर, गरिमा और ईमानदारी के बारे में पूरी तरह से भ्रामक है। प्रकाशित लेख मनगढ़ंत है और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित लेख के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में कोई मामला दायर नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि यह संवाददाता का कर्तव्य है कि वह माननीय न्यायालय के रिकॉर्ड से, जो सार्वजनिक डोमेन में है या अपने वकील के माध्यम से कहानी की पुष्टि करते। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने रिट याचिका संख्या 6016/2019 के माध्यम से जाँच कैसे की गई, इसे चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। माननीय न्यायालय ने 27.8.2019 को नोटिस जारी किया और इसे 11.9.2019 को वापस किया जा सकता था। हालाँकि, अंतराल में यानी 31.8.2019 को, महा-मेट्रो ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने उन्हें सीडीए नियमों के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने का निर्देश दिया और उन्होंने याचिका वापस ले ली। उन्होंने अखबार से मामले की सुनवाई और उस पर फैसले की सच्चाई और सही विवरण प्रकाशित करने के लिए एक प्रेस नोट जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

महाराष्ट्र टाइम्स में प्रकाशित समाचार लेख का हवाला देते हुए, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसे अपनी डिग्री के आधार पर महा मेट्रो में उप प्रबंधक (सिग्नलिंग) के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2015 में नियुक्ति के समय उनकी डिग्री वैध थी। वर्ष 2018 में उन्हें सीनियर डीजीएम (सिग्नलिंग) के पद पर पदोन्नत किया गया। महा मेट्रो ने उन पर सिग्नलिंग अनुबंध से संबंधित एक बिल में से तीन करोड़ रुपये की राशि को पारित करने के लिए दबाव डाला, लेकिन वह 20.3.2019 को बिल पारित करने के उनके निर्णय से सहमत नहीं थे। उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। उन्होंने यह मामला कोर्ट में

उठाया, जिस कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि समाचार पत्र में यह खबर छपी है कि उनके पिछले नियोक्ता ने महा मेट्रो को जवाब दिया था कि श्री विश्वरंजन बेउरा के मूल कागजात और नो ड्यूज सर्टिफिकेट कार्यालय द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद महा मेट्रो ने उन्हें एक मेमोरेंडम जारी किया। इसके अलावा, अखबार ने प्रकाशित किया कि फैसला प्रतिवादी के पक्ष में आया, जबकि तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर अदालती अपील पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील दायर करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा, अपीलीय प्राधिकारी याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देगा। इस प्रकार फैसला उनके पक्ष में आया।

प्रतिवादी समाचार पत्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र टाइम्स को दिनांक 20.1.2020 को कारण बताओ नोटिस और उसके बाद दिनांक 6.3.2020 को एक समयबद्ध अनुस्मारक जारी किया गया था।

प्रतिवादियों द्वारा दर्ज उत्तर

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 यानी "द टाइम्स ऑफ इंडिया" और "महाराष्ट्र टाइम्स" के वकील श्री आकाश नागर ने अपने लिखित बयान दिनांक 30.8.2023 में आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उनके मुवक्किल समाचार पत्र ने शिकायतकर्ता या अन्य किसी के प्रति बिना किसी द्वेष या दुर्भावना के समाचार लेख प्रकाशित किया है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि समाचार रिपोर्टें कई विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर की जाती हैं। प्रतिवादी के अनुसार, तत्काल मामले में, विचाराधीन समाचार लेखों का विषय महा मेट्रो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("महा-मेट्रो") के अधिकारियों के कार्यों से संबंधित है। यह लेख जनहित के समसामयिक विषयों पर समाचार रिपोर्टिंग के अपने सामान्य पाठ्यक्रम के तहत सद्भावनापूर्वक प्रकाशित किया गया था। यह अन्य बातों के अलावा, एक वरिष्ठ वकील द्वारा प्रदान की गई मामले की जानकारी पर आधारित था जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में लगे हुए थे और मामले में महा-मेट्रो का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्रकार न्यायाधीशों के पास नहीं जा सकते और सुनवाई के दिन आदेश की प्रतियां वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई थीं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया है कि न केवल उनके मुवक्किल बल्कि अन्य सभी प्रमुख मीडिया हाउसों ने भी इसी तरह की खबर चलाई, जिससे साबित होता है कि समाचार लेख बिना किसी दुर्भावना या द्वेष के निष्पक्ष तरीके से प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उक्त समाचार लेख के प्रकाशन के बाद, शिकायतकर्ता ने संबंधित समाचार लेख के संवाददाता से मुलाकात की और उसे अपनी शिकायतों और मामले के तथ्यों से अवगत कराया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी का

विश्लेषण करने के बाद, शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि के लिए उसके ग्राहक द्वारा तुरंत एक नया लेख 31.10.2019 को ऑनलाइन और साथ ही द टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर संस्करण में प्रकाशित किया गया था।

दिनांक 18.09.2019 और 31.10.2019 के समाचार लेख टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी उपलब्ध थे। शिकायतकर्ता ने फिर से अपने ग्राहक से संपर्क किया और ऑनलाइन लेखों को हटाने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर और अच्छे विश्वास के साथ कार्रवाई करते हुए, उनके ग्राहक ने अब दिनांक 18.09.2019 और 31.10.2019 के दोनों ऑनलाइन लेखों को वेबसाइट से हटा दिया है और शिकायतकर्ता ने लेख के लेखक से अपने ग्राहक द्वारा की गई कार्रवाई से अपनी संतुष्टि की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मामला पार्टियों के बीच सुलझ गया है और माननीय परिषद से उनके ग्राहक के खिलाफ इन कार्यवाही को रोकने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी ने उल्लेख किया है कि समाचार लेख दिनांक 11.07.2019 को शिकायतकर्ता द्वारा माननीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत दिनांक 07.01.2020 के पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड में लाया गया था। दिनांक 28.10.2019 और 20.09.2019 की शिकायतों के तहत इसका कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा है कि उक्त समाचार लेख को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत का वीडियो कथित तौर पर लीक करने के लिए महा मेट्रो के कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर केंद्रित है। शिकायतकर्ता ने उक्त गिरफ्तारी के तथ्य पर कोई विवाद प्रकट नहीं किया है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि इस समाचार के प्रकाशन के समय, शिकायतकर्ता वास्तव में निलंबित था। समाचार लेख को समग्र रूप से पढ़ा जाएगा। निलंबन का उल्लेख इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं था, बल्कि गिरफ्तारी की घटना के आसपास के घटनाक्रम का एक व्यापक तस्वीर पेश करने के लिए था। इसके अलावा, समाचार लेख में कहा गया है "कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज़ जमा करना..", जैसा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था।

प्रतिवादी ने कहा है कि इस मामले में, शिकायतकर्ता के निलंबन की जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त की गई थी, जिसे उनके ग्राहकों ने प्रकाशन के समय सटीक माना था। दरअसल, कई अन्य अखबारों ने भी यही खबर प्रकाशित की है, जो जानकारी की वैधता पर और अधिक जोर देती है। उन्होंने उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता ने समाचार लेखों की सामग्री का कोई अलग संस्करण प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 22.9.2023 को अपनी बिंदुवार प्रति टिप्पणियों के माध्यम से अपनी शिकायत दोहराते हुए कहा है कि प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान के समर्थन में कोई दस्तावेजी

साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि आक्षेपित समाचारों को प्रकाशित करने से पहले उत्तरदाताओं द्वारा कोई पूर्व-प्रकाशन सत्यापन नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तरदाता-ओं ने उनके कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया है।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

मामले की सुनवाई शुरुआत में जाँच समिति द्वारा 17.4.2023 और 27.6.2023 को की गई थी।

मामला 26.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ है जबकि उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व श्री आकाश नागर, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

ये शिकायतें दिनांक 20.09.2019 और 28.10.2019 को श्री विश्वरंजन बेउरा, पुरी ओडिशा द्वारा क्रमशः महाराष्ट्र टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकों के खिलाफ निम्नलिखित शीर्षकों और तारीखों के तहत भ्रामक समाचारों के प्रकाशन के लिए दर्ज की गई हैं:

S. No.	Newspaper	Caption	Date of publication
1.	The Times of India	Two Maha Metro employees held for leaking officials' video	11.7.2019
2.	The Times of India	Approach Senior Metro Authority, HC directs sacked staffer	31.10.2019
3.	Maharashtra Times	Metro Engineer's Plea Rejected (Translated Version)	18.9.2019

निश्चय ही सीरियल संख्या 2 और 3 की खबरें ऑनलाइन पोर्टल से हटा दी गई हैं। जाँच समिति ने श्री विश्वरंजन बेउरा को सुना है और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वकील श्री आकाश नागर को भी सुना है। श्री बेउरा ने तर्क दिया कि उनकी मूल शिकायत यह है कि इन दोनों समाचार पत्रों ने एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि श्री बेउरा की डिग्री फर्जी है जबकि ऐसा नहीं है। श्री ब्यूरा ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, राजस्थान द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। उसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"यह प्रमाणित किया जा रहा है कि विश्वरंजन बेउरा पुत्र बिजय कुमार बेउरा ने नामांकन संख्या DE-II/2005/36219 के तहत जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) से दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत वर्ष 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग (लेटरल एंट्री) में बी.टेक. उत्तीर्ण किया है।

उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाणपत्र क्रमांक 008267 के अनुसार।

सिविल अपील संख्या 17869-17870 दिनांक 03.11.2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार उनकी डिग्री केवल तभी मान्य है जब उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जून 2018 और दिसंबर 2018 के महीने में एआईसीटीई द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

आगे के सत्यापन के लिए आप एआईसीटीई से संपर्क कर सकते हैं।"

इसका मतलब यह है कि श्री बेउरा के पास एक डिग्री थी। यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी डिग्री फर्जी थी। यह सच है कि प्रमाणपत्र में उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, उन्हें एआईसीटीई द्वारा आयोजित परीक्षा देकर अपनी डिग्री को मान्य कराना होगा। लेकिन श्री बेउरा ने बताया कि वह 2015 में महाराष्ट्र मेट्रो में शामिल हुए थे और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बाद में यानी वर्ष 2017 में आया। इसलिए, अब श्री बेउरा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार परीक्षा में उपस्थित होकर अपनी डिग्री को मान्य कराना आवश्यक होगा, जो वह कर सकते हैं। लेकिन जाँच समिति के उद्देश्यों के लिए जो बात बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि जब वह 2015 में महाराष्ट्र मेट्रो में शामिल हुए तो उनके पास एक डिग्री थी। श्री बेउरा सही हैं जब वे कहते हैं कि ऐसी खबरें प्रकाशित करके प्रतिवादी समाचार पत्रों ने उनकी छवि खराब की है और इसलिए, कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए।

हालाँकि, प्रतिवादी समाचार पत्रों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि ये समाचार प्रामाणिक रूप से प्रकाशित किए गए थे। समाचार पत्रों के पास श्री बेउरा के खिलाफ कुछ भी नहीं है। अखबार को यह जानकारी बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश हुए एक वरिष्ठ वकील से मिली थी। जाँच समिति इस दलील से प्रभावित नहीं है। यह सामान्य बात है कि अखबार को समाचार प्रकाशित करने से पहले, खासकर जब वह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से संबंधित हो, उसकी सामग्री की सटीकता को सत्यापित करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से इस मामले में नहीं किया गया है। यह वास्तव में प्रतिवादी समाचार पत्रों की ओर से एक गंभीर चूक है। विद्वान वकील ने कहा कि यदि प्रतिवादी चाहे तो समाचार पत्र शिकायतकर्ता के मामले को प्रकाशित करेंगे। शिकायतकर्ता ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पहले ही खराब हो चुकी है और इस मुद्दे को दोबारा सार्वजनिक डोमेन में लाने से और भी नुकसान होगा। जाँच समिति उनकी चिंता की सराहना करती है। मामले की परिस्थितियों में जाँच समिति परिषद को प्रतिवादी समाचार पत्रों की **परिनिन्दा** करने और शिकायत का समाप्त करने की संस्तुति करती है। इस आदेश की एक प्रति महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली; निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई; और जिला मजिस्ट्रेट, नागपुर को उचित कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और समाचार पत्रों "टाइम्स ऑफ इंडिया" और "महाराष्ट्र टाइम्स", नागपुर संस्करणों की **परिनिन्दा** करने का निर्णय लेती है तथा उपरोक्त अधिकारियों को उचित कार्यवाही हेतु आदेश अग्रेषित करने का निर्देश देती है।

****

क्र.सं.11 **फ़ा.सं.130/2021-A.**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री चतुर्भुर्जा शिवसागर पांडे, संपादक, हिन्द सागर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र	1. श्री वसंत माने, संपादक, . सर्वश्रेष्ठ राजसत्ता, ठाणे, महाराष्ट्र

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 25.2.2021 को श्री चतुर्भुर्जा शिवसागर पांडे, संपादक, हिंद सागर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र द्वारा श्री वसंत माने, संपादक, सर्वश्रेष्ठ राजसत्ता, मराठी साप्ताहिक, ठाणे के खिलाफ दिनांकित 29 जनवरी, 2021-4 फरवरी, 2021 के अंक में कथित तौर पर "वंसत माने का सरप्राईज अनोखा अनशन, निर्भया की वेदना-दुख पर खुद के अहंकार-घंमड की कथा लिखने वाले, कलम बहादर के उपर राजेंद्र कांबले का निशाना" (शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत हिंदी अनुवाद) शीर्षक के तहत अपमानजनक लेख प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, आक्षेपित लेख में बताया गया है कि एक तरफ मीरा-भायंदर नगर निगम का वार्ताहार संघ निर्भया के लिए आवाज उठा रहा है तथा दूसरी ओर, हिंद सागर के संपादक चतुर्भुर्जा पांडे जैसे कुछ पत्रकार भी मौजूद हैं, जो वोट कमाने और ब्लैकमेलिंग की पत्रकारिता करते थे। यह भी बताया गया है कि यदि लेखक ने वार्ताहार संघ का नाम बदल दिया है तो भी वह इस नामकरण को स्वीकार कर लेगा और यह वही अपराध सौ गुना अधिक करेगा लेकिन उसी का समर्थन करता रहेगा तथा हिंद सागर के गुंडे और सड़कछाप संपादक को उसके कृत्य के लिए करारा जवाब देने की जरूरत है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी पैसे ऐंठने के लिए समाचारों में सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आदी है।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचार लेख में उसके खिलाफ बेहद अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है, जिसके कारण समाज और परिवार में उसकी छवि खराब हुई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी ने अपने प्रचार के लिए अतीत में मीरा-भायंदर की चार वर्षीय बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर की थी। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 19.4.2021 के माध्यम से प्रतिवादी का ध्यान आक्षेपित समाचार लेख की ओर आकर्षित किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी समाचार पत्र का पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध किया है।

संपादक, सर्वश्रेष्ठ राजसत्ता, ठाणे, महाराष्ट्र को दिनांक 10.8.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

<u>प्रतिवादी का लिखित वक्तव्य</u>

श्री वसंत माने, संपादक, सर्वश्रेष्ठ राजसत्ता, ठाणे ने 26.8.2021 को परिषद में प्राप्त अपने अदिनांकित लिखित बयान के माध्यम से आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता उनका पत्रकार मित्र है और उन्हें बदनाम करने का उनका कोई इरादा नहीं था। प्रतिवादी के अनुसार, वह क्वारंटाइन में था और आक्षेपित समाचार लेख के प्रकाशन के समय अस्पताल में भी भर्ती था, इसलिए उसे आक्षेपित समाचार लेख के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब उन्हें परिषद का पत्र मिला क्योंकि उन्हें शिकायतकर्ता से कोई नोटिस नहीं मिला था। प्रतिवादी ने कहा कि जब उन्हें पत्रकार श्री राजेंद्र कांबले, जो कि उनके अखबार में काम नहीं कर रहे हैं, द्वारा विवादित लेख के प्रकाशन के बारे में पता चला, तो उन्होंने स्वयं शिकायतकर्ता से माफी माँगी। यह माफी विवादित लेख प्रकाशित करने के लिए था लेकिन कोरोना पीड़ित होने के कारण वह माफीनामा प्रकाशित नहीं कर सके। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि यदि विवादित लेख के प्रकाशन से शिकायतकर्ता को कोई ठेस पहुँची है तो वह इसके लिए माफी माँगते हैं।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

मामले की शुरुआत में सुनवाई 18.4.2023 को हुई। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित था। प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद, मामला 27.6.2023 को फिर से नई दिल्ली में सुनवाई के लिए आया, जहाँ किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थिति नहीं हुई।

मामला आज यानी 26.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है।

अंतिम अवसर पर न तो शिकायतकर्ता और न ही प्रतिवादी उपस्थित थे। आज फिर न तो शिकायतकर्ता और न ही प्रतिवादी उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों में, जाँच समिति परिषद को शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

प्रेस और मानहानि

क्र.सं.12 **फ़ा.सं.14/408/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
डॉ. शलभ वैश्य, सह (एसोसिएट) प्राध्यापक, सरकारी मेडिकल कॉलेज, बदायूँ, उत्तर प्रदेश	1. संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश 2. श्री अमित शर्मा, विज्ञापन प्रतिनिधि दैनिक जागरण, बदायूँ, उत्तर प्रदेश

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

परिषद के सचिवालय में 28.10.2019 को प्राप्त यह अदिनांकित शिकायत, डॉ. शलभ वैश्य, सह-प्राध्यापक, सरकारी मेडिकल कॉलेज, बदायूँ (यूपी) द्वारा “दैनिक जागरण" के संपादक के खिलाफ दिनांक 28.8.2019 के अंक में “मेडिकल कालेज में डाक्टर व तीमारदार भिडे, हंगामा” शीर्षक के तहत कथित तौर पर गलत तथा अपमानजनक समाचार के प्रकाशन के लिए दायर की गई है।

आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात एक ईएनटी डॉक्टर, डॉ. शलभ ने एक महिला परिचर और उसके पति के साथ दुर्व्यवहार किया और जब मामला मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल तक पहुँचा, तो उन्होंने डॉक्टर को उनके व्यवहार के लिए चेतावनी दी।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि जब वह 27.8.2019 को मरीजों की जाँच कर रहे थे, तो दैनिक जागरण के पत्रकार श्री अमित शर्मा नामक व्यक्ति ने एक महिला मरीज के साथ उसके कमरे में जबरन घुसने की कोशिश की। किसी आपात स्थिति की संभावना को देखते हुए उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर को महिला का चेकअप करने का निर्देश दिया। जब नर्स ने श्री अमित शर्मा को बाहर इंतजार करने के

लिए कहा तो श्री अमित शर्मा भड़क गये और डॉक्टर को धमकाते हुए महिला मरीज को लेकर ओपीडी से बाहर चले गये।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि घटना के अगले दिन यानी 28.8.2019 को प्रतिवादी ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के झूठे बयान का उल्लेख करते हुए उनके खिलाफ आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया। इस संबंध में सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी मांगने पर उन्होंने अखबार को कोई भी बयान या इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि नियमानुसार महिला मरीज की जाँच के दौरान एक महिला अटेंडेंट या अन्य महिला का होना अनिवार्य है, लेकिन प्रतिवादी ने जानबूझकर नर्स और रेजिडेंट डॉक्टर की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि आक्षेपित समाचार में रोगी दंपत्ति की पहचान चतुराई से छिपाई गई है, जबकि वे श्री अमित शर्मा और उनकी पत्नी थे। इसके अलावा उन्होंने आक्षेपित समाचार में यह भी उल्लेख नहीं किया कि वे जबरन डॉक्टर के कमरे में घुस गए। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का प्रकाशित बयान भी झूठा है।

संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर को 19.11.2019 को कारण-बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद 26.12.2019 को एक समयबद्ध अनुस्मारक जारी किया गया।

संपादक, दैनिक जागरण (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर लिखित वक्तव्य

संपादक, दैनिक जागरण ने दिनांक 10.1.2020 को अपने लिखित बयान में आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता द्वारा अपने आधिकारिक दायित्वों का पालन करते समय मनमानी की सूचना दी गई है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि यह घटना परिचारक, श्री अमित शर्मा, जो अपनी पत्नी के चेक-अप और दवा लेने के लिए गए थे, उन्हें इनकार करने पर हुई तीखी बहस से संबंधित है, जिन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था। ऐसा करने से इनकार करने पर शिकायतकर्ता ने मरीज की जाँच करने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि आक्षेपित समाचार में जो कुछ भी प्रकाशित किया गया था वह तथ्यों का वर्णन था जो तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद नेकनीयती में प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान भी समाचार में प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता का यह तर्क कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके द्वारा प्राप्त आरटीआई उत्तर के मद्देनजर रिपोर्टर को कोई बयान नहीं दिया है, उन कारणों से निराधार है क्योंकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आज तक कोई इनकार जारी नहीं किया है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि न तो संपादक और न ही अखबार के अन्य कर्मचारियों की शिकायतकर्ता के साथ कोई दुश्मनी थी और न ही शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिए संबंधित समाचार प्रकाशित किया गया था, जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है। हालाँकि, माननीय परिषद से नोटिस प्राप्त होने के बाद, रिपोर्टर द्वारा पद के दुरुपयोग के तथ्य की जाँच की गई और यह पाया गया कि श्री अमित शर्मा प्रतिवादी समाचार पत्र के एक कर्मचारी हैं जो विज्ञापन

विभाग में कार्यरत हैं, पत्रकार नहीं हैं। प्रतिवादी ने दैनिक जागरण द्वारा श्री अमित शर्मा को जारी किए गए कारण-बताओ नोटिस के जवाब में, श्री अमित शर्मा ने कहा है कि जब वह अपनी पत्नी की चिकित्सा के लिए अस्पताल गए तो शिकायतकर्ता ने उनके पत्नी की जाँच करने से इनकार कर दिया। श्री अमित शर्मा के उत्तर की एक प्रति प्रस्तुत करते हुए, प्रतिवादी ने कहा है कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित करते समय, प्रकाशन से पूर्व- सभी सावधानियाँ बरती गईं थी।

श्री अमित शर्मा, विज्ञापन प्रतिनिधि, दैनिक जागरण (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा दर्ज लिखित बयान

श्री अमित शर्मा, विज्ञापन प्रतिनिधि, दैनिक जागरण, बदायूँ ने दिनांक 18.1.2021 को अपने लिखित बयान में कहा है कि वह अपने छोटे भाई के साथ अपनी पत्नी के मेडिकल चेक-अप के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज गए थे। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता का व्यवहार उसकी पत्नी की चिकित्सा जाँच के दौरान चिकित्सा पेशे के अनुरूप नहीं था, जिस पर उन्होंने और उसकी पत्नी ने आपत्ति जताई थी। असंसदीय भाषा के प्रयोग और दुर्व्यवहार के आरोप से इनकार करते हुए, प्रतिवादी ने कहा है कि डॉक्टर द्वारा दुर्व्यवहार के बारे में पत्रकारों द्वारा केवल एक बार जानकारी प्रकाशित की गई थी। प्रतिवादी ने कहा है कि वह पत्रकार नहीं है बल्कि दैनिक जागरण के बदायूँ कार्यालय में विज्ञापन प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है और उनका समाचार प्रकाशन से कोई संबंध नहीं है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

1.3.2023 और 30.5.2023 को हुई पिछली सुनवाई के बाद मामला 22.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए अंतिम रूप से आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। हालाँकि, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व उसके वकील श्री कपिल यादव द्वारा किया गया।

अंतिम अवसर पर यानी 30.05.2023 को शिकायतकर्ता उपस्थित हुए थे। जाँच समिति द्वारा उन्हें पूरी घटना को लेकर अपना वर्तन तैयार करके प्रेस परिषद को अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया ताकि इसे सदस्यों को प्रसारित किया जा सके। ऐसा देखा गया कि इसमें काट-छांट करने की जरूरत पड़ सकती है। शिकायतकर्ता इस बात पर सहमत हुए कि दो सप्ताह के भीतर वह अपना पक्ष आगे रखते हुए भेजेंगे। उपस्थित प्रतिवादी के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता का वर्तन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर उसी पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा जिस पर कथित आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित किया गया था।

आज शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। उन्होंने अपना पक्ष नहीं भेजा है। प्रतिवादियों की ओर से श्री कपिल यादव, अधिवक्ता उपस्थित हुए। दैनिक जागरण के वकील का कहना है कि दैनिक जागरण

को शिकायतकर्ता का कोई वर्तन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को मामले को लेकर मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए, जाँच समिति परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

******

क्र.सं.13 **फ़ा.सं.14/531/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
श्रीमती सरली उर्फ सरला, गुरूग्राम, हरियाणा	1. संपादक, अमर भारती, नई दिल्ली

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 17.12.2019 को श्रीमती सरली उर्फ सरला, गुरुग्राम (हरियाणा) द्वारा संपादक, अमर भारती, नई दिल्ली के खिलाफ दिनांकित 26.09.2019 के अंक में "दबंग परिवार ने कॉलोनी में बना बाल्मीकि मंदिर तोड़ा" शीर्षक के तहत कथित रूप से झूठी और अपमानजनक खबर प्रकाशित करने हेतु दायर की है।

आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि शिकायतकर्ता के परिवार ने अदालत के आदेश के बावजूद एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया और जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो शिकायतकर्ता के परिवार ने उन पर हमला करते हुए उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। आगे बताया गया है कि थाना प्रभारी ने बताया कि श्री अनिल की शिकायत मिलने पर पतराम, सरला, अभिषेक और बिसु के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और मामले की जाँच भी शुरू कर दी गई है।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह 12 मरला जमीन की मालकिन है, जिस पर अनिल और उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उसके गिरोह ने धमकी दी, जिस पर उसने 12.6.2015 को एसएचओ, सोहना को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस ने धमकी दी

कि समय आ गया है कि हिंदू इस देश पर शासन करेंगे और ईसाइयों को भागना होगा। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि श्री अनिल और उसका गिरोह भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं और उनकी भूमि पर बाल्मीकि मंदिर के रूप में गुमटी/पियाओ (पानी के बर्तन) की पुरानी संरचना का झूठा दावा कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसने जमीन के संबंध में श्री अनिल के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया था, जहाँ अदालत ने 20.7.2019 को एक आदेश पारित किया कि "प्रतिवादी को विवादित संपत्ति में हस्तक्षेप करने से रोका जाता है"। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 22.10.2019 को श्री अनिल और उसके गिरोह ने उस पर और उसके परिवार पर हमला किया और उन्हें बेरहमी से पीटा। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने पुलिस को शिकायत सौंपी थी लेकिन पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय दिनांक 24.9.2019 को श्री अनिल की शिकायत पर एक साजिश के तहत उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सोहना, जिला गुरुग्राम में आई.पी.सी. धारा 147, 148, 149, 188, 295, 323, 506 के तहत झूठी एफआईआर संख्या 596 दर्ज की। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उन्होंने श्री अनिल और उनके गिरोह के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि श्री अनिल ने पुलिस, तहसीलदार और प्रतिवादी समाचार पत्र के साथ मिलकर उसके और उसके परिवार के खिलाफ घृणा अभियान चलाया। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस आयुक्त को दिनांक 27.7.2019 को एक शिकायत भेजी गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, गुरुग्राम में एलडी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश की गई रिपोर्ट से पुलिस की अपराधियों के साथ मिलीभगत स्पष्ट है। पुलिस ने शिकायतकर्ता की अग्रिम जमानत का विरोध किया। पुलिस ने दिनांकित 3.10.2019 रिपोर्ट में कहा कि 5 मरले जमीन मंदिर की है और अभियोगी का उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, अभियोगी ने 50-60 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया है, जिस कारण क्षेत्र में तनाव है और इलाके में सांप्रदायिक दंगों का हवाला देकर जमानत अर्जी का विरोध किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने 2015 के सूट संख्या 166 दिनांकित 20.7.2019 में माननीय सिविल कोर्ट के डिक्री की गलत व्याख्या, प्रकाशन और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अदालत की अवमानना की है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने उसे और उसके परिवार को बदनाम किया और प्रतिवादी ने अपराधियों के साथ मिलकर उसकी जमीन पर अतिक्रमण किया और इस मुद्दे को सांप्रदायिक ब्लैक होल में झुकाने के लिए जाली राजस्व प्रविष्टियों का कारण बनाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने उसकी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के इरादे से गलत बयान प्रकाशित किया है।

प्रतिवादी संपादक अमर भारती मीडिया ग्रुप, नई दिल्ली संस्करण को 17.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी, श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, संपादक, अमर भारती मीडिया ग्रुप, नई दिल्ली ने 30.9.2020 को सचिवालय में प्राप्त अपने अदिनांकित लिखित वक्तव्य में कहा है कि प्रश्न में आक्षेपित समाचार एफआईआर संख्या 0596/2019 पर आधारित था, जो घटना के बाद संबंधित थाने में दिनांक 24.09.2019 को पंजीकृत किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि समाचार उनके तत्कालीन संवाददाता श्री अशोक गर्ग द्वारा भेजा गया था और किसी के पक्ष में कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

दिनांक 1.3.2023 और 30.5.2023 की पिछली सुनवाई के बाद मामला 22.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। दोनों तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता ने 22 अगस्त, 2023 को प्रेस परिषद को एक मेल भेजा और बताया कि वह इस मामले पर मुकदमा नहीं चलाना चाहती है। उसका केस बंद किया जा सकता है।

इसे देखते हुए जाँच समिति परिषद से शिकायत समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने पर प्रेस परिषद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा गैर-अभियोजन हेतु मामला समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.14 **File No. 14/266/2019-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
श्री जयेश ज़ेड. शाह, प्रबंध भागीदार, बिंदू वेंचर, बेंगलुरु (कर्नाटक)	संपादक, सजग परिवर्तन का, हिन्दी साप्ताहिक, बेंगलुरु (कर्नाटक)

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 05.08.2019 को श्री जयेश जेड शाह, मैनेजिंग पार्टनर, बिंदू वेंचर, बैंगलोर ने अपने वकील के माध्यम से संपादक, सजग परिवर्तन का, हिंदी साप्ताहिक, बैंगलोर के खिलाफ

क्रमशः दिनांक 24.07.2019 और 31.7.2019 के अंक में शीर्षक "आज को पुलिस गुंडो के साथ" और "हमारी मदद नहीं कर रही पुलिस – परेशशाह" के तहत कथित तौर पर झूठी, आधारहीन, विकृत और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दायर की है।

पहले समाचार में बताया गया है कि श्री परेश एस. शाह, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके भाई पर उनके कार्यालय में प्लंबिंग का काम करते समय बेरहमी से हमला किया/पीटा गया। श्री परेश शाह ने दावा किया कि हमले के लिए बिल्डर जिम्मेदार था और हमलावरों के साथ स्थानीय पुलिस भी शामिल थी। श्री परेश शाह ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों ने विभिन्न बहाने बनाकर शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया।

दूसरी खबर में बताया गया है कि सीए परेश शाह ने बताया कि 29 जुलाई को जब वह कार्यालय पहुँचे तो उन्होंने बिंदु वेंचर्स के श्री जयेश शाह को अन्य लोगों के साथ अपने कार्यालय में आते देखा, तो श्री जयेश शाह और अन्य द्वारा उनपर पहले की मारपीट तथा अत्याचार किए गए घटना के कारण वह भयभीत हो गए। घटना की शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। समाचार सूत्रों के अनुसार, श्री परेश शाह और श्री जयेश जेड शाह के बीच विवाद जीएसटी पर असहमति के कारण उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण बिंदू डेवलपर्स और प्रमोटर्स ने 17 दिनों के लिए बुनियादी सुविधाओं और बिजली में कटौती करके और श्री परेश शाह को परेशान किया और पुलिस में शिकायत दर्ज के प्रयासों के बावजूद, श्री परेश शाह को न्याय नहीं मिली।

शिकायतकर्ता ने समाचार में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें उनके समुदाय के सदस्यों द्वारा सूचित किया गया था कि श्री पीयूष एस. शाह 24 जुलाई, 2019 को राजाजीनगर के जैन मंदिर में "परिवर्तन" समाचार पत्र वितरित कर रहे थे, जिसमें प्रतिवादी संपादक, श्री प्रशांत गोयनका द्वारा मुद्रित उनकी तस्वीर के साथ अपमानजनक लेख सामग्री शामिल थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि संपादक ने श्री परेश शाह द्वारा लगाए गए झूठे और निराधार आरोपों के आधार पर लेख प्रकाशित किया, जिससे उन्हें बदनाम किया गया और उनका चरित्र खराब हुआ। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने कहा कि 31 जुलाई, 2019 को विकृत तथ्यों और अपमानजनक सामग्री के साथ एक और लेख प्रकाशित किया गया था, जिससे उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा खराब हुई है।

शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से दिनांक 5.8.2019 को (i) श्री प्रशांत गोयनका, संपादक, परिवर्तन (ii) श्री परेश एस. शाह (iii) श्री पीयूष एस. शाह (iv) श्री पंकज एस. शाह को अगले संस्करण में बिना शर्त माफी माँगने का अनुरोध करते हुए नोटिस जारी किया।

शिकायतकर्ता के नोटिस पर प्रतिवादी का उत्तर

शिकायतकर्ता के वकील नोटिस दिनांकित 05.08.2019 के जवाब में, श्री बी.एम. उमाशंकर, अधिवक्ता ने शिकायतकर्ता के वकील को दिनांकित 27.08.2019 पत्र के माध्यम से श्री परेश एस.

शाह, पीयूष एस. शाह और पंकज एस शाह की ओर से दिनांक 27.8.2019 को अपना जवाब दर्ज किया, जिसमें कहा गया था कि उक्त लेखों की सामग्री में झूठ का एक कण भी शामिल नहीं है। समाचार रिपोर्ट में उनके ग्राहकों और उनके परिवार के सदस्यों की शोचनीय तथा असहाय स्थिति का वर्णन किया गया था क्योंकि वे शिकायतकर्ता और उसके गुंडों/उपद्रवी सहयोगियों के हाथों मिमियाने वाली भेड़ बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके ग्राहकों का मानना है कि उनके पास पर्याप्त और अधिक ठोस सबूत हैं जो न केवल समाचार रिपोर्टों में दिए गए दावों को विश्वसनीयता प्रदान करेंगे बल्कि मेसर्स के अन्य साझेदारों के साथ-साथ शिकायतकर्ता बिंदू वेंचर्स और उनके गुंडे/उपद्रवी सहयोगी के अपराध और मनमानी को भी निर्णायक रूप से स्थापित करेंगे। प्रतिवादी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल इस बात पर जोर देते हैं कि वे शिकायतकर्ता के ग्राहक, मेसर्स बिंदू वेंचर्स के साझेदार और उनके गुंडा/उपद्रवी संघ के आदेश पर कानून के अधिकारियों द्वारा की गई मनमानी, भ्रष्ट आचरण और शक्तियों के घोर दुरुपयोग को उजागर करने के लिए हर स्थानीय और राष्ट्रीय दृश्य तथा मुद्रित मीडिया के दरवाजे खटखटाएँगे। वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल न केवल ऐसे तुच्छ मामलों में अपना बचाव करेंगे, बल्कि शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी द्वारा दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के कृत्यों के खिलाफ उचित आपराधिक मामले भी शुरू करेंगे तथा झूठे मामलों के कारण उन्हें हुए नुकसान की वसूली के लिए नागरिक दावे भी दायर करेंगे।

प्रतिवादी द्वारा कोई लिखित वक्तव्य दर्ज नहीं किया गया

प्रतिवादी संपादक को दिनांक 25.09.2019 को एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिसके बाद दिनांक 04.11.2019, 4.5.2023 और 19.5.2023 को अनुस्मारक भेजे गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला आज यानी 23.8.2023 को सुनवाई के लिए आया है।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। जाँच समिति शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से समाप्त करने की परिषद से संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों तथा निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप में समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.15 **फ़ा.सं.2036/2020-ए-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री भगवती प्रसाद यादव, इंदौर, मध्य प्रदेश	1. श्री राजवर्धन शांडिल्य, संपादक/प्रकाशक, समाचार लुकआउट, इंदौर, मध्य प्रदेश

न्यायनिर्णय
दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 6.10.2020 को श्री भगवती प्रसाद यादव, इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा श्री राजवर्धन शांडिल्य, संपादक/प्रकाशक, समाचार लुकआउट, इंदौर के खिलाफ उन्हें ब्लैकमेल करने का नजरिए से निम्नलिखित समाचारों की झूठी, आधारहीन, भ्रामक और अपमानजनक श्रृंखला प्रकाशित करने के आरोप में दर्ज की गई है।

क्र. सं.	शीर्षक	दिनांक
1	श्रीकृष्ण काम्पलेक्स नक्शा होगा निरस्त – सैकडों व्यापारियों का दोषी मध्यक्षेत्र का सबसे बडा भूमाफिया भगवती यादव हुआ बेनकाब	8.7.2020
2	13 साल पहले पाई-पाई को था मोहताज– भगवती का ठेला से भुनेश्र्वरी कंस्ट्रक्शन का सफर...और अब जमीनी जगलरी से बन गया काली कमाई का धन्नासेठ	15.7.2020
3	गैस हाउस रोड पर जमीनखोर भूमाफिया भगवती और नगर निगम गैंग का एक और...पापलोक का पर्दाफाश	22.7.2020
4	पापलोक पार्ट2 - का पर्दाफाश – गैस हाउस रोड ...भगवती यादव जमीनी ड्रैकुला	29.7.2020
5	गैस हाउस रोड का जमीनी ड्रैकुला – पापलोक पार्ट-3 का पर्दाफाश – फरार वांछित भूमाफिया का जहरीला यार भगवती यादव	5.8.2020
6	गौशाला की जमीन पर तान दिया अवैध श्रीकृष्ण काम्पलेक्स	26.8.2020

आक्षेपित समाचारों में बताया गया है कि नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा श्री कृष्णा कॉम्प्लेक्स के सामने लगभग 2100 वर्ग फीट का एक भूखंड तथाकथित कुख्यात बिल्डर भगवती यादव को अवैध रूप से बेच दिया गया था। उच्च अधिकारियों को कई शिकायतें मिलने के बाद श्री कृष्ण कॉम्प्लेक्स में भगवती के गड़बड़ी की उल्टी गिनती शुरू कर दी गई है। आगे बताया गया है कि भू-माफिया भगवती की सहमति के बिना पूरे इलाके में कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकता है। भगवती

यादव के गुंडों द्वारा लोगों को अपना घर बेचने के लिए भी मजबूर किया जाता है और अगर वे इनकार करते हैं तो उन्हें बंदूक की नोक पर धमकी दी जाती है। आक्षेपित समाचारों के अनुसार, भू-माफिया भगवती यादव कुछ वर्ष पहले श्री कृष्णा कॉम्प्लेक्स के सामने ठेला लगाता था, लेकिन अब उसने नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से जमीनों के फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भारी काली कमाई अर्जित की है। बताया गया है कि भगवती यादव लैंड ड्रैकुला है।

आक्षेपित समाचारों में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने पैसे ऐंठने के उद्देश्य से जानबूझकर झूठी, आधारहीन और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित किए है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि पहले आक्षेपित समाचार के प्रकाशन के बाद, उसने मौखिक रूप से प्रतिवादी से स्पष्टीकरण प्रकाशित करने का अनुरोध किया लेकिन उसने उसके खिलाफ समाचार प्रकाशित न करने के लिए 5 लाख रुपये की माँग की। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसने स्पष्टीकरण के प्रकाशन के लिए प्रतिवादी को अपने वकील के माध्यम से दिनांक 9.7.2020 को एक पंजीकृत पत्र भी जारी किया था लेकिन उसने उसे वापस कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर रेंज, इंदौर और थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन सेंट्रल कोतवाली, इंदौर को 29.7.2020 को शिकायत की थी, लेकिन इसके विपरीत, प्रतिवादी के प्रभाव में उसके खिलाफ धारा 107/113 के तहत कार्रवाई की गई और आरोप पत्र न्यायालय में दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर प्रतिवादी द्वारा पैसे माँगने के संबंध में दो व्यक्तियों के शपथ पत्रों की प्रतियाँ पेश की हैं। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी को 23.7.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

<u>प्रतिवादी द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य</u>

श्री राजवर्धन शांडिल्य, संपादक, समाचार लुकआउट, इंदौर ने अपने लिखित बयान दिनांक 19.9.2021 के माध्यम से आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता श्री कृष्णा कॉम्प्लेक्स के पास स्थित 2100 वर्ग फीट के भूखंड पर अवैध रूप से एक इमारत का निर्माण कर रहा था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि उसने इस संबंध में नगर निगम के उच्च अधिकारी से भी शिकायत की है। प्रतिवादी के अनुसार, नगर निगम, इंदौर ने उनकी शिकायत पर संज्ञान लिया और अपने पत्र दिनांक 11.7.2020 के माध्यम से साइट योजना को रद्द कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि उनकी शिकायत सत्य और तथ्यात्मक थी। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने गैस हाउस रोड पर भी अवैध रूप से इमारतों का निर्माण किया है और प्रतिवादी इस संबंध में तथ्यों के आधार पर समाचार प्रकाशित किया है। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने पुलिस की मिलीभगत से थाना सेंट्रल कोतवाली एवं थाना एम.जी. रोड, इंदौर में झूठा मुकदमा क्रमांक 870/20 एवं 1086/20 दर्ज करा दिया लेकिन मामले 22.1.2021

को माननीय अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, जूनी, इंदौर द्वारा खारिज कर दिए गए। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा उस पर हमला किया गया और धमकी दी गई और वे उसे झूठे मामलों में फँसाने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में उसने माननीय भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष शिकायतकर्ता और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता ने उस पर दबाव डालने के उद्देश्य से यह शिकायत दर्ज कराई है। प्रतिवादी ने परिषद से शिकायतकर्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांकित 12.11.2021 के अपनी जवाबी टिप्पणी में कहा है कि प्रतिवादी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है और वह केवल अवैध धन कमाने के लिए समाचार पत्र प्रकाशित कर रहा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, श्री कृष्णा टॉकीज/बोलिया कंपाउंड में बनी इमारतों के बिल्डर से उसका कोई संबंध नहीं है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि नगर निगम इंदौर द्वारा भूमि स्वामी श्री निखिल कोठारी को दिनांक 11.7.2020 को पत्र जारी किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि गैस हाउस रोड स्थित भूमि को नगर निगम, इंदौर द्वारा नियमानुसार स्वीकृत किया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसके खिलाफ दायर सभी मामले भी माननीय अदालत द्वारा खारिज कर दिए गए थे। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि पैसे देने से इनकार करने पर, प्रतिवादी ने उसके खिलाफ झूठी और अपमानजनक खबरें प्रकाशित की और माननीय भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष भी शिकायत की।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला आज यानी 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। कोई भी उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। कोई भी उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। पिछले दो अवसरों पर, अर्थात् 02.03.2023 और 31.05.2023 को भी न तो शिकायतकर्ता और न ही प्रतिवादी उपस्थित थे। किसी ने उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया। परिवादी ने पत्र द्वारा स्थगन की माँग की थी। जाँच समिति ने स्पष्ट कर दिया था कि मामला स्थगित कर दिया जाएगा लेकिन यह आखिरी स्थगन होगा। आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा और मामले का निर्णय अगली तारीख पर किया जाएगा। यह आदेश पक्षकारों को सूचित कर दिया गया था।

आज फिर न तो शिकायतकर्ता और न ही प्रतिवादी उपस्थित हैं। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 17.8.2023 के माध्यम से फिर से स्थगन की माँग की है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, शिकायतकर्ता को पिछली बार चेतावनी दी गई थी कि आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। इसलिए जाँच समिति मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को शिकायत पर मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी भी मामले में शिकायत और प्रतिक्रिया को जाँचने के बाद जाँच समिति को यह प्रतीत होता है कि इसमें शामिल विवाद व्यक्तिगत प्रकृति का है। पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, जाँच समिति अभियोजन के अभाव में शिकायत को समाप्त करने की परिषद से संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा अभियोजन के अभाव में शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.16 **फ़ा.सं.14/302/2019-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
कमांडर परमप्रीत सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, पटना (बिहार)	1. संपादक, दैनिक जागरण, पटना (बिहार)

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 16.9.2019 को कमांडर परमप्रीत सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, पटना (बिहार) द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, पटना के खिलाफ कथित तौर पर 15.8.2019 के अपने अंक में शीर्षक "प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा" के तहत झूठी और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दायर की गई है।

आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि डिप्लोमा-इन-एलिमेंट्री एजुकेशन के नाराज अभ्यर्थियों/उम्मीदवारों ने प्रमाण पत्र जारी न होने पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग

(एनआईओएस) में हंगामा किया। आगे बताया गया है कि दो उम्मीदवारों को क्षेत्रीय निदेशक से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इससे अभ्यर्थी और उग्र हो गये। अधिकारियों ने किसी तरह से स्थिति काबू में किया। खबर यह भी है कि एनआईओएस के चेयरमैन प्रो. सी.बी. शर्मा ने कहा है कि "प्रमाणपत्र जारी करने में काफी गड़बड़ी हुई है। संस्थान ने सभी विषयों में 50 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही डिप्लोमा-इन-एलिमेंट्री एजुकेशन में नामांकन की अनुमति दी थी, लेकिन अब पता चला है कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन लिया गया, जिनके अंक संस्थान के मानक से कम हैं।"

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आक्षेपित समाचार झूठा है और संस्थान की छवि खराब करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके संस्थान द्वारा राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डिप्लोमा-इन-एलिमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम संचालित किया गया था। इस संदर्भ में, करीब तीन लाख अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी गई और बाद में उनकी परीक्षा आयोजित की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्रदेश के 1440 अध्ययन केंद्रों पर पंजीकृत प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए जाने हैं, जो मुख्यालय से प्राप्त होते हैं। प्रमाण पत्र बिहार सरकार के सहयोग से जिले के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपा जाना है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने एक साजिश के तहत गैर-जिम्मेदाराना तरीके से आक्षेपित समाचार प्रकाशित करके भारत सरकार की एक संस्था को बदनाम किया है।

संपादक, दैनिक जागरण, पटना को दिनांक 30.9.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद दिनांक 4.11.2019 को एक अनुस्मारक जारी किया गया।

<u>लिखित वक्तव्य</u>

दैनिक जागरण के संपादक ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 18.11.2019 के माध्यम से शिकायत में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि आक्षेपित समाचार में स्वयं सूचना का स्रोत शामिल है और इसमें प्रोफेसर सी.बी. शर्मा का संस्करण भी शामिल है, जिन्होंने स्वयं किसी न किसी कारण से प्रमाण पत्र वितरण में अनियमितता की बात स्वीकार की थी। इसके अलावा, विचाराधीन समाचार में मई, 2019 में परिणाम घोषित होने के तीन महीने बाद भी अपने प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण उम्मीदवारों की चिंता शामिल है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि उम्मीदवारों की चिंता वास्तविक प्रतीत होती है क्योंकि उनके पास आवश्यक योग्यता होने के बावजूद भी वे शिक्षक की रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों की निष्क्रियता पर चिंता को एक तथ्य के रूप में बल दिया गया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि समाचार अंक या इसका एक भी हिस्सा मानहानिकारक या गलत है। प्रतिवादी के अनुसार, यह सच

है कि परिणाम घोषित होने के तीन महीने बाद भी अभ्यर्थियों को उनके प्रमाण पत्र नहीं मिले। यह भी सच है कि अभ्यर्थियों ने अपनी परेशानी को लेकर क्षेत्रीय केंद्रों पर प्रदर्शन किया और उन्होंने प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पैसे माँगने का आरोप लगाया है। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी समाचार पत्र अपने दायित्व के तहत उम्मीदवारों की चिंता को उसके निवारण के लिए प्रशासन तक पहुंचाएगा। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि प्रमाण पत्र जारी न करना स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता है। साथ ही, अधिकारियों की ईमानदारी पर भी गंभीर संदेह पैदा होता है और यह समाचार पत्र का कर्तव्य है कि वह इसे बड़े पैमाने पर जनता के सामने लाए। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता की संस्था ने अपनी शिकायत में इस बात से इनकार नहीं किया है कि उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र काफी समय तक जारी नहीं किए गए हैं और उन्हें अवसर खोने का खतरा है जिस कारण उन्हें उक्त निष्क्रियता के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रतिवादी के अनुसार, ऐसा लगता है कि शिकायत प्रेरित है और ध्यान भटकाने तथा अधिकारियों की निष्क्रियता और मनमानी को दबाने के उद्देश्य से दायर की गई है, जो आम तौर पर उम्मीदवारों की चिंताओं के प्रति अनभिज्ञ थे और लापरवाही से उन्हें एक महीने बाद प्रमाण पत्र एकत्र करने के लिए केंद्र आने के लिए बोलते थे।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

शिकायतकर्ता, कमांडर परमप्रीत सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, पटना का प्रतिनिधित्व एनआईओएस के कानूनी सेल के कार्यकारी अधिकारी श्री विजेंद्र कुमार वर्मा ने किया है। प्राधिकार पत्र रिकार्ड में है। प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व श्री कपिल यादव और सुश्री पूनम अटे, अधिवक्ता द्वारा है। दिनांक 16.09.2019 को कमांडर परमप्रीत सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, पटना द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, पटना के खिलाफ 15.8.2019 के अपने अंक में प्रकाशित शीर्षक "प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा" के तहत कथित रूप से झूठी और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी ने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से झूठी ख़बरें प्रकाशित करके भारत सरकार के एक संस्थान को बदनाम किया है। हालाँकि, प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में कहा है कि समाचार में स्वयं सूचना का स्रोत शामिल है और इसमें प्रो. सी.बी. शर्मा का संस्करण भी शामिल है, जिन्होंने स्वयं किसी न किसी कारण से प्रमाणपत्रों के वितरण में अनियमितताओं को स्वीकार किया था। प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचार के प्रकाशन को उचित ठहराया है।

हालाँकि, आरोप-प्रत्यारोप में जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा का कहना है कि उन्हें शिकायतकर्ता द्वारा सूचित किया गया है कि शिकायतकर्ता शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना

चाहते हैं। उनका बयान दर्ज कर स्वीकार कर लिया गया है। इसे देखते हुए, जाँच समिति परिषद को शिकायत का समाप्त करने की संस्तुति करती है क्योंकि शिकायतकर्ता इस पर आगे मुकदमा नहीं चलाना चाहता है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत का समाप्त करने का निर्णय लेती है क्योंकि शिकायतकर्ता इस पर आगे मुकदमा नहीं चलाना चाहता है।

******

क्र.सं.17 **फ़ाइल संख्या. 14/451/2019-20/पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
श्री पटेल जगदीश रतिलाल, अध्यक्ष, श्रीजी केलावणी मंडल, सूरत, गुजरात	संपादक, सत्य डे समाचार पत्र, वलसाड, गुजरात

न्यायनिर्णय
दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 01.12.2019 को श्री पटेल जगदीश रतिलाल, अध्यक्ष, श्रीजी केलवानी मंडल द्वारा संपादक, सत्य डे समाचार पत्र के खिलाफ उसके दिनांक 14.10.2019 के अंक में शीर्षक " **Serious Questions raised on working of Shreeji Kelavani Mandala in South Gujarat**" तथा उपशीर्षक "**Infamous Trustee in Valsad District of this Trust is known of his own Development rather than development of Tribal**" (शिकायतकर्ता द्वारा अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित) के तहत अपमानजनक समाचार के प्रकाशन के लिए दायर की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि श्रीजी केलवानी मंडल ट्रस्ट और उसके ट्रस्टी ने कम समय में खुद को बहुत विकसित किया है और इसकी वलसाड ज़िले के कोने-कोने में व्यापक रूप से चर्चा है। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी अपने निजी काम के लिए ऑडी Q3 कार का इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रस्टी का नाम श्री जगदीशचंद्र पटेल

है। वह रातों-रात करोड़पति बन गए और उनकी कहानी की चर्चा हर जगह है। वह जताते हैं कि उन्हें आदिवासियों के विकास की चिंता है लेकिन आदिवासियों और ट्रस्ट के नाम पर उन्होंने कई कुकर्म किए हैं। आगे बताया गया है कि सत्य डे अखबार इस ट्रस्ट के घोटाले का पर्दाफाश करेगा और यह अधिक तथ्यों और सबूतों के साथ सामने आएगा।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि श्री अगम शाह, रिपोर्टर और श्री गुलज़ार खान, लेखा परीक्षक ऑडिटर ने उनसे क्रमशः 26.09.2019 और 28.09.2019 को फोन पर संपर्क किया और दोनों ने उन्हें उनके खिलाफ समाचार प्रकाशित करने की धमकी दी। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में उन्होंने प्रतिवादी अखबार को लिखित शिकायत भेजी है लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। शिकायतकर्ता ने भारतीय प्रेस परिषद से अनुरोध किया है कि इस देश को फिरौती और रिश्वत माँगने वाले गुंडों से बचाने के लिए प्रतिवादी समाचार पत्र का लाइसेंस और पंजीकरण रद्द किया जाए और समाज में उन्हें पत्रकारों के रूप में दावा किया जाए जो प्रेस के लिए अहितकरी खबरें लाते हैं।

कोई उत्तर नहीं

प्रतिवादी को 13.02.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 13.01.2021 और 19.7.2023 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद उनसे कोई जवाब नहीं मिला।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। दोनों तरफ से कोई उपस्थित नहीं था।

न तो शिकायतकर्ता और न ही उसका प्रतिनिधि उपस्थित हैं। कोई भी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। इन परिस्थितियों में, जाँच समिति परिषद को शिकायत डिफ़ॉल्ट के रूप से खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को डिफ़ॉल्ट के रूप में समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.18 **फ़ा.सं.14/147/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
श्रीमती रागिनी रानी, स्वत्वधारी, मैसर्स माँ भगवती एचपी गैस ग्रामीण वितरक, चतरा, झारखंड	श्री राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, द पायनियर

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

श्रीमती रागिनी रानी, स्वत्वधारी या स्वामी, मेसर्स मां भगवती एचपी गैस ग्रामीण वितरक, हंटरगंज, चतरा, झारखंड ने दिनांक 17.5.2019 को अपनी शिकायत के माध्यम से आरोप लगाया है कि पायनियर के वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश कुमार सिंह ने ट्विटर/सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश पोस्ट किया है, जिस कारण उन्हें उत्पीड़न तथा मानहानि हुई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, 2012 में उन्हें गैस एजेंसी आबंटित होने के बाद, प्रतिवादी-श्री राकेश कुमार सिंह, जो उनके पति के चचेरे भाई का बेटा है, ने पारिवारिक संपत्ति के विवाद के कारण दुश्मनी और द्वेष के कारण झूठी और मनगढ़ंत शिकायतें करके उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को नुकसान पहुँचाना था। प्रतिवादी के पिता, श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन को चुनौती देते हुए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में WP No.4156/2013 दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि जिस भूमि पर इसका निर्माण किया गया था, उसके संबंध में प्रतिवादी की साख और रुख को सभी चरणों में खारिज कर दिया गया है, लेकिन प्रतिवादी दुर्भावना और द्वेष से गलत आरोप लगाने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी तरह से उसका आबंटन रद्द हो सके। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी अपने व्यक्तिगत स्कोर और पारिवारिक/संपत्ति विवाद को निर्धारित करने के लिए उसे परेशान करते हुए अपने समाचार पत्र यानी द पायनियर के नाम का उपयोग अब एक उपकरण के रूप में करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उनकी झूठी और मनगढ़ंत शिकायतों के कारण एचपीसीएल ने उन्हें कारण-निर्देशन नोटिस जारी किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी द पायनियर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी संबंधित लोगों को गुमराह करने और उनकी आजीविका को खतरे में डालने का लगातार प्रयास कर रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर झूठे संदेश/शिकायतें पोस्ट करने के कारण उनकी और परिवार की छवि को नुकसान पहुँचा है।

टिप्पणियों के लिए दिनांक 26.7.2019 को श्री राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, द पायनियर को नोटिस जारी किया गया था।

प्रतिवादी की ओर से टिप्पणियाँ

श्री राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, द पायनियर ने 13.1.2020 को सचिवालय में प्राप्त अपनी अदिनांकित टिप्पणियों द्वारा आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि- शिकायतकर्ता ने दिनांक 4.7.2019 को भारतीय प्रेस परिषद में झूठी घोषणा प्रस्तुत करके परिषद को गुमराह करने का दुस्साहस किया है, दुस्साहस, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उसकी शिकायत के विषय से संबंधित कुछ भी कानून की अदालत में लंबित नहीं था, जो कि एक स्पष्ट झूठ है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता ने खुद प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज करने से पहले 2019 की शुरुआत में माननीय मुंसफ न्यायालय, चतरा, झारखण्ड के समक्ष दो याचिकाएँ दायर की थीं, जिसमें केंद्र सरकार की तेल विपणन कंपनी-हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चल रही जाँच और किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही पर रोक लगाने की माँग की गई थी। माननीय मुंसफ न्यायालय, चतरा ने उनकी याचिका 20.9.2019 को ही खारिज कर दी। इसके अतिरिक्त, एक भूखंड संबंधित विभाजन मुकदमा भी माननीय सिविल जज, चतरा के न्यायालय में लंबित है, जिसमें एलपीजी बोतलों के भंडारण के लिए अवैध गोदाम का निर्माण किया गया है। उक्त गोदाम गाँव के प्राकृतिक तालाब के जलग्रहण क्षेत्र में बनाया गया है और पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करता है। प्रतिवादी ने कहा है कि गाँव के तालाब के मूल चरित्र की बहाली के लिए मुद्दा उठाना उसका कर्तव्य है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को एचपीसीएल द्वारा शपथ पर झूठ बोलने, भूमि कब्ज़ा प्रमाण पत्र और एचयूएफ के वंशावली वृक्ष जैसी सरकारी स्टेशनरी में धोखाधड़ी, जिसका वह हिस्सा है; सहित तेल कंपनी को धोखाधड़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाँच का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर अकाउंट उपयोग के संबंध में, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि यह पूरी तरह से एक व्यक्तिगत अकाउंट है और इसका उस मीडिया संगठन, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, से कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उनके करियर की संभावनाओं से समझौता करने के प्रयास किया जा रहा है।

प्रतिवादी ने दिनांक 29.4.2021 को अपने आगे के संचार में कहा है कि एचपीसीएल द्वारा शिकायतकर्ता को आबंटित एलपीजी एजेंसी जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों पर आधारित थी, अर्थात् बिना उचित पात्रता के। अपने बयान के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियाँ पेश करते हुए, प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता को किया गया एलपीजी एजेंसी का आबंटन निराधार है। उचित प्रक्रिया के बाद, एचपीसीएल ने आपराधिक गलत बयानी, जालसाजी, झूठी गवाही और विश्वास के उल्लंघन के लिए उसे आबंटित एजेंसी को समाप्त कर दिया। प्रतिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, केंद्रीय जाँच ब्यूरो, राँची द्वारा एचपीसीएल, मुंबई के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजे गए स्व-निहित नोट; और पत्र दिनांक 10.10.2017 की प्रतियाँ; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई

दिल्ली की नोट-शीट की एक प्रति; और हंटरगंज पुलिस स्टेशन, चतरा जिला झारखंड द्वारा दायर एफआईआर की एक प्रति; झारखंड सरकार के शिकायत निवारण पोर्टल की एक प्रति- प्रदान करते हुए, जो उस भूखंड को प्रमाणित करती है- जिस पर अवैध एलपीजी गोदाम का निर्माण किया गया था, इन दस्तावेजों ने शिकायतकर्ता के खिलाफ तुच्छ, निराधार और प्रेरित शिकायत दर्ज करने के पीछे के वास्तविक इरादे को साबित किया है।

शिकायतकर्ता की ओर से प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपने संचार दिनांक 19.5.2021 के माध्यम से यह आरोप लगाया है कि प्रतिवादी द्वारा अपने पत्र में उल्लिखित सभी सामग्री उनकी शिकायत में हेरफेर कर रही है तथा दूसरी दिशा में मोड़ रही है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी ने उनके खिलाफ अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने माननीय राँची उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपीसी संख्या 313/2020 दायर किया और माननीय न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत दी है कि एलपीजी वितरक किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं दी जाएगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा सीबीआई को भेजी गई शिकायत झूठी थी, जिसे सीबीआई ने एचपीसीएल को भेज दिया था और उस शिकायत से संबंधित कुछ भी सच नहीं मिला और इस संबंध में उनसे कुछ कभी नहीं पूछा गया। उन्होंने आगे कहा है कि प्रतिवादी ने ट्वीटर खाते में भी ट्वीट किया कि उनकी मैट्रिक की योग्यता झूठी है जबकि मैट्रिक प्रमाणपत्र संबंधित स्कूल द्वारा सत्यापित किया गया था।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

न तो शिकायतकर्ता उपस्थित है और न ही प्रतिवादी उपस्थित है। शिकायतकर्ता की दलीलों और प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी तरह से एक सिविल मामला है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता की एलपीजी डीलरशिप एचपीसीएल द्वारा रद्द कर दी गई है और उन्होंने उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया है कि किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में एलपीजी डीलरशिप प्रदान ना की जाए। विभाजन का मुकदमा उस भूखंड के संबंध में भी लंबित बताया गया है जहाँ एलपीजी सिलेंडरों के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण किया गया है।

इन परिस्थितियों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह मामला सिविल विवादों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है और मुकदमे अदालतों में लंबित हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है, जाँच समिति परिषद को इस शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

<u>निर्णय</u>

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.19 **फ़ा.सं.14/430/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
श्री शरणप्पा बिरादर, बीदर, कर्नाटक	संपादक, संयुक्त कर्नाटक, कलबुर्गी, कर्नाटक

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 2.11.2019 को श्री शरणप्पा बिरादर, बीदर, कर्नाटक द्वारा संपादक, संयुक्त कर्नाटक, एक कन्नड़ दैनिक, कलबुर्गी, कर्नाटक के खिलाफ दिनांकित 29.8.2019 के अंक में "Haphazard in PU Tournament – Sportsmen went empty stomach" (शिकायतकर्ता द्वारा अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित) शीर्षक के तहत कथित रूप से निराधार और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए दायर की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि तालुका पीयू कॉलेज स्टाफ के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि पीयू छात्रों के लिए तालुका स्तरीय टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों और खेल शिक्षकों के साथ लापरवाही की गई है। अमरेश्वर कॉलेज में आयोजित टूर्नामेंट के दौरान बच्चों को निम्न स्थरीय नाश्ता परोसा गया। भोजन उपलब्ध ना होने के कारण कई छात्रों और खेल शिक्षकों ने अपने खर्चे पर होटलों में भोजन किया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आक्षेपित समाचार व्यक्तिगत शत्रुता और प्रतिवादी समाचार पत्र द्वारा पक्षपाती मनोभाव से एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान को बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रकाशित किया गया है। प्रतिवादी ने कहा है कि स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन 28.8.2019 को हुआ था, जो एक भव्य कार्यक्रम था और इस विषय में प्रतिवादी समाचार पत्र ने प्रकाशित नहीं किया था, लेकिन जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से एक आधारहीन समाचार को प्रकाशित किया गया।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसने 4.9.2019 को संपादक का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि प्रतिवादी समाचार पत्र का स्ट्रिंगर तथा कॉलेज के प्रिंसिपल एक ही गाँव के हैं और उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, जिस कारण विवादित समाचार प्रकाशित किया गया था और प्रेस को प्रिंसिपल के साथ-साथ अमरेश्वर पीयू कॉलेज को बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया है, लेकिन संपादक इस मामले में कोई कार्रवाई शुरू करने में विफल रहे हैं।

संपादक, संयुक्त कर्नाटक, कलबुर्गी, कर्नाटक को दिनांक 13.1.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद 20.3.2020 तथा 07.03.2023 को अनुस्मारक जारी किए गए थे।

लिखित वक्तव्य

मुख्य कार्यकारी संपादक, संयुक्त कर्नाटक, कद्दादा डेली ने दिनांकित 19.4.2023 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से परिषद के दिनांकित 13.01.2020 कारण बताओ नोटिस का संदर्भ देते हुए प्रस्तुत किया है कि उन्हें शिकायतकर्ता का कोई पत्र नहीं मिला है जैसा कि उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के आरोपों का इनकार किया है कि अमरेश्वर प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज औराड (बी) में आयोजित प्री-यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स मीट को स्ट्रिंगर द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से व्यक्तिगत दुश्मनी, ज्ञान की कमी, व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान को बदनाम करने की साजिश के रूप में रिपोर्ट किया गया था। उन्होंने कहा है कि संबंधित समाचार का प्रकाशन सद्भावना और विश्वसनीय जानकारी के लिए किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उनके समाचार पत्र में शिकायतकर्ता के प्रति कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है और जो भी प्रकाशन 29.08.2019 को किया गया था, वह विश्वसनीय जानकारी और स्वीकार्य कारणों के आधार पर प्रकाशित किया गया था। उन्होंने कहा है कि शिकायत में उल्लिखित प्रकाशन जनता की भलाई और सही विश्वास के प्रति प्रेस के कर्तव्य के निर्वहन का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि उनके (प्रतिवादी) के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और काल्पनिक हैं और झूठी शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से गढ़े गए हैं। उन्होंने परिषद से शिकायत को समाप्त करने और उस पर आगे की कार्यवाही प्रारूप तैयार करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता की ओर से प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपने लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी द्वारा दिए गए सभी स्पष्टीकरणों से इनकार किया है। उनका कहना है कि प्रतिवादी ने इस मामले को दायर करने के तीन साल बाद लिखित वक्तव्य दायर किया है और तदनुसार, लिखित बयान को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, उनका यह दावा- कि उन्हें इस शिकायत के विषय में शिकायतकर्ता से पत्र नहीं मिला, शिकायतकर्ता ने यह

कहते हुए इनकार कर दिया कि सभी संचार उसी पते पर भेजे गए हैं जिस पते पर परिषद संचार भेज रही है। प्रतिवादी का कहना है कि समाचार सही विश्वास तथा विश्वसनीय जानकारी से प्रकाशित किया गया था, जिस पर शिकायतकर्ता का कहना है कि समाचार जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से, ज्ञान की कमी के साथ, पूर्व-प्रकाशन सत्यापन के बिना, पत्रकारिता मानदंड, आदि का पालन किए बिना प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित समाचार में निष्पक्षता और सटीकता का अभाव है। तदनुसार, उनका कहना है कि उत्तरदाता आंशिक और अनुचित समाचार प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है और न ही उसका प्रतिनिधित्व किसी वकील ने किया है। प्रतिवादी की ओर से श्री सत्यनारायण पाल जाँच समिति के समक्ष उपस्थित हैं।

इन परिस्थितियों में, जाँच समिति परिषद के समक्ष शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.20 **फ़ा.सं.03/2020-ए–पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
श्री मानस रंजन दास पटनायक, जिला बालेश्वर, ओड़िशा	संपादक, ओडिशा खबर, बालासोर, ओड़िशा

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 26.12.2019 को श्री मानस रंजन दास पटनायक, जिला बालासोर, ओड़िशा द्वारा संपादक, ओडिशा खबर, उड़िया दैनिक, बालेश्वर के खिलाफ "यह मानस कौन है" और "बालासोर जिला कांग्रेस उम्मीदवार मानस दास पटनायक की प्रतिष्ठा बढ़ी या घटी?" (शिकायतकर्ता

द्वारा अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित) शीर्षक के तहत झूठी और अपमानजनक समाचार क्रमशः दिनांक 28.11.2019 और 29.11.2019 को प्रकाशित करने के लिए दायर की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, पहले समाचार में यह बताया गया है कि बालासोर जिले में मानस पर बहुत चर्चा है लेकिन वह मानस कौन है? बालासोर जिले में तीन मानस हैं, जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। एक मानस बालासोर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार मानस दास पटनायक हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। इसी तरह दूसरा मानस वह है जिसने एक मारवाड़ी व्यवसायी को खनन व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल करने का वादा करके धोखाधड़ी से लगभग 1 करोड़ रुपये ले लिए थे। उक्त मारवाड़ी व्यवसायी अब अपने पैसे वापस पाने के लिए मानस के पीछे भाग रहा है लेकिन मानस उसे कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसी तरह एक अन्य मानस ने राष्ट्रीयकृत बैंक से एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। लेकिन बालेश्वर के लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर वह मानस कौन है?

दूसरे समाचार में यह बताया गया है कि बालासोर कांग्रेस के उम्मीदवार श्री मानस रंजन दास पटनायक और श्री बनबिहारी दास पटनायक ने जिला खोरधा, भुवनेश्वर में गिरवी संपत्तियों के संबंध में ऋण लिया है। 26.6.2019 तक कुल बकाया ऋण 96,62,477.86 रुपये का है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने उसके खिलाफ लगातार अपमानजनक बयान प्रकाशित करके उसकी प्रतिष्ठा और चरित्र को नुकसान पहुँचाया है, जिसे पेशेवर कदाचार माना जाता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादियों के अवैध कृत्यों के लिए, उनके खिलाफ कुछ मुकदमे निपटान के लिए विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि संपादक और मालिक में जिम्मेदारी और जनसेवा की कोई भावना नहीं है और उक्त समाचार पत्र पर छपी खबरें समाज में खराब संदेश देती हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि पहले प्रतिवादी ने 9.4.2019 और 10.4.2019 को उसके खिलाफ मानहानिकारक समाचार प्रकाशित किए थे, जिसके संबंध में प्रतिवादी समाचार पत्र के संपादक और मालिक के खिलाफ सिविल सूट और आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है। उपरोक्त उल्लिखित तारीखों के बयान उक्त समाचार पत्र के संपादक और मालिक के कदाचार को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य प्रतिवादियों को बदनाम करने और उनका शोषण करने के बुरे इरादों को पूरा करना है। उक्त समाचार पत्र ओडिशा खबर ने झूठी सूचना के आधार पर मानस दास पटनायक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर उपरोक्त मानहानिकारक समाचार प्रकाशित किया है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने उसे बदनाम करने के उद्देश्य से उसके बैंक ऋण विवरण को आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया है।

संपादक, ओडिशा खबर, बालासोर को दिनांक 11.3.2020 को कारण निदर्शन नोटिस जारी किया गया था।

लिखित वक्तव्य

संपादक और प्रकाशक, ओडिशा खबर ने 2.6.2020 को सचिवालय में प्राप्त अपने संयुक्त अदिनांकित लिखित बयान में कहा है कि शिकायतकर्ता ने अपनी माँ सुधारानी दास पटनायक के माध्यम से ओडिशा खबर के संपादक और मालिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा शुरू किया है। मुकदमा सी.एस. संख्या 681/496/2019 सिविल जज सीनियर डिवीजन, बालासोर के समक्ष विचाराधीन है, जैसा कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में स्वीकार किया है। इसलिए, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के खंड 3 के अनुसार प्रेस परिषद विचाराधीन मामले की कोई जाँच नहीं कर सकती है। उत्तरदाताओं ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने तथ्य और स्थापित सिद्धांत को दबा दिया है कि कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण या अदालत में साफ हाथों से नहीं जाता है और यदि कोई व्यक्ति प्राधिकरण या अदालत में साफ हाथों से नहीं जाता है तो यह मान लिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने झूठा होने के कारण न केवल निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए बल्कि अपने गलत इरादे से मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। उत्तरदाताओं ने आगे कहा है कि इससे पहले 15 से 21 अप्रैल 2019 को उनके समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में फोटो के साथ शिकायतकर्ता के अपराध रिकॉर्ड विवरण का उल्लेख किया गया था तथा संपत्ति की नीलामी के बारे में "द प्रमेय" समाचार पत्र, यानी प्रतिष्ठित समाचार पत्र में भी समाचार प्रकाशित किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता के नाम का उल्लेख करते हुए बैंक ऑफ इंडिया में डिफॉल्टरों की संपत्ति सूची के क्रमांक 1 में 26.06.2019 को 96,62,477.86 रुपये की राशि प्रकाशित थी तथा उसके बाद 25 नवंबर से 01 दिसंबर 2019 तक साप्ताहिक समाचार पत्र "जन मोर्चा" में समाचार शिकायतकर्ता की तस्वीर के साथ प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जनमोर्चा और द प्रमेय समाचार पत्रों से सही समाचार एकत्र करने के साथ-साथ ओडिशा खबर के संपादक ने 28.11.2019 और 29.11.2019 को वही समाचार प्रकाशित किया।

प्रतिवादी द्वारा संचार

ईमेल दिनांक 21.8.2023 के माध्यम से, प्रत्यर्थी ने 8.8.2023 को नोटरी, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा दायर शपथ पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता स्वेच्छा से बिना किसी दबाव और बाधा के शिकायत वापस लेना चाहता है और वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला आज यानी 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया है। दोनों तरफ से कोई पेशी नहीं हुई है।

यह शिकायत श्री मानस रंजन दास पटनायक द्वारा संपादक, ओडिशा खबर के खिलाफ दिनांक 28.11.2019 के अपने अंक में कथित रूप से झूठी और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दायर की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद दोनों पक्षों ने मामला सुलझा लिया है। श्री मानस रंजन दास पटनायक का हलफनामा रिकॉर्ड में है जिसमें उन्होंने पुष्टि की है कि मामला उनके और प्रत्यर्थी के बीच पहले ही सुलझ चुका है और इसलिए वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

पक्षों के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए कि उसे शिकायत वापस लेने की अनुमति दी जाए, जाँच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने की अनुमति दी जाए और शिकायत को समाप्त किया जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों तथा निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

क्र.सं.21 **फ़ा.सं.14/80/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. श्रीमती नाज़िया खान, मुंबई 2. श्री महेश हवेवाला, मुंबई	संपादक, मुंबई अमरदीप, मुंबई

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

ये शिकायतें दिनांक 15.4.2019 को श्रीमती नाजिया खान और श्री महेश हवेवाला, मुंबई द्वारा संपादक, मुंबई अमरदीप, मुंबई के खिलाफ शीर्षक "लकी मोटर के मालिक इकलाख डब्बावाला करता है नशीले पदार्थों का सेवन और बिक्री" उप-शीर्षक "जिस्म-फरोशी के धंदे में भी है लिप्त और साथ देता है खतीब खान और महेश हवेवाला - एक महिला ने दी पुलिस को लिखित शिकायत" के तहत दिनांक 3.4.2019 के अंक में कथित तौर पर झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि लकी मोटर का मालिक दूसरों की कारें बेचता है, उन्हें गुमराह करता है और उनके पैसे हड़प लेता है। मालिक आदतन मादक द्रव्यों का सेवन करता है और यहाँ तक कि वह अवैध नशीली दवाओं के व्यापार में भी शामिल है। आक्षेपित समाचार में यह भी बताया गया है कि श्री इकलाख और श्री खतीब वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी में शामिल हैं। यदि कोई उनके अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कोशिश करता है, तो श्री इकलाख और श्री खतीब दोनों ऐसे व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी देते हैं। जानकारी के अनुसार, एक महिला ने पुलिस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र और पुलिस आयुक्त, मुंबई के यहाँ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि उसका पति श्री इकलाख का बिजनेस पार्टनर है। श्री इकलाख और श्री महेश हावेवाला उसके घर आए, उन्होंने नशीली पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। जब उसने अपने पति को इस घटना के बारे में बताया तो उसने कुछ नहीं कहा या किया क्योंकि वे उसके बिजनेस पार्टनर थे। उसने पुलिस के समक्ष शिकायत में कहा कि श्री इकलाख ने उसे कई बार जान से मारने की धमकी दी और उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने की भी कोशिश की है।

शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि जिस तरह से विवादित समाचार सुनाया गया और गलत रिपोर्टिंग तथा गलत उद्धरण के लिए उनके नामों का इस्तेमाल किया गया, उससे वे बेहद निराश हैं। पहले पन्ने पर विवादित समाचार और घटनाओं को लापरवाही से गलत तरीकों से प्रस्तुत किया गया है और यह कभी भी उस तरह से सामने नहीं आया जिस तरह कि समाचार सामग्री में दर्शाया गया है। शिकायतकर्ता संख्या 1 (श्रीमती नाज़िया खान) ने कहा है कि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कभी भी श्री महेश हवेवाला को किसी भी समय अकेले या उक्त समूह के साथ अपने घर आते नहीं देखा। शिकायतकर्ताओं ने आगे कहा है कि प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचार में विभिन्न अवसरों पर श्री महेश हवेवाला के बारे में अपने विचारों को भी गलत बताया है, जो पूरी तरह से असत्य और गलत समझा गया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, इसमें कुछ गुप्त मंशा है जो प्रतिवादी को सबसे अच्छी तरह पता है। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से पूरी तरह से लापरवाही और नामों का दुरुपयोग करके और उनकी सहमति के बिना गलत उद्धरण देकर रिपोर्टिंग करने की घृणित प्रवृत्ति को इंगित करता है, जो उनके विचारों में सर्वथा घृणित और आक्रामक है। शिकायतकर्ता संख्या 1 ने कहा है कि श्री महेश हवेवाला (शिकायतकर्ता संख्या 2) एक अच्छे और सम्मानित पारिवारिक मित्र और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी रहे हैं और वह कभी भी विवादित समाचार में उल्लिखित किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हुए हैं।

शिकायतकर्ताओं ने पत्र दिनांक 15.4.2019 के माध्यम से प्रतिवादी का ध्यान आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

कोई उत्तर नहीं

प्रतिवादी संपादक, मुंबई अमरदीप को दिनांक 20.6.2019 को उसके मुंबई और ठाणे संस्करण में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मुंबई के पते पर जारी किया गया कारण बताओ नोटिस "अपूर्ण नाम पता" की डाक टिप्पणी के साथ बिना पहुँचे वापस प्राप्त हुआ। 25.7.2019 को एक अन्य मुंबई पते पर फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसे "ज्ञात नहीं" की डाक टिप्पणी के साथ बिना पहुँचे वापस प्राप्त किया गया था। इसलिए, जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट, मुंबई से 20.9.2019 को उनकी सेवा एजेंसी के माध्यम से नोटिस देने का अनुरोध किया गया था।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामले की सुनवाई 18.2.2021, 17.4.2023 और 26.6.2023 को हुई।

मामला आज यानी 25.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है। दोनों तरफ से कोई पेशी नहीं हुई है।

पिछले तीन अवसरों पर न तो शिकायतकर्ता और न ही प्रतिवादी उपस्थित थे। आज भी न तो शिकायतकर्ता और न ही प्रतिवादी उपस्थित हैं। इसलिए, जाँच समिति परिषद से शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को डिफ़ॉल्ट के रूप से समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

प्रेस और नैतिकता

क्र.सं.22 **फ़ा.सं.14/17/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, जिला अंगुल (ओडिशा)	संपादक, आईवाईए न्यूज, भुवनेश्वर (ओडिशा)

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 26.3.2019 को श्री शरत चंद्र सेठी, तत्कालीन ओआईएस, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, जिला अंगुल (ओडिशा) द्वारा संपादक, आईवाईए न्यूज, मासिक समाचार पत्र, अंगुल (ओडिशा) के खिलाफ कथित तौर पर अनैतिक समाचार रिपोर्टिंग अभ्यास के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी अखबार ने असंगत रूप से स्वयंभू पहचान पत्र जारी/वितरित करके पत्रकारिता के सभी नैतिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। ऐसा कुछ असामाजिक मानसिकता वाले बेरोजगार युवाओं तक इसके कमजोर प्रसार को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिससे उन्हें संवाददाता /पत्रकार के रूप में पहचाना जा सके। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि इन तथाकथित पत्रकारों की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियाँ विशिष्ट व्यक्तियों/व्यवसायियों/ठेकेदारों/वरिष्ठ आधिकारिक कर्मचारियों आदि को निशाना बनाना और उन्हें विभिन्न तरीकों से परेशान करना है। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसके अधिकांश पत्रकार अपने वाहनों और बाइक के पंजीकरण नंबर प्लेट पर "प्रेस" लिख रहे हैं और वे बाजार, ब्लॉक, तहसील, पुलिस स्टेशन आदि जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर लापरवाही से घूम रहे हैं और लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए अपनी अलग पहचान दिखा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी अखबार के कर्मचारी अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए समाचारों के माध्यम से लोगों की झूठी और विकृत छवि प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक जीवन वाले लोगों से नकद/पैसा माँगना प्रतिवादी समाचार पत्र के कर्मचारियों का एक नियमित और नियमित उपकरण कहा जा सकता है। इसके कुछ कर्मचारी जिले के ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए याचिकाएँ और पत्र लिख रहे हैं, जिनके निहित स्वार्थ सरकारी नियमों/मशीनों के सामान्य प्रावधानों के तहत संरक्षित नहीं है। आम जनता और विभिन्न विभागों के अधिकारी अक्सर इन पत्रकारों द्वारा की गई शरारतों के कारण अपनी दयनीय स्थिति और असहायता को तत्काल निवारण और प्रभावी समाधान के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में भेज रहे हैं।

टिप्पणियों के लिए प्रतिवादी-संपादक, आईवाईए न्यूज़, अंगुल को 16.4.2019 और 25.6.2019 को नोटिस जारी किया गया था। किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में प्रतिवादी को उसके अंगुल और भुवनेश्वर पते पर 30.8.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, अंगुल ने अपने पत्र दिनांक 19.4.2021 के माध्यम से सूचित किया है कि शिकायतकर्ता-श्री शरत चंद्र सेठी 30.11.2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

<u>प्रतिवादी द्वारा लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी सुश्री नरहरि प्रिया गढ़नायक, संपादक, प्रकाशक, आईवाईए न्यूज़ ने दिनांक 16.8.2023 को अपने लिखित बयान में आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है और पत्रकारों को लेखों के प्रकाशन के लिए इसका उपयोग करने के लिए जानकारी और डेटा एकत्र करने हेतु कार्यालयों का दौरा करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि कई मामलों में देखा गया है कि विभिन्न लोक सेवकों का पत्रकारों के प्रति कोई भी जानकारी या डेटा देने से इनकार करने वाला और अहंकारी रवैया होता है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि श्री शरत चंद्र सेठी एक लोक सेवक होने के नाते और जिले के सूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत होने के नाते, समय-समय पर उनसे पत्रकारों को विभिन्न समाचार सामग्री प्रदान करने के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि कई बार पत्रकार उन्हें अपने कार्यालय में नहीं पाते हैं और जब उनसे उनकी उपस्थिति के बारे में पूछा जाता है, तो वह पत्रकारों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं। चूंकि उनसे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए अक्सर सवाल उठाए जाते थे, इसलिए उन्होंने गलत इरादे और बदले की मंशा से भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष ऐसी झूठी और असत्य शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में लगाए गए आरोपों के अनुसार बिंदुवार साक्ष्य हलफनामे के रूप में दाखिल करने के लिए कहा जाए।

सुश्री नरहरि प्रिया गढ़नायक, संपादक, प्रकाशक, आईवाईए न्यूज़ ने दिनांक 16.8.2023 को अपने आगे के संचार के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि शिकायत पूरी तरह से झूठी, भ्रामक, काल्पनिक और असत्य है। शिकायतकर्ता की मंशा संदेह से घिरी हुई है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता ने यह शिकायत अपनी आधिकारिक क्षमता में दर्ज की है और इसलिए वह इस शिकायत को दर्ज करने से पहले शिकायतकर्ता द्वारा सक्षम विभाग/प्राधिकरण से लिया गया मंजूरी पत्र मांगती है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने उसे कभी कोई पत्र नहीं दिया।

<u>जाँच समिति की रिपोर्ट</u>

मामला 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया है। दोनों तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

हालाँकि, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, जिला अंगुल से एक ईमेल प्राप्त हुआ है। ईमेल का लेखन सामग्री इस प्रकार है:-

"आपके नोटिस के अनुसार विनम्र समर्पण के साथ मैं पीसीआई, नई दिल्ली के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि, इस कार्यालय के पास

पूर्व डीआईपीआरओ, अंगुल द्वारा दायर शिकायत के संदर्भ में आईवाईए न्यूज़ के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इन परिस्थितियों में यह कार्यालय आईवाईए न्यूज़ के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने में इच्छुक नहीं है। इसलिए मैं आईवाईए न्यूज़ के खिलाफ मामले और कार्यवाही को हमेशा के लिए समाप्त करने की प्रार्थना करता हूँ।"

इस ईमेल से जाहिर है कि शिकायतकर्ता शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसे देखते हुए, जाँच समिति शिकायतकर्ता, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, अंगुल द्वारा मुकदमा चलाने की अनिच्छा के कारण शिकायत को समाप्त करने की परिषद से संस्तुति करती है।

<u>निर्णय</u>

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार तरती है और अभियोजन के अभाव में शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.23 **फ़ा.सं. 14/26/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
श्री टी. मल्लेश्वर राव, वकील, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	संपादक, आंध्र प्रभा, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 30.03.2019 को श्री टी. मल्लेश्वर राव, वकील द्वारा संपादक, आंध्र प्रभा, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के खिलाफ कथित तौर पर वार्षिक सदस्यता देने के बाद भी उन्हें नियमित रूप से समाचार पत्र वितरित ना करने के लिए दायर की गई है।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी के एजेंट ने समाचार पत्र की वार्षिक सदस्यता प्राप्त करने के लिए 05.10.2018 को उनसे संपर्क किया था। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने समाचार पत्र का प्रसार अच्छा नहीं होने के कारण सदस्यता का भुगतान करने में अनिच्छा व्यक्त की थी, लेकिन एजेंट ने उन्हें अपने मासिक लक्ष्य के बारे में आश्वस्त किया, रसीद भरी और 1,500/- रुपये ले लिए। एजेंट ने वादा किया कि वह एक हफ्ते के अंदर अखबार की बाकी प्रक्रिया और डिलीवरी का काम देख लेगा।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि कई अनुरोधों और पूछताछ के बाद, उन्हें दो दिन छोड़कर 2.11.2018 तक अखबार नहीं मिली। अखबार न मिलने पर 26.11.2018 को उन्होंने फिर से एजेंट से अपनी राशि वापस करने का अनुरोध किया लेकिन एजेंट ने उन्हें किसी श्री मधु का मोबाइल नंबर दिया, जो शिकायतकर्ता के क्षेत्र में समाचार पत्र प्रसारित करता है। शिकायतकर्ता ने उनसे मोबाइल पर संपर्क किया और अखबार न मिलने की जानकारी दी। श्री मधु ने उत्तर दिया कि वह इस मामले को देखेंगे और उसके बाद शिकायतकर्ता को 15.01.2019 तक रुक-रुक कर समाचार पत्र प्राप्त हुए। शिकायतकर्ता ने फिर से श्री मधु से संपर्क किया और उन्होंने जवाब दिया कि पेपर बॉय ने नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने शिकायतकर्ता का पता पूछा। उन्होंने फोन पर पता तो बता दिया, लेकिन उनके दिए पते पर पेपर नहीं पहुँचाया गया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि पेपर देने में हुई चूक के लिए प्रतिवादी उसे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

प्रतिवादी को 5.7.2019 को टिप्पणियों के लिए एक नोटिस भेजा गया था लेकिन उसकी ओर से कुछ भी नहीं सुना गया। इसके बाद 17.09.2019 को, प्रतिवादी संपादक, आंध्र प्रभा, विजयवाड़ा को एक कारण बताओ नोटिस दिया गया, लेकिन दिनांक 14.7.2023 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

परिषद के पत्र दिनांक 20.3.2023 द्वारा शिकायतकर्ता को सूचित करने का अनुरोध किया गया था कि क्या प्रतिवादी के साथ मामला सुलझ गया है और क्या वह मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दिनांक 14.7.2023 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला 23.8.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष निर्णय के लिए आया है। दोनों तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है और प्रतिवादी भी जाँच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं है।

इन परिस्थितियों में, जाँच समिति परिषद को शिकायत डिफ़ॉल्ट रूप से समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप में समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

क्र.सं.24 **फ़ा.सं.705/2021-ए/पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
श्री अजीत जठार, सचिव एवं अन्य, रॉयल हिल्स कंपनी ऑप. हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड., गोरेगाँव पूर्व, मुंबई	1. सुश्री क्लारा लुईस, सहायक संपादक, द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया., मुंबई 2. संपादक, द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया., टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, मुंबई 3. समूह संपादक, द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया., टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, मुंबई

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 12.10.2021 को श्री अजीत जठार, सचिव और अन्य, रॉयल हिल्स को. ऑप. हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, एमएचएडीए, गोरेगाँव ईस्ट, मुंबई द्वारा सुश्री क्लारा लुईस, सहायक संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई के खिलाफ कथित तौर पर एक पत्रकार के रूप में अपने पद का उपयोग करके **टाइम्स ऑफ इंडिया**, मुंबई संस्करण द्वारा दिनांकित 28.07.2021 के अंक में ***"Dindoshi residents fight over tank under kids park"*** शीर्षक के तहत उपरोक्त सोसायटी के मामलों से संबंधित एक झूठी और आधारहीन खबर प्रकाशित करवाने के लिए दर्ज की गई है।

इसके अलावा शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 02.02.2022 के माध्यम से कहा है कि उनकी शिकायत केवल सुश्री क्लारा लुईस, सहायक संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई के खिलाफ है तथा यह किसी अन्य अखबार यानी टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई मिरर और लोकसत्ता के खिलाफ नहीं है क्योंकि उसने पत्रकारिता के अपने पेशे का इस्तेमाल सोसाइटी में उन विकास कार्यों में बाधा डालने के लिए किया, जिन्हें सार्वजनिक हित में होने के कारण आधिकारिक संगठन की मंजूरी प्राप्त है।

उपरोक्त समाचार में यह प्रकाशित किया गया है कि गोरेगाँव पूर्व के न्यू डिंडोशी रॉयल हिल्स सोसाइटी के निवासियों के एक वर्ग ने आरक्षित खुली जगह के नीचे एक भूमिगत पानी की टंकी के निर्माण की बोली का विरोध किया है, जिसका उपयोग बच्चों के खेल क्षेत्र के रूप में किया जाता है। सोसायटी के पदाधिकारी एक भूमिगत टैंक का निर्माण करना चाहते हैं और इस उद्देश्य के लिए उन्हें

एमएचएडीए (महाराष्ट्र हाउसिंग एण्ड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है। समाचार में आगे बताया गया है कि डिंडोशी निवासी श्री प्रियंका पंडित के बयान के अनुसार, नियमों के अनुसार, भूमिगत जल टैंक का ऐसा निर्माण किसी खुली जगह पर नहीं किया जा सकता है, जो बच्चों के लिए है। 2018 तक जल आपूर्ति संबंधी समस्याएँ थीं लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। खुली जगह खत्म हो जाएगी और भूमिगत टैंक वहाँ खेलने वाले बच्चों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। समाचार में आगे बताया गया है कि सोसायटी सचिव श्री अजीत जठार ने बताया कि अधिकांश घरों तक पानी नहीं पहुँचता है। समाचार में आगे बताया गया है कि एमएचएडीए के उपाध्यक्ष और सीईओ श्री अनिल दिग्गिकर ने कहा कि वे इस मुद्दे की समीक्षा कर रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि सुश्री क्लारा लुईस, सहायक संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो रॉयल हिल्स को. ऑप. एचएसजी सोसायटी लिमिटेड की निवासी भी हैं, ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उनकी कॉलोनी की स्थलाकृति जिसमें 77 रो हाउस शामिल हैं, इस तरह की परियोजना के लिए थोड़ी चुनौती है, दक्षिणी छोर इसके उत्तरी छोर से ऊंचाई पर है, और महत्वपूर्ण रूप से जगह की उपलब्धता पर प्रतिबंध है। इसलिए भूमिगत जल टैंक का निर्माण करने का एकमात्र समाधान उनकी सोसायटी के परिसर के भीतर आरजी प्लॉट के नीचे था। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद, नगर निगम पूरे मुंबई और ग्रेटर मुंबई को पानी की आपूर्ति करता है। उनकी कॉलोनी परिसर में भूमिगत टैंक के लिए एक स्थान तय किया गया (संभवतः सबसे निचला बिंदु जो आरजी प्लॉट के उत्तर की ओर है)। तदनुसार, उन्हें प्रस्तावित भूमिगत जल भंडारण टैंक के निर्माण के लिए एमएचएडीए (महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण) से एनओसी प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने कहा है कि सुश्री क्लारा शुरू से ही किंही कारणों से इस परियोजना पर आपत्ति जताती रही हैं, जिनके बारे में केवल उन्हें ही पता है, लेकिन सोसाइटी में उन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कुछ सदस्यों को इस परियोजना का विरोध करने के लिए मनाने की कोशिश की, हालांकि, उनके सहित इनमें से अधिकांश सदस्य सोसायटी के उत्तरी छोर पर रहते हैं और उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने बच्चों के खेल क्षेत्र के नुकसान का मुद्दा उठाया और कुछ साथी पत्रकारों से अखबार में लेख छपवाया जो भ्रामक और निराधार थे जिससे परियोजना में और देरी हुई है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सुश्री क्लारा लुईस ने टाइम्स ऑफ इंडिया के सहायक संपादक के रूप में अपने पद का उपयोग करके सोसाइटी के मामलों से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों में झूठी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो पूरी तरह से आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण इरादे से थीं। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि चूंकि प्रतिवादी एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए अधिकांश सरकारी अधिकारी

उससे असुरक्षित और खतरा महसूस करते हैं और सोसाइटी की परियोजनाओं के लिए लिए गए निर्णय के साथ मजबूती से खड़े होने से डरते हैं।

शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांक 07.04.2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि 22.05.2021 को समिति की बैठक में टाइम्स ऑफ इंडिया की सहायक संपादक सुश्री क्लारा लुईस को चर्चा के लिए बुलाया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि समिति की बैठक में उन्होंने समिति के साथ दुर्व्यवहार किया।

सुश्री क्लारा लुईस, सहायक संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, गोरेगाँव, पूर्वी मुंबई को दिनांक 29.09.2022 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

<u>टाइम्स ऑफ इंडिया की सहायक संपादक सुश्री क्लारा लुईस द्वारा लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी सुश्री क्लारा लुईस, सहायक संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने लिखित बयान दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बिना किसी पुष्टि और तर्कसंगत आधार के हैं और उन्होंने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता की सोसायटी के अन्य सदस्यों को सोसायटी के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से कुछ का उल्लेख शिकायतकर्ता की शिकायत में किया गया है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि कानून का पालन करने वाली और मेहनती नागरिक होने के साथ-साथ वह सोसायटी की एक प्रामाणिक सदस्या होने के नाते तथा सोसायटी के साथ अपनी शिकायतें उठाने की पूरी तरह से हकदार होने के नाते, उसने सोसायटी के 14 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लागू नियमों और विनियमों के तहत संबंधित डीम्ड सरकारी प्राधिकरण यानी मुंबई हाउसिंग एण्ड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (एमएचएडीए) और बृहन् मुंबई महानगर पालिका (एमबीसी) के समक्ष आवश्यक आवेदन दायर किए हैं/अपनी शिकायतें उठाई हैं, और यह शिकायतें वर्तमान में निर्णय के अधीन है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने नौ अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अगस्त 2021 में सहकारी सोसायटी, एमएचएडीए के उप रजिस्ट्रार के पास शिकायतकर्ता सोसायटी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें उक्त सोसायटी द्वारा किए गए मॉडल उप-कानूनों के कई उल्लंघनों को उजागर किया गया है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता सोसाइटी द्वारा 9 अन्य सदस्यों के साथ एमएचएडीए के डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के समक्ष दायर की गई शिकायत से संबंधित दर्ज प्रतिक्रियाओं में से, सोसायटी का जोर केवल उक्त प्रतिक्रियाओं में उसे लक्षित करने पर है। भले ही इसकी आम शिकायत सोसायटी के 10 सदस्यों द्वारा दायर की गई हो, जिसमें संयोग से उक्त शिकायतों के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक के रूप में वह भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता के सोसाइटी का आचरण उनके प्रति उनकी शत्रुता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सोसायटी की शिकायतें

पूरी तरह से निराधार, अनुचित और दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यह सोसायटी है जो इस तथ्य का फायदा उठा रहा है कि वह एक पत्रकार हैं। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी पेशेवर क्षमता के कारण उसके साथी पत्रकार को सोसायटी के आचरण के खिलाफ एक लेख छापना पड़ा है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि समाचार पत्र में छपे लेख अन्य स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा उनकी स्वतंत्र क्षमता और विशेषज्ञता में ऐसे क्षेत्रों/बीट्स को शामिल करते हुए लिखे गए थे, जो उनके द्वारा प्राप्त जानकारी, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों/लेआउट और स्वतंत्र पत्रकार जाँच तथा मूल्यांकन के आधार पर थे। उन्होंने कहा कि उक्त पत्रकारों ने जनहित में अपना कर्तव्य निभाते हुए ये लेख लिखा है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता सोसायटी ने अपने बार-बार लगाए गए बेबुनियाद आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अधिकारियों पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालने या धमकी देने के लिए किसी भी असंवैधानिक या अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया है। प्रतिवादी ने अपने मामले को अधिक स्पष्टता से समझाने के लिए मामले में व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया है।

<u>शिकायतकर्ता द्वारा प्रति टिप्पणियाँ</u>

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को दोहराते हुए दिनांक 22.11.2022 को जवाबी टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि सुश्री क्लारा लुईस ने जिम्नेजियम के निर्माण को रोकने के लिए अपनी पत्रकार स्थिति का उपयोग करते हुए उच्च प्राधिकरण के माध्यम से एमएचएडीए को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि 30.09.2018 को आयोजित वार्षिक बैठक में भूमिगत जल टैंक के निर्माण के लिए बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सोसायटी में पानी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, इसका श्री क्लारा लुईस के पति श्री एशले लुईस ने विरोध किया, जिन्होंने भूमिगत जल टैंक के निर्माण के लिए सोसायटी द्वारा एकत्र किए गए धन को वापस देने का भी अनुरोध किया था। शिकायतकर्ता ने कहा है कि डक्टाइल आयरन पाइप की स्थापना योजना विभाग (एमसीजीएम) के आदेश के अनुसार शुरू हुई थी। 90% काम पूरा होने के बाद दो सदस्यों से प्राप्त व्हाट्सएप संदेशों और पत्रों के आधार पर सुश्री क्लारा लुईस की शिकायत पर काम रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि बिना निरीक्षण और एक पत्रकार की व्हाट्सएप पर शिकायत के तीन दिन के अंदर स्टे मिलना आश्चर्यजनक है।

<u>प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर</u>

प्रतिवादी सुश्री क्लारा लुईस ने दिनांक 10.02.2023 के संचार के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि प्रेस परिषद के समक्ष शिकायत दर्ज करना सदस्यों की गंभीर शिकायतों को दरकिनार करने और उन्हें उनकी गैरकानूनी गतिविधियों के आगे झुकने के लिए डराने और दबाव डालने का एक ज़बरदस्त प्रयास

है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सोसाइटी ने अपने समर्थन में रत्ती भर भी सामग्री/आधार/औचित्य प्रदान किए बिना उनके खिलाफ ये बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए हैं।

इस मामले की सुनवाई 18.4.2023 को मुंबई में जाँच समिति द्वारा की गई, जिसमें संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के समूह संपादक (मुंबई मिरर के लिए प्रकाशन अब बंद हो गया है) को पार्टी प्रतिवादी के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया गया।

तदनुसार, मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 17.5.2023 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक और द टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के समूह संपादक को नोटिस जारी किए गए थे।

सुश्री क्लारा लुईस (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा अतिरिक्त संचार

18.4.2023 को जाँच समिति द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी-सुश्री क्लारा लुईस ने शपथ पर हलफनामा दायर किया।

प्रतिवादी- सुश्री क्लारा लुईस ने अपने ईमेल दिनांक 26.6.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि उन्होंने और नौ अन्य लोगों ने प्रबंध समिति के खिलाफ सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार, एमएचएडीए, एक अर्ध-न्यायिक निकाय, के समक्ष प्रबंध समिति द्वारा कई प्रतिबद्ध मॉडल उपनियमों के उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने आगे कहा कि उप रजिस्ट्रार ने अब उनकी शिकायत को बरकरार रखा और 22.6.2023 को अंतिम आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है:

- एएसटी के लिए वित्तीय व्यय का मुद्दा एजीएम एजेंडे में नहीं था
- निविदाएँ आमंत्रित नहीं थी
- व्यय के लिए सामान्य सभा की मंजूरी नहीं ली गयी थी
- प्रबंध समिति को महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 78 (ए) के तहत भंग कर दिया गया और श्री वी.पी. महाजन को प्रशासक नियुक्त किया गया है
- अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर ढाई साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है

उपरोक्त आदेश (मराठी भाषा) की एक प्रति प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि प्रबंध समिति ने एक महत्वपूर्ण पत्रकार के रूप में उनकी सम्मानित तरह से अर्जित तथा बेदाग प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास में सोसाइटी के मामलों को प्रेस परिषद के समक्ष घसीटा है। उन्होंने आगे कहा है कि संबंधित सक्षम प्राधिकारियों (बीएमसी और एमएचएडीए) द्वारा उनके पक्ष में लिए गए उपरोक्त और कई अन्य फैसले उनकी नेकनीयती और प्रबंध समिति की दुर्भावना का सबूत हैं। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर

शिकायतकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 25.6.2023 के माध्यम से उक्त हलफनामे में लगाए गए सभी आरोपों, तर्कों, बयानों से इनकार किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने माननीय न्यायालय से वास्तविक और तथ्यात्मक तथ्यों को छुपाया है और वह सप्रेसियो वेरी तथा सजेस्टियो मिथ्या की दोषी है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी एक वरिष्ठ प्रेस रिपोर्टर होने के नाते अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और वह सोसायटी के सदस्यों को धमकी दे रही है तथा उसने यह भी झूठ कहा है कि सोसायटी ने उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को खराब किया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, यह कहना गलत है कि उसके अलावा सभी हलफनामे एक जैसे हैं। उन्होंने कहा है कि वे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं और प्रतिष्ठित परिवारों से हैं। उन्होंने अपने हलफनामे में जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सत्य और सही है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी को न केवल सोसाइटी के खिलाफ बल्कि उसके सदस्यों के खिलाफ भी झूठी शिकायतें करने की आदत है।

मामले की सुनवाई 27.6.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति द्वारा फिर से की गई।

सुश्री क्लारा लुईस (प्रतिवादी संख्या 1) का अगला पत्र

सुश्री क्लारा लुईस ने दिनांक 22.9.2023 को अपने संचार के माध्यम से सूचित किया है कि अंतरिम आदेश दिनांक 21.09.2023 द्वारा संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, मुंबई के समक्ष श्री दीपक दिवाते, श्री अजीत जथार और सुश्री स्मिता शाह द्वारा हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में दर्ज की गई अपील संख्या 261/2023 मामले को स्वीकार कर लिया गया है तथा स्थगन आवेदन को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है। उन्होंने अंतरिम आदेश की प्रति पेश की है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला आज यानी 26.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है।

दिनांक 12.10.2021 की शिकायत रॉयल हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड मुंबई के सचिव श्री अजीत जथार और अन्य द्वारा सुश्री क्लारा लुईस, सहायक संपादक, द टाइम ऑफ इंडिया, मुंबई के खिलाफ कथित तौर पर पत्रकार के रूप में अपने पद का उपयोग करके विभिन्न समाचार पत्रों में झूठी और आधारहीन खबरें प्रकाशित करवाने के लिए दर्ज की गई है। श्री सुरेंद्र यादव, अधिवक्ता शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री आकाश नागर, अधिवक्ता टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सुश्री आकांशा, अधिवक्ता क्लारा लुईस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जाँच समिति का ध्यान उप पंजीयक सहकारी सोसाइटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2023

की ओर आकर्षित किया गया है। इस आदेश के द्वारा सोसायटी के रोजमर्रा के कामकाज और अन्य संबंधित मामलों की देखभाल के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, मुंबई से अपील की थी। संभागीय रजिस्ट्रार ने आदेश दिनांक 21.09.2023 द्वारा शिकायतकर्ताओं के स्थगन आवेदन को खारिज कर दिया है। चूंकि इस मामले से जुड़े मुद्दे प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 (3) के मद्देनजर सहकारी न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए प्रेस परिषद इस मामले में कोई जाँच नहीं कर सकती है। इसलिए शिकायत का समापन इसी आधार पर करना होगा। हालाँकि, दोनों पक्षों के विवादों को खुला रखना होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि परिस्थितियों की माँग हो तो शिकायतकर्ताओं को सलाह दी जा सकती है कि वे कैसी कार्रवाई अपनाएँ। इन परिस्थितियों में, जाँच समिति परिषद को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) के मद्देनजर शिकायत का समापन करने की संस्तुति करती है। हालाँकि, दोनों पक्षों की दलीलों को खुला रखा जा सकता है और इस आशय का अवलोकन किया जा सकता है कि यदि परिस्थितियों की माँग हो तो शिकायतकर्ता ऐसी कार्रवाई का तरीका अपना सकते हैं, जैसी उन्हें सलाह दी जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है तथा समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को विचाराधीन होने पर समाप्त करने का निर्णय लेती है।

*****

साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी तथा पंथ-विरोधी लेख

क्र.सं.25 **फ़ा.सं.303/2021-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री आरिफ ए मुल्लाजी, शाहीन सोसायटी, अहमदाबाद, गुजरात	संपादक, गुजरात समाचार, अहमदाबाद, गुजरात

न्यायनिर्णय

दिनांकित 17.11.2023

यह शिकायत दिनांक 20.05.2021 को श्री आरिफ ए मुल्लाजी, शाहीन सोसाइटी, अहमदाबाद द्वारा गुजरात समाचार, अहमदाबाद के संपादक के खिलाफ दिनांकित 17.05.2021 के अंक में “Goat

Eid slaughter is worrisome" (शिकायतकर्ता द्वारा अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित) शीर्षक के तहत कथित रूप से अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार आक्षेपित लेख में कहा गया है कि इस्लाम कोई प्राचीन संस्कृति या आध्यात्मिकता नहीं है। यह इस्लाम की संस्कृति है जिसने मनुष्य के ज्ञान को बहुत बढ़ाया है। अब यह संस्कृति का पर्याय बन गया है। भारत में मुसलमानों ने धर्म से जुड़ी कला, शिल्प और भाषा को जीवित रखा है। खबर में आगे कहा गया है कि उर्दू भाषा संचार के लिए एक विनम्र और सुसंस्कृत माध्यम साबित हुई है। लेकिन जब ईद आती है, तो इस्लाम के लिए सभी सांस्कृतिक मान्यताओं का रुख बदल जाता है और धर्म जंगली हिंसा में घिरा हुआ प्रतीत होता है। दुनिया के लोग इस्लाम के धार्मिक नेताओं का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि धार्मिक दिवस मनाने के लिए जानवरों का कत्लेआम चिंता का विषय है। पशु बलि इस्लाम का आधार नहीं है। हज यात्रा के दौरान भी यह अनिवार्य नहीं है। कुर्बानी के लिए जानवरों का कत्लेआम ईद के दिन से जुड़ा है और बकरीद पर कत्लेआम से हर किसी को दुख होता है। ईद के दिन होने वाला नरसंहार दिल दहला देने वाला है। समाचार में प्रकाशित किया गया है कि इस्लाम के विद्वान शहीद अली मुत्तक्की का कहना है कि कुरान में जो लिखा है वह मानव जाति के लिए कोई ब्लूप्रिंट जैसा संदेश नहीं है। यूरोपीय दुनिया में इसका कार्यान्वयन आश्चर्यजनक रहा है जिसमें उल्लेख किया गया है कि कुरान के कुछ आयातित अर्थ हैं। इस्लाम-पूर्व काल में अरब लोग अपने ईश्वर को विभिन्न प्रकार की बलि चढ़ाते थे। इसी प्रकार जिप्सियाँ भी शिकार बनीं। ख़ुदा को खुश करने के लिए क़ुर्बानी देने की प्रथा मानी जाती थी लेकिन यह अल्लाह में लीन होने की भी बात थी। बलिदान से जुड़े उल्लिखित इब्राहीम को महान बलिदानी कहा जाता है लेकिन कुरान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि इब्राहीम ने अपने बेटे की बलि दी थी। ऐसा कहा जाता है कि इब्राहीम ने सपना देखा था कि वह अपने बेटे की बलि देगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता इब्राहीम उसके बलिदान के बारे में बताते हैं। तब बेटा कहता है जैसा आदेश दिया है वैसा ही करो। अगर अल्लाह की ऐसी इच्छा हो तो इस्लाम को कोई आपत्ति नहीं है। जब दोनों ने अल्लाह की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया, तो उसने बलिदान देने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उस स्थिति को उहर इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। इसे क्षणिक त्याग कहा गया है।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि अखबार ने जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने हेतु पूरी तरह से भ्रामक समाचार प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा है कि यह लेख पूरी तरह से तथ्यहीन है और इसका उद्देश्य कुछ समुदाय को "बर्बर" के रूप में बदनाम करना है, जो किसी भी समुदाय के प्रति बहुत अपमानजनक है। उन्होंने कहा है कि यह लेख मुस्लिमों के त्योहार ईद-उल-अज़हा पर आधारित था। यह त्योहार बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह इस्लाम के साथ आस्था

के सबसे महान प्रदर्शनों में से एक को श्रद्धांजलि देता है। यह ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बेटे की बलि देने की पैगंबर इब्राहिम की इच्छा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसे मामलों में दुष्प्रचार की खबरें फैलाकर देश में सौहार्द और भाईचारा खराब किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य केवल मुसलमानों की छवि खराब करना है। ऐसे लेखों को प्रकाशन से पहले अखबार के संपादक द्वारा जाँचा जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने 17.05.2021 को प्रतिवादी का ध्यान आपत्तिजनक लेख की ओर आकर्षित किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

प्रतिवादी संपादक, गुजरात समाचार को 03.08.2021 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद 16.09.2021 को एक अनुस्मारक जारी किया गया।

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांकित 20.07.2023 पत्र

शिकायतकर्ता श्री आरिफ मुल्लाजी ने पत्र दिनांक 20.07.2023 के माध्यम से "ईद-उल-अज़हा' और त्योहार में किए गए बलिदानों का विस्तृत विवरण प्रदान किया है। शिकायतकर्ता ने अखबार के लेखों में कथित गलतबयानी का विरोध इस प्रकार किया:

I. लेख में ईद-उल-अज़हा के त्योहार को गलत तरीके से "जंगली हिंसा" के साथ जोड़ा गया है, जिसमें बलिदान और भक्ति के अंतर्निहित संदेश की उपेक्षा की गई है।

II. लेख में त्योहार को "सांस्कृतिक मान्यताओं" के परित्याग के रूप में चित्रित करना भ्रामक है, क्योंकि यह उत्सव के आध्यात्मिक और सांप्रदायिक पहलुओं को स्वीकार करने में विफल है।

III. केवल पशु बलि के कृत्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेख उदारता, करुणा और साझा करने के मूल्यों की अनदेखी करता है जो ईद-उल-अज़हा के अभिन्न अंग हैं।

IV. ईद-उल-अज़हा के दौरान पशु बलि का महत्व एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जो पैगंबर इब्राहिम की भगवान की खातिर अपने बेटे की बलि देने की इच्छा को दर्शाता है। यह विपरीत परिस्थितियों में निस्वार्थता और आज्ञाकारिता के महत्व की याद दिलाता है।

V. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि **पशु बलि सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए अनुशंसित प्रथा है जो इसे वहन कर सकते हैं और इसमें भाग लेना चुन सकते हैं। लेख इस प्रथा को गलत तरीके से अनिवार्य के रूप में चित्रित करता है और इसकी वैकल्पिक प्रकृति का उल्लेख करने में विफल है।**

VI. ईद-उल-अज़हा से जुड़े मुख्य मूल्य: उदारता, एकता तथा समावेशिता, चिंतन और आध्यात्मिक विकास।

प्रतिवादी द्वारा लिखित वक्तव्य

गुजरात समाचार के निदेशक श्री बाहुबली शाह ने 25.9.2023 को सचिवालय में प्राप्त अपने अदिनांकित पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि गुजरात समाचार अपने धर्मनिरपेक्ष, निष्पक्ष और संतुलित समाचार के कारण सबसे सम्मानित समाचार पत्र है। उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन लेख श्रीमती मेनका गाँधी द्वारा लिखा गया है, जो आठ बार संसद सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रही हैं। प्रतिवादी के अनुसार, लेख के प्रकाशन के समय, श्रीमती मेनका गाँधी गुजरात समाचार के लिए एक नियमित स्तंभ-लेखक थीं और अंग्रेजी में लिखे गए उनके लेखों को उनके अखबार में प्रकाशन के लिए गुजराती में अनुवादित किया गया था। उन्होंने कहा है कि विचाराधीन लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखिका के हैं - उनकी व्यक्तिगत क्षमता में - एक पशु अधिकार कार्यकर्ता तथा संसद सदस्य के रूप में, न कि अखबार के। उन्होंने आगे कहा है कि वह कभी भी किसी धर्म के खिलाफ या समर्थक नहीं रहे हैं- ना तो सामूहिक रूप से या ना ही व्यक्तिगत रूप से किसी भी धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुँचाने का उनका कोई इरादा है। उन्होंने हमेशा सर्वोत्तम संपादकीय मानकों और तटस्थ विचारों को बनाए रखा है। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

जाँच समिति की रिपोर्ट

मामला आज यानी 26.9.2023 को नई दिल्ली में जाँच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है।

दिनांक 20.05.2021 को श्री आरिफ ए मुल्लाजी, शाहीन सोसाइटी अहमदाबाद द्वारा संपादक, गुजरात समाचार, अहमदाबाद के खिलाफ गुजरात समाचार के दिनांक 17.05.2021 के अंक में "Goat Eid slaughter is worrisome" शीर्षक के तहत मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है। (शिकायतकर्ता द्वारा अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित)।

शिकायत में कहा गया है कि विवादित लेख पूरी तरह से भ्रामक है और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से ठेस पहुँचाने के लिखा गया है। यह मुस्लिम त्योहार ईद-उल-अज़हा पर आधारित है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यह इस्लाम में आस्था के सबसे महान प्रदर्शनों में से एक को श्रद्धांजलि देता है। यह ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए पैगंबर इब्राहिम की अपने बेटे की बलि देने की इच्छा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है कि संपादक को तुरंत माफी माँगने के लिए कहा जाना चाहिए और उसे इस अखबार में प्रकाशित करना चाहिए तथा भविष्य में इस तरह के कदाचार से बचना चाहिए। आगे कहा गया है कि संपादक को ऐसे लेख प्रकाशित करने से पहले कुछ प्रामाणिक स्रोतों से उसमें कही गई बातों की तथ्यात्मक सटीकता की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए। शिकायतकर्ता ने आशंका व्यक्त की है कि ऐसी घटनाएँ जिनका उद्देश्य केवल मुसलमानों की छवि खराब करना है, देश में सद्भाव और भाईचारा खराब कर सकती हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने संपादक को अपनी असहमति बताने की

कोशिश की थी लेकिन उन्हें उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। शिकायत के साथ गुजराती लेख और अंग्रेजी संस्करण संलग्न है।

दिनांक 27.06.2023 को शिकायतकर्ता जाँच समिति के समक्ष वर्चुअल मोड में उपस्थित हुआ है। प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं था। शिकायतकर्ता ने शिकायत में दी गई बातों को दोहराया। जाँच समिति ने शिकायतकर्ता से बकरी बलि अनुष्ठान के बारे में अपना संस्करण भेजने के लिए कहा। शिकायत स्थगित कर दी गई।

निर्देश के अनुसार, शिकायतकर्ता ने ईद-उल-अज़हा पर किए जा रहे बकरे बलि की पृष्ठभूमि बताते हुए एक नोट प्रस्तुत किया है। गुजरात समाचार से एक पत्र मिला है। पत्र में कहा गया है कि गुजरात समाचार अपनी धर्मनिरपेक्ष, निष्पक्ष और संतुलित समाचार के कारण सम्मानित है। समाचार कवरेज में यह हमेशा तटस्थ रहा है। यह बताया गया है कि विचाराधीन लेख श्रीमती मेनका गाँधी द्वारा लिखा गया है जो आठ बार संसद सदस्य रही हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रही हैं। श्रीमती मेनका गाँधी एक प्रसिद्ध पर्यावरण और पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने विभिन्न पर्यावरण और पशु अधिकार अभियानों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। आगे कहा गया है कि प्रश्न में लेख के प्रकाशन के समय श्रीमती मेनका गाँधी गुजरात समाचार के लिए एक नियमित स्तंभकार थीं। अंग्रेजी में लिखे गए उनके लेखों का गुजरात समाचार में प्रकाशन के लिए गुजराती में अनुवाद किया गया था। यह दोहराया जाता है कि गुजरात समाचार कभी भी किसी धर्म के खिलाफ या समर्थक नहीं रहा है और उसका सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से किसी भी धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। गुजरात समाचार ने सर्वोत्तम संपादकीय मानकों को बनाए रखा है। प्रासंगिक रूप से यह कहा गया है कि प्रश्न में लेख में व्यक्त किए गए विचार एक पशु अधिकार कार्यकर्ता और संसद सदस्य के रूप में उनकी व्यक्तिगत क्षमता में लेखिका के हैं, न कि अखबार के। प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिकायत खारिज कर दी जाए। पत्र में अनुरोध किया गया है कि गुजरात समाचार को बैठक में वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति दी जाए।

आज शिकायतकर्ता श्री आरिफ मुल्लाजी वर्चुअल तौर पर उपस्थित हो रहे हैं। वर्चुअल कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाने के कारण गुजरात समाचार के वरिष्ठ संपादक श्री भावेश शाह से फोन पर संपर्क किया गया है।

जाँच समिति ने शिकायतकर्ता की बात सुनी। उन्होंने शिकायत में की गई दलीलों को दोहराया है और हमारा ध्यान उनके द्वारा प्रस्तुत नोट की ओर आकर्षित किया है जिसमें बताया गया है कि ईद-उल-अज़हा क्या है। नोट जानकारी पूर्ण है और इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार बकरे की बलि के पीछे के उद्देश्य को बताता है। इससे पहले कि जाँच समिति नोट को संदर्भित करे, उसे संबंधित लेख पर जाना होगा।

ज़ाहिर है कि यह लेख श्रीमती मेनका गाँधी द्वारा लिखा गया है जो एक पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर लेख पढ़ना जरूरी है। यदि आप लेख को ध्यान से पढ़ें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखिका एक जीव की हत्या पर ध्यान केंद्रित कर रहे है न कि इस्लाम पर हमला करने पर। एक जानवर की बलि पर उनकी पीड़ा और दर्द लेख में झलकती है। दरअसल कुछ जगहों पर उन्होंने इस्लाम की तारीफ की है। वह कहती हैं कि इस्लाम कोई प्राचीन आध्यात्मिकता नहीं है। इस बयान में कुछ भी अपमानजनक नहीं है। यह उनका विचार है। वह आगे कहती हैं कि इस्लाम ने मनुष्य के ज्ञान को बहुत बढ़ाया है और अब यह संस्कृति का पर्याय बन गया है। वह मुसलमानों की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि भारत में मुसलमानों ने धर्म से जुड़ी कला, शिल्प और भाषा को जीवित रखा है। वह उर्दू की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि यह संचार का एक सभ्य सांस्कृतिक माध्यम साबित हुआ है। यहीं से लेख में मोड़ आता है और श्रीमती मेनका गाँधी का जानवरों के प्रति प्रेम हर चीज़ पर भारी पड़ता है। बकरे की कुर्बानी को ध्यान में रखते हुए वह कहती हैं कि जब ईद आती है तो इस्लाम जंगली हिंसा से घिर जाता है। इस प्रकार इस्लाम केवल बकरे की बलि के दौरान हिंसा से जुड़ा है। फिर वह बयान देती है कि जानवरों की बलि इस्लाम का आधार नहीं है। हज यात्रा के दौरान यह अनिवार्य नहीं है। वह इस्लाम के धार्मिक नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं कि धार्मिक दिवस मनाने के लिए जानवरों का वध चिंता का विषय है। उनका कहना है कि वह इस संहार से दुखी हैं। फिर वह इस्लाम के विद्वान शहीद अली मुत्तक्की को उद्धृत करती हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ कहते हैं कि कुरान बलिदान का कोई उल्लेख नहीं करता है। फिर लेखिका पैगम्बर इब्राहीम का जिक्र करती हैं, जो वर्णन करता है कि कैसे पैगम्बर इब्राहीम के बेटे ने बलिदान के लिए अपना सिर नीचे कर लिया था और इसे क्षणिक बलिदान कहा, शायद इसलिए क्योंकि वास्तव में अल्लाह की दया के कारण बेटे की बलि नहीं दी गई थी। फिर वह कहती हैं कि अल्लाह हर मुसलमान के दिल में है, लेकिन विद्वान इस बात से सहमत हैं कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि कुर्बानी वाले जीव का मांस खाना चाहिए; कि अल्लाह किसी का खून बहाकर खुश नहीं हो सकते और अल्लाह कभी किसी पिता को अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए नहीं कहते। वह आगे कहती हैं कि यह जानना जरूरी है कि जानवरों की बलि किस आधार पर दी जाती है। वह मुसलमानों को आगे आकर बेजुबान जानवरों का कत्लेआम रोकने का आह्वान करती हैं।

लेख को समग्र रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह इस्लाम के लिए अपमानजनक नहीं है। यह लेखिका के जानवरों के प्रति प्रेम से प्रेरित है। बकरे की बलि का आधार, जिसके बारे में श्रीमती मेनका गाँधी का कहना है कि पता लगाने की जरूरत है, शिकायतकर्ता श्री आरिफ मुल्लाजी ने बहुत अच्छी तरह से लिखित, अध्ययन और जानकारीपूर्ण नोट में प्रदान किया है। यह बकरे की बलि के पीछे के सिद्धांत की व्याख्या करता है। यह इस अनुष्ठान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप से बताता है। इसके महत्वपूर्ण अंशों को उद्धृत करने की आवश्यकता है:-

ईद-उल-अज़हा का इतिहास:

ईद-उल-अज़हा, जिसे "बलिदान का त्योहार" भी कहा जाता है, इस्लामी आस्था में बहुत महत्व

रखता है। यह पैगंबर इब्राहिम (अब्राहम) के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना और ईश्वर के प्रति उनकी अटूट आज्ञाकारिता का स्मरण कराता है।

इस्लामी परंपरा के अनुसार, पैगंबर इब्राहिम को अपने विश्वास की परीक्षा के रूप में अपने प्यारे बेटे की बलि देने के लिए ईश्वर से एक दिव्य आदेश मिला। ईश्वर की इच्छा के प्रति अत्यंत भक्ति और समर्पण प्रदर्शित करते हुए, पैगंबर इब्राहिम ने बलिदान देने के लिए तैयारी की। हालाँकि, जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, भगवान ने हस्तक्षेप किया और विकल्प के रूप में एक भेड़ प्रदान किया, जिससे उसके बेटे की जान बच गई। यह घटना पैगंबर इब्राहिम के गहन विश्वास और ईश्वर की आज्ञा के प्रति समर्पण करने की इच्छा को प्रदर्शित करती है।

ईद-उल-अज़हा इस शक्तिशाली कहानी और इस्लाम के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्यों की याद दिलाता है। यह त्योहार हज यात्रा के समापन का प्रतीक है, जिसके दौरान मुसलमान जानवरों की बलि का प्रतीकात्मक कार्य करके पैगंबर इब्राहिम की विरासत को याद करते हैं। बलिदान का यह कार्य पैगंबर इब्राहिम की प्रतिबद्धता, समर्पण और ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

दुनिया भर के मुसलमान ईद-उल-अज़हा के दौरान जानवरों की बलि देने की प्रथा में भाग लेते हैं। बलि किए गए जानवर के मांस को तीन भागों में विभाजित किया जाता है: एक तिहाई परिवार के लिए रखा जाता है, एक तिहाई दोस्तों और पड़ोसियों के साथ साझा किया जाता है, और एक तिहाई जरूरतमंदों और कम भाग्यशाली लोगों को दिया जाता है। मांस का यह आदान-प्रदान उदारता, समुदाय और दान की भावना का प्रतीक है जिस पर त्योहार के दौरान जोर दिया जाता है।

ईद-उल-अज़हा का महत्व बलिदान के कार्य से कहीं अधिक है। इसमें विश्वास, कृतज्ञता, करुणा, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे बुनियादी मूल्य शामिल हैं। यह त्योहार चिंतन, आध्यात्मिक विकास और पारिवारिक तथा सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने का समय है।

....

....

....

5 *पशुबलि का महत्व:*

क. ईद-उल-अज़हा के दौरान पशु बलि एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जो पैगंबर इब्राहिम की भगवान की समर्पित अपने बेटे की बलि देने की इच्छा को दर्शाता है। यह विपरीत परिस्थितियों में निस्वार्थता और आज्ञाकारिता के महत्व की याद दिलाता है।

ख. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पशु बलि सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि यह उन लोगों के लिए अनुशंसित अभ्यास है जो इसे वहन कर सकते हैं और इसमें भाग लेना चुन सकते हैं। लेख इस प्रथा को गलत तरीके से अनिवार्य के रूप में चित्रित करता है और इसकी वैकल्पिक प्रकृति का उल्लेख करने में विफल रहा है।

6. ईद-उल-अज़हा से जुड़े बुनियादी मूल्य:

क. उदारता: ईद-उल-अज़हा मुसलमानों में समुदाय और करुणा की भावना को बढ़ावा देते हुए, कम भाग्यशाली लोगों के बीच बलिदान किए गए जानवर के मांस का एक हिस्सा वितरित करके अपना आशीर्वाद साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ख. एकता और समावेशिता: यह त्योहार परिवार, दोस्तों और समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाता है, बाधाओं को पार करते हुए एकता, एकजुटता और सद्भावना के मूल्यों पर ज़ोर देता है।

ग. चिंतन और आध्यात्मिक विकास: ईद-उल-अज़हा मुसलमानों के लिए अपने विश्वास पर विचार करने, ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने और क्षमा माँगने के लिए एक समय के रूप में कार्य करता है।

एक बार जब आप उपरोक्त अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम में बकरे की कुर्बानी का बड़ा महत्व है। इसका उद्देश्य करुणा और उदारता का संदेश फैलाना है। यह अल्लाह में मुसलमानों के स्थायी विश्वास और उसके आदेशों के प्रति उनकी आज्ञाकारिता पर ज़ोर देता है। भारत जैसे बहु-धार्मिक देश में किसी भी धर्म से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों पर राय देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी विशेष धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन किए बिना आधे-अधूरे ज्ञान पर व्यक्त की गई राय से तथ्यों में विकृति आ सकती है और धार्मिक भावनाएँ आहत हो सकती हैं। धार्मिक मुद्दे संवेदनशील मुद्दे हैं और किसी को उनसे निपटने में तब तक स्वतंत्रता नहीं लेनी चाहिए जब तक कि उसके पास संबंधित धर्म और उसके रीति-रिवाजों के बारे में आवश्यक विशेषज्ञता और संपूर्ण ज्ञान न हो।

यह ध्यान रखना उचित है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28, किसी भी समुदाय के धर्म के अनुसार आवश्यक तरीके से जानवरों की हत्या की रक्षा करती है। इसे इस प्रकार लिखा गया है:-

धारा 28 धर्म द्वारा निर्धारित हत्या के तरीके से संबंधित छूट

इस अधिनियम में शामिल कोई भी बात किसी भी समुदाय के धर्म द्वारा अपेक्षित तरीकों से किसी भी जानवर को मारने को अपराध नहीं बनाएगी।

इस प्रकार विधायिका ने भारत की धार्मिक विविधता पर ध्यान दिया है। कुछ अनुष्ठान कुछ धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यह अंततः व्यक्तिगत आस्था का मामला है जिसका भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सम्मान किया जाना चाहिए।

गुजरात समाचार के वरिष्ठ संपादक श्री भावेश शाह ने जाँच समिति को टेलीफोन पर सूचित किया कि उनका रुख वही है जो 25.9.2023 को प्रेस परिषद द्वारा प्राप्त पत्र में कहा गया था। उन्होंने कहा कि गुजरात समाचार एक तटस्थ समाचार पत्र है और विचाराधीन लेख श्रीमती मेनका गाँधी द्वारा लिखा गया है, जो पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके निजी विचार हैं न कि गुजरात समाचार के विचार। जाँच समिति का मानना है कि यदि यह गुजरात समाचार का मामला नहीं है, तो उसे उक्त लेख के नीचे ऐसा वाक्य या अस्वीकरण छापना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

जाँच समिति का मानना है कि लेख प्रकाशित करने से पहले गुजरात समाचार को सामग्री की सटीकता का पता लगाने के लिए कुछ जाँच करनी चाहिए थी जो उसने नहीं की है। किसी समाचार या लेख को प्रकाशित करने से पहले उसमें कही गई बातों का सत्यापन करना संपादक का कर्तव्य है।

इन परिस्थितियों में, हमने गुजरात समाचार के वरिष्ठ संपादक श्री भावेश शाह से पूछा कि क्या वह श्री आरिफ मुल्लाजी द्वारा प्रस्तुत नोट के पैराग्राफ 5 और 6 को प्रकाशित करेंगे। वे पशु बलि के महत्व और ईद-उल-अज़हा से जुड़े बुनियादी मूल्यों से संबंधित हैं। श्री भावेश शाह ने सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इसे आगामी बकरीद पर उसी पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा जिस पर गुजरात समाचार ने श्रीमती मेनका गाँधी का लेख प्रकाशित किया था। जाँच समिति इस कथन को स्वीकार करती है। श्री आरिफ़ मुल्लाजी इससे सहमत हैं। जाँच समिति परिषद को उपरोक्त निर्देश देकर शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है और गुजरात समाचार को उद्धृत परिच्छेद के नीचे यह बताने का निर्देश देती है कि उद्धरण परिच्छेद प्रेस परिषद के निर्देशानुसार प्रकाशित किया गया है। यह श्रीमती मेनका गाँधी द्वारा गुजरात समाचार में दिनांक 17.05.2021 के अंक में ईद-उल-अज़हा पर की जाने वाली बकरे की बलि के बारे में प्रकाशित अपने लेख में दिए गए बयानों का खंडन करने के लिए श्री आरिफ मुल्लाजी द्वारा प्रस्तुत नोट से हैं, जिसका शीर्षक है "बकरी ईद हत्या चिंताजनक है"।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा प्रतिवादी समाचार पत्र को उपरोक्त निर्देशों के साथ शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****